डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद

प्रथम परिनियमावली, 1978
(अद्यतन संशोधित)

अगस्त, 2018 **फैजाबाद**

❐ संस्करण : 2018
❐ सर्वाधिकार : © कुलसचिव को सुरक्षित
❐ मूल्य : सौ रुपये मात्र (₹ 100.00)
❐ मुद्रक : श्रीराम आफसेट प्रिन्टर्स
फैजाबाद

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 1978 में समय-समय पर किये गये संशोधन

क्रमांक	संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	प्रवृत्त होने की तिथि	प्रभावित परिनियम
1.	मूल परिनियमावली	सं. 1321/15-10-78-79 (1)/77 दिनांक 1.4.1978	15.4.1978	....
2.	पहला	सं. 922/15-10-79-15 (35)-79 दिनांक 29.5.1979	29.5.1979	10.12, 14.17, 18.02, 18.03, 18.06, 18.07
3.	दूसरा	सं. 4364/15-10-80-15 (69)-80 दिनांक 9.10.1980	9.10.1980	10.02 तथा 14.25
4.	तृतीय	सं.1190/15-10-81-79 (1)/77 दिनांक 10.4.1981	10.4.1981	7.06, 8.02, 10.02
5.	चौथा	सं. 6650/15-10-81-15 (112)-80 दिनांक 29.3.1982	15.4.1978	18.01, 18.04, 18.06 18.07, 18.10, 18.17
6.	पांचवाँ	सं. 2142/15-10-82-15 (23)-81 दिनांक 31.5.1982	31.5.1982	10.01
7.	छठाँ	सं. 816/15-10-83 दिनांक 19.2.1983	19.2.1983	7.01, 7.02, 7.05 क, 7.10 क
8.	सातवाँ	सं. 5016/15-10-83-15 (69)-80 दिनांक 17.9.83	1.7.1981	14.25
9.	आठवाँ	सं. 2106/15-10-84-15 (3)- दिनांक 22.6.1984	15.4.1978	14.18
10.	नवाँ	सं. 4495/15-10-84-15 (105)-82 दिनांक 29.9.1984	29.9.1984	अध्याय 18-क परिनियम-18क .01
11.	दसवाँ	सं. 4924/15-10-84-1 (3)-82 दिनांक 30.11.84	30.11.1984	2.12 से 2.30, 3.01क, 3.01, 3.02, 4.02, 5.02, 7.02, अध्याय 8 क शीर्षक, 8.04 से 8.07, अध्याय 9क (परिनियम 9.03 से 9.08, अध्याय 10, परिनियम 14.01 क से 14.31 क अध्याय 15 क : परिनियम 15.01क से 15.09 क तथा परिशिष्ट ‘ख’
12.	ग्यारहवाँ	सं. 932/15-10-85-15 (75)-83 दिनांक 29.3.1985	15.4.1978	अध्याय-2क (नया) परिनियम 2.01 के अध्याय 20 (नया) परिनियम 20.01 से 20.6
13.	बारहवाँ	सं. 3357/15-10-85-10 (6)-85 दिनांक 26.6.1985	26.6.1985	14.24 क (3) का परन्तुक, 14.25 का परन्तुक
14.	तेरहवाँ	सं. 1490/15-10-85-1 (3)-82 दिनांक 4.7.1985	4.7.1985	7.06, 7.09
15.	चौदहवाँ	सं. 3660/15-10-85-1 (6)-80 दिनांक 30.9.1985	2.8.1984	14.25 का द्वितीय परन्तुक, (नया)
16.	पन्द्रहवाँ	सं. 2181/15-10-85-9 (6)-80 दिनांक 30.9.1985	30.9.1985	10.14 (नया) तथा 15.05 क एवं ख परिशिष्ट-ङ नया
17.	सोलहवाँ	सं. 3260/15-10-87-15 (382)86 दिनांक 8.7.1987	8.7.1987	19.05, 19.06 (नया)
18.	सत्रहवाँ	सं. 227/15-10-87-79 (1)-77 दिनांक 5.10.1987	5.10.1987	7.06, 7.09
19.	अठारहवाँ	सं. 5210/15-10-87-15 (1)-85 दिनांक 12.11.1987	16.3.1987	7.06, 10.01, 10.14
20.	उन्नीसवाँ	सं. 3762/15-10-87-15 (357)-85 दिनांक 30.12.87	16.3.1979	18.07
21.	बीसवाँ	सं. 3450/15-10-88-8 (6)-87 दिनांक 8.6.1988	8.6.1988	2.12
22.	इक्कीसवाँ	सं. 4175/15-10-88-15 (382)-86 दिनांक 24.6.1988	24.6.1988	19.06
23.	बाईसवाँ	सं. 4414/15-10-88-15 (185)-84 दिनांक 30.6.88	30.6.1988	14.24 क परन्तुक, 14.25 के परन्तुक

24.	तेईसवाँ	सं. 5286/15-10-88-15 (299)-85 दिनांक 30.8.1988	30.8-1988	18.03(3) तथा 18.06
25.	चौबीसवाँ	सं. 4177/15-10-88-79 (1)-77 दिनांक 8.9.1988	8.9.1988	7.06 (24) नया
26.	चौबीसवाँ	सं. 6790/15-10-88-15 (226)-84 दिनांक 25.3.1989	25.3.1989	12.05 (नया)
27.	छब्बीसवाँ	सं. 5866/15-10-90-15 (9)-88 दिनांक 31.12.90	31.12.1990	10.01, 10.14 (6)
28.	सत्ताईसवाँ	सं. 215/15-10-95-15 (14)-93 दिनांक 13.1.95	13.1.1995	10.01 (6), 10.14 (6), 10.15

टिप्पणी : उपर्युक्त समस्त संशोधन, राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक के रूप में, विधायी परिशिष्ट भाग-4 (सामान्य परिनियम नियम) में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किये गये। चौबीसवां संशोधन दो बार हुआ है।

महामहिम श्री कुलाधिपति द्वारा किये गये संशोधन

क्रमांक	आदेश संख्या एवं तिथि	प्रवृत्त होने की तिथि	प्रभावित परिनियम
1.	सं. ई- 7445/जी.एस. दिनांक 12.10.1994	दिनांक 12.10.1994	7.07, 7.09
2.	सं. ई-7355/जी.एस. दिनांक 30.11.1995	दिनांक 30.11.1995	7.01, 7.10
3.	सं. ई-7351/जी.एस. दिनांक 30.11.1995	दिनांक 30.11.1995	7.06
4.	सं. ई-1358/जी.एस. दिनांक 2.4.1996	दिनांक 2.4.1996	7.09
5.	सं. ई-3318/जी.एस. दिनांक 13.8.1996	दिनांक 13.8.1996	18.17
6.	फैक्स-91 दिनांक 24.2.97	दिनांक 24.2.1997	7.01, 7.09, 7.10, 7.10 ग, 7.10 घ, 7.10 च

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

प्रथम परिनियमावली, 1978

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 50 (1)

1—01—(1) यह परिनियमावली डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1978 कहलायेगी।

(2) यह दिनाँक 15 अप्रैल, 1978 से प्रवृत्त होगी।

धारा 50 (1)

1.02 (1) विश्वविद्यालय से प्रवृत्त ऐसे सभी विद्यमान से असंगत हों ऐसी असंगति की सीमा तक एतदद्वारा विखंडित किये जाते हैं और तुरन्त प्रभावहीन हो जायेंगे, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हो या जाने से दूट दी गई हो।

(2) सरकारी अधिसूचना संख्या 7251/15—10— 75—60 (115)173, दिनाँक 20 अक्टूबर, 1975 द्वारा तथा समय—समय पर संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 4546/15—10—75, दिनाँक 25 जुलाई, 1975 के साथ जारी की गई उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रामि परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हतायें), 1975 डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनाँक से निरस्त हो जायगी।

धारा 50 (1)

1.03—इस परिनियमावली, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अनिनियमित है और समय—समय पर संशोधित हैः

(ख) 'खण्ड' का तात्पर्य परिनियम के उस खण्ड से है जिसमें उक्त पद आया हो;

(ग) 'धारा' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से है; और

1—शासकीय अधिसूचना संख्या 1321/15—10—78—79(1)/77, दि0 1 अप्रैल, 1978 द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के असाधारण अंक में विधायी परिशिष्ट, भा 4—खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में दि0 1 अप्रैल, 1978 को प्रकाशित हुई।

(ङ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो इस परिनियमावली में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नही हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए गये हैं।

धारा 49 तथा धारा 50

1.04– इस परिनियमावली में किसी अध्यापक की आयु के सम्बन्ध में सभी निर्देश सम्बद्ध अध्यापक के जन्म दिनाँक के अनुसार आयु के प्रति, जो उसके हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में यह उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा प्रमाण–पत्र में उलिलखित हो, निर्देश समझे जायेंगे।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय के अधिकारी और अन्य कार्य निर्वाहक

कुलाधिपति

धारा 10 (4) तथा धारा 49 (ग)

2.01 (1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर जो उनहें धार 68 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अिवा सूचना जिसे वह आवश्यक समझें, मॉग सकते हैं और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँग सकते हैं।

(2) जहाँ कुलाधिपति खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना माँगे, वहाँ कुलसचिव का यह सुनिश्चित करना कर्तब्य होगा कि ऐसा दस्तावेज या सूचना तुरन्त उन्हें भेज दी जाय।

(3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जान बूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है और यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, कुलपति को आदेश द्वारा हटा सकते हैं।

(4) कुलाधिपति को खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जॉच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको अनुध्यात करते हुए कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।

कुलपति

धारा 13 (6) तथा धारा 49 (ग)

2.02 कुलपति को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय से अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, वित्त अथवा महाविद्यालय में अनुशासन अथवा अध्यापन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले किसी विषय के सम्बन्ध में जिस दस्तावेज या सूचना को वह उचित समझें उसको मंगाने की शक्ति होगी।

वित्त अधिकारी

धारा 9 (ङ)

2.03– जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा जब वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तब्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तब्यों का पालन कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से नाम निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना साध्य न हो तो कुलसचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे कुलपति नाम निर्दिष्ट करें।

धारा 15 (7) और धारा 49 (ग)

2.04– वित्त अधिकारी–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ख) किसी भी वित्तीय मामले में परामर्श या तो स्वतः या उसका परामर्श अपेक्षित होन पर दे सकता है;

(ग) नकद तथा बैंक बैलेस की स्थिति तथा विनिधान की स्थिति पर सतत् दृष्टि रखेगा;

(घ) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का वितरण करेगा और उसके लेखे रखेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपयोग में आने वाली अन्य सामग्रियों के स्टाक की नियमित जाँच की जाती है;

(च) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमित्ताओं की सम्यक् परीक्षा करेगा और सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी जिसे वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, मंगा सकेगा;

(ज) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करेगा और उन बिलों की संपरीक्षा प्रारम्भ में ही करेगा जो तत्सम्बन्धी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हो;

(झ) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें।

(ञ) अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सहायक कुल–सचिव (लेखा) के पद से न्यून विश्वविद्यालय के संपरीक्षा और लेखा अनुभाग के समस्त कर्मचारियों पर परिनियम 2.06 के खण्ड (2) और (3) के अर्थान्तर्गत अनुशासनिक नियन्त्रण रखेगा और उप/सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखा अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

2.05– यदि वित्त अधिकरी के कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रश्न राजय सरकार को निर्दिष्ट जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और दोनो अधिकारी उससे बाध्य होंगे।

कुलसचिव

धारा 13 (9) धारा 15 (7) तथा धारा 49 (ग)

2.06 –(1) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात्

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव

(ग) विश्वविद्यालय में लेखा और सम्परीक्षा अनुभाग के कर्मचारी।

धारा 13 (9) 16(4), 21(1) (VII), 21 (8) और 49 (ग) तथा (ङ)

(2) खण्ड (1) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति के अन्तर्गत उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को पदच्युत करने, हटाने, पंक्तियच्युत करने प्रतिवर्तित करने, उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसे अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश देने की शक्ति होगी और ऐसे कर्मचारी को जॉच होने तक की अवधि में या जॉच करने के विचार से निलम्बित करने की भी शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नही दिया जायेगा जब तक ऐसी जॉच न कर ली जाय, जिसमें कर्मचारी को उसके विरूद्ध दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो:

परन्तु, जहाँ ऐसी जॉच के पश्चात् उस पर कोई शस्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो, वहाँ ऐसी शक्ति जाँच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर आरोपित की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के सम्बन्ध में अभ्यावेदन देने का कोई अवसर देना आवश्यक नही होगा–

परन्तु, यह और कि यह खण्ड निम्नलिखित मामलों में नही लागू होगा, यद्यपि ओदश का आधार कोई आरोप हो (जिसमें दुराचरण या अक्षमता का आरोप भी सम्मिलित है), यदि ऐसे आदेश से प्रत्यक्षतः यह प्रकट न होता हो कि वह ऐसे आधार पर पारित किया गया था–

(क) किसी स्थानापन्न प्रोननत व्यक्ति को उसकी मूल पंक्ति में परिवर्तित करने का आदेश।

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवा को समाप्त करने का आदेश।

(ग) किसी कर्मचारी को उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अनिवार्य रूप से सेवा–निवृत्त करने का आदेश।

(घ) निलम्बन का आदेश।

धारा 21 तथा 49

2–07–परिनियम 2.06 में निर्दिष्ट किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनाँक से पन्द्रह दिन के भीतर परिनियम 8–01 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को (कुलसचिव के माध्यम से) अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 16

2–08 अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा–

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) धारा 16 (4) में निर्दिष्ट विभिनन प्राधिकारियों के अधिवेशनों को सम्बन्धित प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद के अधिकृत पत्र व्यवहार का संचालन करना;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिनन प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ) विश्वविद्यालय के द्वारा यह विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों का सत्यापन करना।

संकायों के संकायाध्यक्ष

धारा 27 (4) और 49 (ख)

2.09–(1) यदि किसी संकाय के संकायाध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्त हो तो वहाँ संकाय का ज्येष्ठतम अध्यापक संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) कोई व्यक्ति उस पद पर न रह जाने पर, जिसके आधार पर वह संकायाध्यक्ष का पद धारण कर पाया, संकायाध्यक्ष नहीं बना रहेगा।

धारा 27 (4) 64 (2) तथा 74 (3) (ख)

2.10–(1) कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनाँक को–

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझाा जायगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और ज्येष्ठतम में पात्र अगला अध्यापक इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनाँक से संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठताक्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष के रूप में पद धारण करेगा।

(2) ऐसी अवधि की, जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ–

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा सांकयाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, उसको निकाल दिया जायगा।

(ख) जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने की अनुमति दी गई हो, उस अवधि की गणना, यदि अन्ततः में यह पाया जाय कि उसे उक्त अवधि में उसे पद को धारण करने का विधिक हक नहीं था, अगली बार उसकी बारी आने पर उसके संकायाध्यक्ष की पदावधि में की जायगी।

धारा 18 तथा 48 (ग)

2.11–संकायाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य तथा शक्तियाँ होंगी–

(i) वह संकाय– बोर्ड के समस्त अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और यह देखेगा कि बोर्ड के विभिन्न विनिश्चय कार्यान्वित किये जाते हैं।

(ii) वह संकाय की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं को कुलपति की जानकारी में लाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) उसे अपने संकाय से सम्बन्धित अध्ययन बोर्डो के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य न हो, उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा।

छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

धारा 18, 21 (1) और 49 (ग)

2.12– छात्र –कल्याण के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के उन अध्यापकों में से; जिन्हें कम से कम दस वर्ष का अध्यापन–कार्य का अनुीाव हो और जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो, कार्य परिषद द्वारा (कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी।)[1]

धारा 11 और 49

2.13– छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त अध्यापक, अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों अतिरिक्त संकायाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेगा।

---

1. परिनियम 2.12 से 2.30 अवध विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1984 द्वारा दिनॉक 30–11–1984 से जोड़े गये।
2. अवध विश्वविद्यालय (बीसवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1998 द्वारा दि0 8 जून, 1998 से 'एक समिति की सिफारिश पर की जायेगी, जिसमें कुलपति और दो ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष होंगे।' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

धारा 49

2.14– छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी जब तक कि कार्य परिषद् द्वारा पहले ही समापत न कर दी जायः

परन्तु डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1984 के प्रारम्भ होने के दिनाँक के ठनक पूर्ववर्ती दिनाँक को संकायाध्यक्ष का पद धारण करने वाला छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष परिनियम 2.12 के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

धारा 18 और 49 (ग)

2.15–(1) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष की सहायता अध्यापकों का (जिनका चयन अध्यादेशों में निर्धारित रीति से किया जायेगा) एक दल करेगा, जो अध्यापकों के रूप में अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार चुने गये अध्यापक छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्ष कहलायेंगे।

(2) छात्र–कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों में से एक सहायक संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय की महिला अध्यापकों में से नियुक्त किया जायगा जो बालिका छात्रों के कल्याण की देखभाल करेगी।

धारा 18, 49 (ग) और (घ)

2.16–(1) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष और छात्र कल्याण के सहायक संकायाध्यक्षों का यह कर्तव्य होगा कि वे छात्रों को ऐसे मामलों में, जिनमें सहायता और मार्ग–दर्शन अपेक्षित है, सामान्यतः सहायता प्रदान करें और विशेषतया, छात्रों और भावी छात्रों कोः

(i) विश्वविद्यालय और उसके पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने,

(ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम अभिरूचि का चुनाव करने,

(iii) निवास–स्थान ढूँढ़ने,

(iv) भोजन व्यवस्था करने,

(v) चिकित्सीय सलाह और सहायता प्राप्त करने,

(vi) छात्रवृत्तियों, वृत्तिका, अंशकालिक नियोजन और अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने,

(vii) अवकाश के दिनों और शैक्षिक अध्ययन– यात्राओं के लिए यात्रा सुविधायें प्राप्त करने,

(viii) विदेश में अग्रतर अध्ययन की सुविधायें प्राप्त करने, और

(ix) विश्वविद्यालय की परम्परायें अश्रुण्ण रहे, इस उद्देश्य से उन्हें विद्या अध्ययन करने में उचित रूप से संचालित होने में सहायता करना और सलाह देना।

(2) छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष किसी छात्र के संरक्षक से किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसमें उसकी सहायता अपेक्षित हो, आवश्यकतानुसार सम्पक्र कर सकता है।

धारा 49 (ग) 2.17– छात्र–कल्याण का संकायाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक या सहायक अधीक्षक, यदि कोई हो और विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी पर सामान्य नियत्रण रखेगा। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जायें।

धारा 13 (9) 2.18– कुलपति किसी छात्र के विरूद्ध अनुशासनिक आधार पर कोई कार्यवाही करने के पूर्व छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष से परामर्श कर सकते हैं।

धारा 49 (घ) 2.19– छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है, जैसा कुलपति, राजय सरकार के पूर्वानुमोदन से, निश्चित करें।

विभागाध्यक्ष

धारा 49 2.20– विश्वविद्यालय में अध्ययापन के प्रत्येक विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक उस विभाग का प्रधान होगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

धारा 49 2.21 (1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगें, अर्थात्–

(क) कुलपति,

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न संभाले, तब तक कार्य परिषद्, ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

धारा 49 (ग) 2.22–पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें, ऐसी होंगी, जैसी अध्यादेशों में व्यवस्था की जाय।

धारा 49 (ग) 2.23–पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जायं।

धारा 49 (ग) 2.24–विश्वविद्यालय के पुस्तकालया का अनुरक्षण करना और उसकी सेवा को ऐसी रीति से, जो अध्यापन कार्य और अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना, पुस्तकालयाध्यक्ष कस कर्तव्य होगा।

धारा 49 (ग) 2.25–पुस्तकालयाध्य कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगाः

परन्तु उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरूद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश विरूद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकारी होगा।

प्राक्टर

धारा 18 और 49 (ग) 2.26–प्राक्टर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से, कुलपति की सिफारिश पर, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायगा। प्राक्टर कुलपति, को विश्वविद्यालय के छात्रों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता देगा और अनुशासन के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो उसे कुलपति द्वारा इस निमित्त सौपें जायं।

धारा 49 (ग) 2.27–प्राक्टर की सहायता के लिए सहायक प्राक्टर होंगे जिनकी संख्या कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर निश्चित की जायेगी।

धारा 49 (ग) 2.28–कुलपति प्राक्टर के परामर्श से सहायक प्राक्टर नियुक्त करेंगे।

धारा 49 (ग) और (ङ) 2.29–प्राक्टर और सहायक प्राक्टर एक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगेः

परन्तु प्रत्येक प्राक्टर या सहायक प्राक्टर जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाय, उस पद पर बना रहेगाः

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् कुलपति की सिफारिश पर, प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकती हैः

परन्तु यह भी कि कुलपति किसी प्राक्टर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व हटा सकते हैं।

धारा 49 (ग) और (ङ) 2.30–प्राक्टर और सहायक प्राक्टरों को विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसा मानदेय दिया जा सकता है जैसा कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से निश्चित करें।

अध्याय–2–क

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी

2.01–क– कार्य परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के अधिकारी होंगे।

अध्याय–3

कार्य परिषद्

धारा 20 (1) (ग) 3.01–संकायों के संकायाध्यक्ष जो धारा 20(1) (ग) के अधीन कार्य–परिषद् के सदस्य होंगे, उसी क्रम में चुने जायेंगे जिस क्रम में विभिन्न संकायों के नाम परिनियम 7.01 में प्रगणित हैं।

3.01–क–एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक, जो धारा 20 (1) (घ) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य होंगे, अपने–अपने संवर्ग से ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, चुने जायेंगे।

धारा 20 (1) (घ) 3.02– सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जो धारा 20 (1) (घ) के उपखण्ड ( ) के अधीन कार्य परिषद् के सदस्य होंगे जिनका चयन यथास्थिति ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों के रूप में ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से किया जायेगा।

परिनियम 3.02–क दिनाँक 30–11–84 से संशोधित किया गया।

धारा 20 (1) (च) 3.03–धारा 20 (1) के खण्ड (च) के अधीन चुने गये व्यक्ति बाद में विश्वविद्यालय संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या महाविद्यालय या विश्वविद्याालय के छात्रावास का छात्र होने या उसकी सेवा स्वीकार कर लेने पर कार्य परिषद् के सदस्य नहीं रह जायेंगे।

धारा 49 (क) तथा (ख) 3.04–कोई व्यक्ति एक से अधक हैसियत से कार्य–परिषद् का न सदस्य होगा और न तो सदस्य बना रहेगा, और जब कभी कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य हो जाय, तो वह उसके दो सप्ताह के भीतर यह चुन लेगा कि वह किस हैसियत से कार्य परिषद् का सदस्य रहना चाहता है और दूसरा सथान रिक्त कर देगा। यदि वह इस प्रकार चुनाव न करे, तो यह समझाा जायगा कि उसने उस स्थान को उपुर्यक्त दो सप्ताह की अवधि की समाप्त के दिनाँक से रिक्त कर दिया है, जिस पर समय की दृष्टि से वह पहले से आसीन था।

धारा 21 (8) 3.05–कार्य–परिषद् अपनी कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें वह ठीक समझे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें संकल्प में निर्दिष्ट किया जाय, प्रत्यायोजित कर सकती है।

धारा 20 तथा 49 (ख) 3.06– कार्य–परिषद् के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाये जायेंगे।

धारा 20 तथा 49 (ख) 3.07–कार्य–परिषद् ऐसे किसी प्रस्ताव पर, जिसमें वित्तीय प्राविधान अन्तर्ग्रस्त हो, विचार करने के पूर्व वित्त अधिकारी की राय प्राप्त करेगी।

अध्याय–4
सभा
अध्यापकों आदि का प्रतिनिधित्व

धारा 22 (1) (vii)` 4.01–विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों तथा संस्थानों के छात्रावासों तथा छात्रनिवासों के दो प्रोवोस्ट तथा वार्डेन का, जो धारा 22(i) के खण्ड (vii) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन प्रोवोस्ट तथा वार्डेन के रूप में उनकी लगातार दीर्घकालीन सेवा के आधार पर चक्रानुक्रम से किया जायगा।

परिनियम 3.01–क दिनाँक 20–11–84 को जोड़ा गया।

धारा 22 (1) (ix) 4.02–(1) ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धार 22 (1) के खण्ड (ix) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगा–

(क) विश्वविद्यालय का एक उपाचार्य,
(ख) विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक,
(ग) छात्र–कल्याण के संकायाध्यक्ष,
(घ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य,
(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों के 8 अन्य अध्यापक

(2) उपर्युक्त उपाचार्यो, प्राध्यापकों, प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का चयन, यथास्थिति, उपाचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य या अन्य अध्यापक के रूप में उनकी ज्येष्ठता–क्रम में किया जायगा।

धारा 22 (1) (x) तथा 64 (3) 4.03–(1) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के दो प्रतिनिधि, जो धारा 22 (1) के खण्ड (ग) के अधीन सभा के सदस्य होंगे, उनका चयन उसी क्रम में चक्रानुक्रम में, सबसे पुराने महाविद्यालय से लेकर किया जायेगा।

(2) प्रतिनिधित्व करने वाला प्रबन्धतंत्र, सभा के किसी अधिवेशन में अपने किसी सदस्य (जिसके अन्तर्गत सभापति भी है) को भेजने के लिए स्वतन्त्र होगा।

स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण तथा सभा में उनका प्रतिनिधित्व–

धारा 16 (4) तथा 49 (थ) 4.04–कुलसचिव अपने कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का एक रजिस्टर रखेगा, जिसे आगे इस अध्याय में रजिस्टर कहा गया है।

धारा 49 (थ) 4.05–रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण होंगे–

(क) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का नाम तथा पता,
(ख) उनके स्नातक होने का वर्ष,
(ग) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नाम जहाँ से वे स्नातक हुये,
(घ) रजिस्टर में स्नातक का नाम दर्ज किये जाने का दिनाँक,
(ङ) ऐसे अन्य ब्योरे, जिनके बारे में कार्य परिषद् समय–समय पर निर्देश दें।

टिप्पणी–ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के नाम काट दिये जायेंगे जिनकी मृत्यु हो गयी हो।

धारा 49 (थ) 4.06– विश्वविद्यालय का प्रत्येक स्नातक कार्य–परिषद्, द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में आवेदन पत्र देने पर इक्वान रूपये की फीस देने पर रजिस्टर में अपना नाम उस दीक्षान्त समारोह के दिनाँक से दर्ज कराने का हकदार होगा जिसमें वह उपाधि प्रदान की गयी थी या

परिनियम 4.02 दिनाँक 30–11–84 को संशोधित किया गया।

उसके उपस्थित रहने पर प्रदान की गयी होती, जिनके आधार पर उसका नाम दर्ज करना है। आवेदन–पत्र स्नातक द्वारा स्वयं दिया जायेगा और उसे या तो स्वयं कुलसचिव को दिया जा सकता है या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक आवेदन–पत्र एक ही आवरण में प्राप्त हों, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे महाविद्यालय का, जो मूलतः किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, और अब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है प्रत्येक स्नातक भी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रीकृरण के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है, परन्तु वह उपाधि के आधार पर किसी अन्य विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रकृत स्नातक न हो।

धारा 49 (ण) 4.07–आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर कुलसचिव, यदि यह ज्ञात हो कि स्नातक सम्यक् रूप से अर्ह है और विहित फीस दे दी गयी है, आवेदक का नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा।

धारा 49 (थ) 4.08–कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जिसका नाम निर्वाचन की अधिसूचना के दिनाँक के पूर्ववर्ती 30 जून को एक वर्ष या उससे अधिक अवधि से रजिस्टर में लिखा हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत (वोट) देने का हकदार होगाः

परन्तु एक वर्ष का निर्बन्धन इस परिनियमावली के प्रकाशित होने पर सभा के लिए होने वाले रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रथम निर्वाचन पर लागू नही होगा।

धारा 22 (1) (xi) तथा 49 (थ) 4.09–कोई रजिस्ट्रकृत स्नातक धारा 22 (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचन में खड़े होने के लिए पात्र होगा, यदि उसका नाम निर्वाचन के दिनाँक के पूर्ववर्ती 30 जून को कम से कम तीन वर्ष तक रजिस्टर में दर्ज रहा होः

परन्तु तीन वर्ष का निर्बन्धन इस परिनियामवली के प्रकाशित होने पर सभा के लिए होने वाले रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रथम निर्वाचन पर लागू नही होगा।

धारा (1) (xi) तथा 49 (थ) 4.10–धारा 21 (1) के खण्ड (xi) के अधीन निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधि विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रावास छात्रनिवास की सेवा में प्रवेश करने पर अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र–निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध हो जाने पर अथवा छात्र हो जाने पर सदस्य नही रह जायेगा, और इस प्रकार रिक्त हुए स्थान को ऐसे उपलब्ध व्यक्ति द्वारा जिसे पिछले निर्वाचन के समय ठीक बाद में पड़ने वाले अधिकतम मत प्राप्त हुए हों, शेष कार्यकाल के लिए भरा जायगा।

4.11–कोई रजिस्ट्रीकृत स्नातक, जो पहले से ही किसी अन्य हैसियत से सभा का सदस्य हो, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन में खड़ा हो सकता है और इस प्रकार उसके निर्वाचित हो जाने पर परिनियम 3.03 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। **धारा 22 (1) (xi) तथा (xii)**

4.12–इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का निर्वाचन परिशिष्ट 'क' में निर्धारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा। **धारा 22 (1) (xi)**

4.13–सभा के सदस्यों का कार्यकाल सभा के प्रथम अधिवेशन के दिनाँक से प्रारम्भ होगा। **धारा 22 (2) तथा 49 (ख)**

अध्याय–5

विद्या परिषद्

5.01– विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों से जो तीन प्राचार्य धारा 25 (2) के खण्ड (xii) के अधीन विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे, उनका चयन ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्य के रूप में उनकी ज्येष्ठताक्रम में किया जायगा। **धारा 25 (2) (vii) 25 (3) तथा 49 (ख)**

5.02– ऐसे पन्द्रह अध्यापकों का, जो धारा 25 (2) के खण्ड (vii) के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होंगे, चयन निम्नलिखित रीति से किया जायगाः **धारा 25 (2) (vii) तथा 4**

(क) ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, विश्वविद्यालय का एक उपाचार्य,

(ख) ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक,

(ग) ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम से, सम्बद्ध महाविद्यालयों के ग्यारह अध्यापक (जो प्राचार्य न हों)।

टिप्पणी–(1) एक ही संकाय के एक से अधिक प्राध्यापक और एक ही सम्बद्ध महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन सदस्य नहीं होंगे।

(2) यदि एक ही संकाय के एक से अधिक प्राध्यापक और एक ही महाविद्यालय के दो से अधिक अध्यापक इस परिनियम के अधीन विद्या परिषद् के सदस्य होने के हकदार हों तो, ज्येष्ठतम प्राध्यापक और ज्येष्ठतम विद्या परिषद् के सदस्य होंगे। ऐसे प्राध्यापक और अध्यापक जो इस प्रकार रह जायेंगे, उनकी बारी, चक्रानुक्रम से अगली बार आयेगी।

5.03– शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित पाँच व्यक्ति, जो धारा 25 (2) के खण्ड (गप) के अधीन विद्यापषिद् के सदस्य होंगे। उपकर सहयोजन उक्त धारा के खण्ड 1 से (ग) में उल्लिखित सदस्यों द्वारा, जिनका अधिवेशन कुलसचिव बुलायेगा, उन व्यक्तियों में से किया जायगा **धारा 25 (2) (xi) 25 तथा 49 (ख)**

परिनियम 5.02 दिनाँक 30–11–84 से प्रतिस्थापित।

जो विश्वविद्यालय, घटक महाविद्यालय – संस्थान, सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्र निवास या छात्रावास के कर्मचारी न हों।

धारा 25 (3) तथा 49 (ख)

5.04– धरा 25 (2), के खण्ड (vi), (vii), (viii) और (ix) के अधीन सदस्य तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

धारा 25 (1) (ग)

5.05– अधिनियम, इस परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या–परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्–

(i) अध्ययन बोर्ड के द्वारा संकायों के माध्यम से प्रेषित पाठ्यक–क्रम विषयक प्रस्तावों की संवीक्षा करना और उन पर अपनी सिफारिश करना तथा कार्य–परिषद् विचारार्थ उन सिद्वानतों और मापदण्डों की सिफारिश करना जिनके आधार पर परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किया जाय।

(ii) सभा अथवा कार्य–परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किये गये या सौंपे गये किसी भी विषय पर रिपोर्ट देना;

(iii) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता देने और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा तथा उपाधियों या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्रति उनकी समकक्षता के विषय में कार्य परिषद को सलाह देना,

(iv) विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों तथा डिप्लोमा के लिए विषय विशेष में शिक्षण देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सलाह देना; और

(v) शिक्षा सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कृत्यों को करना, जो अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

धारा 5 तथा 49 (ख)

5.06– विद्यापरिषद का अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाया जायगा।

अध्याय–6

वित्त समितिधारा 49 (ख)

धारा 49 (ख)

6.01– धारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की सदस्यता की अवधि एक वर्ष होगी, परन्तु वह अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन तक पद पर बना रहेगा। कोई भी ऐसा सदस्य लगातार तीन बार से अधिक पद धारण नहीं करेगा।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.02– व्यय की ऐसी नई मदें, जो पहिले से ही वित्तीय अनुमान में सम्मिलित न हों, निम्नलिखित दशाओं में वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेंगी–

(i) अनावर्ती व्यय, यदि उसमें दस हजार रूपये या उससे अधिक का व्यय अन्तर्ग्रस्त हों; और

(ii) आवर्ती व्यय, यदि उसमें तीन हजार रूपये या इससे अधिक का व्यय अन्तर्गस्त हो;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यह अनुमति न होगी कि वह किसी ऐसे मद को जो एक बजट शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली अनेक भागों में विभाजित की गयी हो, छोटी–छोटी धनराशियों की बहुत सी मदें मानकर कार्य करें और वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत न करें।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.03– वित्त समिति ऐसे दिनाँक को या उसके पूर्व, जिसकी अध्यादेशों द्वारा इस निमित्त व्यवस्था की जाय, परिनियम 6.02 अथवा परिनियम 6.04 के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई व्यय की समस्त मदों पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र देगी और कार्य परिषद् को संसूचित करेगी।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.04– यदि कार्य परिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करे, जिसमें परिनियम 6.02 में निर्दिष्ट आवर्ती या अनावर्ती धनराशि का व्यय अन्तर्ग्रस्त हो तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

धारा 26 (1) तथा 49 (क)

6.05– वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जायगा और तत्पश्चात कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.06– वित्त समिति के किसी सदस्य को असहमति अभिलिखित करने का अधिकार होगा, यदि वह वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत न हो।

धारा 26 (3) तथा 49 (क)

6.07– लेखा की परीक्षा करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रतिवर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन होगा।

धारा 15 (7) तथा 49 (ग)

6.08– वित्त समिति के अधिवेशन कुलपति के निदेश से बुलाये जायेंगे और वित्त अधिकारी द्वारा ऐसे अधिवेशनों को बुलाने के लिए सभी नोटिसें जारी की जायेंगी और सभी अधिवेशनों का कार्यवृत रखा जायगा।

अध्याय–7

संकाय

धारा 27 (1)

7.01– विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात्

(क) कला संकाय।

(ख) वाणिज्य संकाय।

(ग) विधि संकाय।

(घ) विज्ञान संकाय।

(ङ) शिक्षा संकाय।

(च) इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय।

(छ) गृह विज्ञान संकाय।

(ज) कृषि संकाय।

(झ) आयुर्विज्ञान संकाय।

(ञ) दन्त विज्ञान संकाय।

धारा 27 (3)

7.02– विधि, वाणिज्य, शिक्षा और इंजीयिरिंग संकायों से भिन्न अन्य संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायगा–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) एक ज्येष्ठतम् अध्यापक होगा जो या तो प्राचार्य होगा या संकाय में समाविष्ट और स्नातकोत्तर स्तर तक मान्यता प्राप्त प्रत्येक विषय के स्नातकोत्तर विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक होगा।

(iii) एक ज्येष्ठतम अध्यापक होगा जो या तो प्राचार्य होगा या संकाय में समाविष्ट और केवल प्रथम उपाधि स्तर तक मान्यता प्राप्त प्रत्येक विषय के विभाग का ज्येष्ठतम अध्यापक होगा।

(iv) उपर्युक्त खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न संकाय के तीन ज्येष्ठतम अध्यापक, परन्तु उनमें से दो एक ही विषय को प्रध्यापित न करते हों और एक ही महाविद्यालय के न हों, यदि उस विषय के अध्यापन के लिए एक से अधिक महाविद्यालय को मान्यता प्राप्त हों। इस प्रकार जो अध्यापक रह जायेंगे वह चक्रानुक्रम में अपनी बारी नही खोयेंगे।

(अ) सात व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उससे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम निर्दिष्ट किये जायें;

(क) विश्वविद्यालय के आचार्य;

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवा निवृत्त प्राचार्य;

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक;

परन्तु श्रेणी (ख) के सदस्यों की संख्या तीन से अधिक न होगी✹

(अप) संकाय में समाविष्ट विषयों में विश्वविद्यालय के समसत आचार्य।

(2) खण्ड (1) की मद संख्या (ii), (iii) और (iv) के अधीन अध्यापक ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से चुने जायेंगे।

✹ दिनाँक 30.11.1984 से बढ़ाया गया।

धारा 27 (3)

7.03– विधि सांय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायगा–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) विधि के पाँच अध्यापक होंगे जो या तो सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य होंगे या अध्यापकों में से ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे।

(iii) खण्ड (ii) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिनन सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकें में से ज्येष्ठाक्रम में चक्रानुक्रम से, विधि के पाँच अध्यापक, परन्तु वे दोनों एक ही महाविद्यालय के नही होंगे। इस प्रकार जो अध्यापक रह जायेंगे, वह चक्रानुक्रम में अगली बार अपनी बारी नही खोयेंगे।

(iv) तीन व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उनसे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों से नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(क) विश्वविद्यालयों के आचार्य;

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवानिवृत्त प्राचार्य;

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक;

(v) जिला न्यायाधीश, फैजाबाद।

धारा 27 (3)

7.04– वाणिज्य संकाय बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा :

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) सम्बन्धित विषय के पाँच अध्यापक होंगे जो या तो सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य होंगे या अध्यापकों में से, ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से स्नातकोत्तर विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे।

(iii) खण्ड (ii) में उल्लिखित प्राचार्यों और अध्यापकों से भिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों में से, ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से, स्नातकोत्तर कक्षाओं को प्रध्यापित करने वाले तीन अध्यापक, परन्तु एक से अधिक एक ही महाविद्यालय का नहीं होगा। इस प्रकार चक्रानुक्रम में जो अध्यापक रह जायेंगे, वह अगली बार अपनी बारी नही खोयेंगे।

(iv) विश्वविद्यालय में अर्थशासत्र के अध्यापन बोर्ड का संयोजक।

(v) तीन व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उनसे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(क) विश्वविद्यालयों के आचार्य;

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवानिवृत्त प्राचार्य;

(ग) अनुसंधान संस्थानों के निदेशक;

परन्तु उपर्युक्त में से कम से कम दो व्यक्ति श्रेणी (क) और (ख) के होंगे।✸

धारा 27 (3)

7.05– शिक्षा संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायगा–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) शिक्षा के पाँच अध्यापक होंगे जो सम्बद्ध महाविद्यालयों के या तो प्राचार्य होंगे या अध्यापकों में से, ज्येष्ठता–क्रम में, चक्रानुक्रम में, विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक होंगे, परन्तु उनमें से कम से कम दो उस विभाग के होंगे, जहाँ एम0एड0 स्तर तक पढ़ाया जाता हो।

(iii) उपर्युक्त खण्ड (ii) उल्लिखित प्राचार्य और अध्यापकों से भिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों में से ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से तीन अध्यापक, परन्तु उनमें से एक से अधिक एक ही महाविद्यालय का नही होगा। इस प्रकार चक्रानुक्रम में जो अध्यापक रह जायेंगे वह अगली बार अपनी बारी नही खोयेंगे।

(iv) सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, फैजाबाद {पदेन}।

(अ) तीन व्यक्ति जो संकाय में समाविष्ट विषयों या उससे सम्बद्ध विषयों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों और विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में न हों, कुलपति द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में से नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगेः–

(क) विश्वविद्यालयों के आचार्य,

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के वर्तमान या सेवानिवृत्त प्राचार्य

7.05 क– इंजीनियरिंग संकाय का बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित किया जायेगा–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा।

(ii) संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के समस्त विभागाध्यक्ष और समस्त आचार्य।

(iii) मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, मदनमोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर और हर्टको बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर के भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, मानविकी या व्यावहारिक विज्ञान और मानविकी विभाग के विभागाध्यक्षों या आचार्यों में से चार व्यक्ति जिन्हें कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(iv) ऐसे विभागों से जिनका प्रतिनिधित्व श्रेणी (ii) के अधीन नही हुआ है, एक सहायक आचार्य (उपाचार्य) और एक प्राध्यापक ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए फिर भी व्यवहारिक विज्ञान और मानविकी विभाग की स्थिति में, प्राध्यापकों की संख्या दो होगी, जिनमें से एक मानविकी और दूसरा व्यावहारिक विज्ञान से होगा।

धारा 27 (3)

(v) ऐसे पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो व्यक्ति डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से भिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों से इंजीनियरिंग विषय के अध्यापक होंगे, दो व्यक्ति अध्यापकों से भिन्न ऐसे व्यक्ति होंगे जो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञीय जानकारी रखते हों और एक व्यक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित किसी इंजीनियरिंग या विज्ञान संस्थान का निदेशक होगा।✸

7.06– कला संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे– धारा 27 (2)

(1) संस्कृत
(2) हिन्दी
(3) उर्दू
(4) अंग्रेजी
(5) दर्शनशास्त्र
(6) मनोविज्ञान
(7) प्राचीन इतिहास
(8) राजनीतिशास्त्र
(9) अर्थशास्त्र
(10) भूगोल
(11) समाजशास्त्र
(12) गणित
(13) सैन्य विज्ञान
(14) शिक्षा विज्ञान
(15) मध्यकालीन तथा आधुनिक इतिहास
(16) संगीत
(17) अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास
(18) इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व
(19) शारीरिक शिक्षा
(20) भाषा विज्ञान
(21) पुस्तकालय विज्ञान
(22) चित्रांकन एवं चित्रकारी
(23) पत्रकारिता
(24) गृह विज्ञान

✸दिनाँक 03–11–84 से बढ़ाया गया।

✸परिनियम 7.05–क दिनाँक 19–2–83 की अधिसूचना द्वारा उसी तिथि से बढ़ाया गया।

(25) प्रौढ़ और क्रमागत (एडल्ट एण्ड कन्टीन्युइंग) शिक्षा

धारा 27 (2) 7.07– वाणिज्य संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगेः–

(1) वाणिज्य

(2) विजनेस मैनेजमेनट इण्टरप्रिन्योरशिप

धारा 27 (2) 7.08– विधि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगेः–

(1) विधि

धारा 27 (2) 7.09– विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगेः–

(1) भौतिक विज्ञान

(2) रसायन विज्ञान

(3) वनस्पति विज्ञान

(4) जीव विज्ञान

(5) गणित

(6) सैन्य विज्ञान

(7) सालिड स्टेट फिजिक्स (इलेक्ट्रानिक्स)

(8) गणित एवं सांख्यिकी

(9) पशुपालन एवं दुग्धशाला विज्ञान (डेरी साइंस)

(10) गृह विज्ञान

(11) पुस्तकालय विज्ञान

(12) बायोकैमिस्ट्री

(13) माईक्रोबायलोजी

(14) पर्यावरण विज्ञान

(15) इलेक्ट्रानिक्स एवं स्पेश कम्यूनिकेशन

धारा 27 (2) 7.190– शिक्षा संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) शिक्षा विभाग

(2) शैक्षिक प्रबन्धन एवं शोध

धारा 27 (2) 7.10–क–इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे–

(1) यंत्रिक इंजीनियरिंग।

(2) विद्युत इंजीनियरिंग।

(3) सिविल इंजीनियरिंग।

(4) व्यावहारिक विज्ञान और मानविकी।

(5) इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग।

(6) कम्प्यूटर इंजीनियरिंग।

(7) फार्मेसी।

7.10–(ख)– गृह विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे– **धारा 27 (2)**

(1) खाद्य एवं पोषण

(2) गृह प्रबन्ध

(3) वस्त्र एवं तन्तु विज्ञान

(4) चाईल्ड डेवलपमेन्ट

(5) होम मैनेजमेन्ट

(6) बेसिक साईन्सेज एवं ह्यूमिनिटीज

7.10 (ग) कृषि संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगे– **धारा 27 (2)**

(1) एग्रोनामी

(2) हार्टिकल्चर एण्ड एग्रीकल्चरल बाटनी

(3) एनिमल हस्बेनड्री एण्ड डेयरिंग

(4) एग्रीकल्चरल केमेस्ट्री

(5) एन्टीमोलोजी

(6) एनिमल साइंस

(7) बेसिक साइंस

(8) बायोकेमेस्ट्री

(9) क्रायफिजियालोजी

(10) फारेस्ट्री

(11) फूड टेक्नोलोजी

(12) जैनिटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रिडिंग

(13) जनरल माईक्राबायलोजी

(14) फिसरिज

(15) कृषि एवं पशुपालन

7.10 (घ) आयुर्विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगेः– **धारा 27 (2)**

(1) एनाटमी

(2) फिजियालोजी

(3) बायोकेमेस्ट्री एण्ड बायोफिजिक्स

(4) फार्माकोलाजी

(5) पैथालोजी

(6) माईक्रोबायलोजी

(7) कम्युनिटी मेडिसिन (सोरोल एण्ड प्रिवेन्सीव मेडिसिन)

(8) फोरेनिसिक मेडिसिन

(9) रेडियोलोजी एण्ड रेडियोथेरेपी

(10) एनेस्थेसियोलोजी

(11) मेडिसिन एण्ड इट्स स्पैसिलिटीज

(12) सर्जरी एण्ड इट्स स्पेसिलिटीज

(13) आब्सटेट्रिक्स एण्ड गायनाकोलोजी

(14) आर्थोपेडिक्स सर्जरी

(15) आफ्थाल्मोलोजी

(16) आटोहानिलारीगलोजी

(17) पिडियाट्रिक्स

धारा 27 (2) 7.10 (च) दन्त विज्ञान संकाय में निम्नलिखित विभाग होंगेः

(1) ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलोजी

(2) कन्जरवेटीव डेन्टीस्ट्री एण्ड इन्डोडेन्टीस्ट्री

(3) ओरल एण्ड मैक्सीलोकेसियन सर्जरी

(4) आर्थोडेन्टीक्स एण्ड डेन्टल मैटेरियल्स

(5) आर्थोडेन्टीक्स एण्ड डेन्टल एनाटोमी

(6) पीडोडिन्टीक्स

(7) ओरल पैथालोजी एण्ड माईक्रोलोजी

(8) पेरियोडेन्टीक्स

धारा 27 (2) 7.11–(1) इस अध्याय में उपबन्धित के सिवाय, संकाय के बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) संकाय के बोर्ड का अधिवेशन उसके अध्यक्ष के निर्देश से बुलाया जायेगा।

7.12– अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संकाय के बोर्ड की निम्नलिखित शक्ति होगी, अर्थात्–

(i) शिक्षा के पाठ्य–क्रम के सम्बन्ध में सम्बद्ध अध्ययन बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् विद्या–परिषद् को सिफारिश करना।

(ii) विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में संकाय को सौंपे गये विषयों में विद्या–परिषद् को सिफारिश करना।

(iii) अपने कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और विद्या–परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट मामले पर विचार करना और विद्या परिषद् को सिफारिश करना।

7.13– परन्तु इस अध्याय की किसी बात का वह अर्थ नही लगाया जायगा कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का कोई विभाग, जो इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने पर विद्यमान न हों, खोलने का प्राधिकार है, जब तक कि कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन न प्राप्त कर लिया जाय और इसके लिए आवश्यक अनुदान सुनिश्चित न हो जाय।

अध्याय–8

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी और निकाय

अनुशासनिक समिति

8.01–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और कार्य परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे। **धारा 49**

परन्तु यदि कार्य–परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।

(2) कार्य–परिषद् कोई मामला एक अनुशासनिक समिति किसी दूसरी अनुशासनिक समिति को किसी प्रक्रम पर अन्तरित कर सकती है।

8.02–(1) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे– **धारा 49**

(क) परिनियम 2.07 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना,

(ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे समय–समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपें जांय।

(2) समिति के सदस्यों में, मतभेद होने की दशा में बहुमत विनिश्चय अभिभावी होगा।

✸(3) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायगी जिससे कार्य परिषद् मामले में अपना विनिश्चय कर सकें।

परीक्षा समिति

8.03– परीक्षा समिति, धारा 29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों या उप समिति की सिफारिश पर किसी परीक्षार्थी किसी भावी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर सकती है यदि समिति की राय में ऐसा परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो। **धारा 29 तथा 49 (क)**

विभागीय समितियाँ

8.04– परिनियम 2.20 के अधीन नियुक्त विभागाध्यक्ष की

✸ 1981 में संशोधित।

✸ परिनियम 8.04 से 8.07 दिनाँक 30–11–84 की अधिसूचना से जोड़े गये।

सहायता के लिए विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागीय समिति होगी।

8.05– विभागीय समिति में निम्नलिखित होंगे–

(i) विभागाध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा।

(ii) विभाग के समस्त आचार्य और यदि कोई आचार्य हो तो विभाग के समस्त उपाचार्य।

(ii) यदि किसी विभाग में आचार्य और उपाचार्य भी हों तो ज्येष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से, तीन वर्ष की अवधि के लिये दो उपाचार्य।

(iv) यदि किसी विभाग में उपाचार्य और प्राध्यापक भी हो तो एक प्राध्यापक और यदि किसी विभाग में कोई उपाचार्य न हो तो ज्येष्ठता के अनुसार, चक्रानुक्रम से, दो प्राध्यापक तीन वर्ष की अवधि के लियेः

परन्तु किसी विषय या विद्या–विशेष से विशेषतः सम्बद्ध किसी मामले के लिये उस विषय या विद्या–विशेष का ज्येष्ठतम अध्यापक यदि उसे पूर्ववर्ती शीर्षकों में पहले ही सम्मिलित न किया गया हो, उस मामले के लिये विशेषतः आमन्त्रित किया जायगा।

8.06– विभागीय समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे–

(i) विभाग के अध्यापकों में अध्यापन कार्य के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ii) विभाग में अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों के समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देना;

(iii) विभाग में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में जिसके लिये विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी हो, सिफारिश करना।

(iv) विभाग के समान्य और विद्या–विषयक रूचि के मामले पर विचार करना;

8.07– समिति का अधिवेशन एक तिमाही में कम से कम..... बार होगा। अधिवेशन के कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किये जायगा।

अध्याय–9

बोर्ड

धारा 49

9.01– विश्वविद्यालय में संकाय बोर्डो तथा अध्ययन बोर्डो के अतिरिक्त छात्र कल्याण बोर्ड भी होगा।

धारा 49

9.02– छात्र कल्याण बोर्ड की शक्ति, कृत्य तथा गठन.......... होगा जैसा अध्यादेशों में निर्धारित किया जाय।

परन्तु छात्र कल्याण बोर्ड से सम्बन्धित अध्यादेशों में .... के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था होगी और ऐसे छात्र प्रतिनिधित्व का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

अध्याय–9–क

अध्यापकों का वर्गीकरण

धारा 31 और 49 (घ)

9.03– विश्वविद्यालय के अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे–

1. आचार्य;
2. उपाचार्य; और
3. प्राध्यापक।

धारा 31 और 49 (घ)

9.04– विश्वविद्यालय के अध्यापक विषयों के लिये राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जायेंगेः

परन्तु अंशकालिक प्राध्यापक उन विषयों के लिए नियुक्त किये जा सकते हैं, जिमें विद्या परिषद् की राय में, ऐसे प्राध्यापकों की, अध्यापन–कार्य के हित में या अन्य कारण से, आवश्यकता हो। ऐसे अंशकालिक अध्यापक उतना वेतन पा सकते हैं, जिसे सामन्वयतया उस पद के, जिस पर वे नियुक्त किये जायें, प्रारम्भिक वेतन के आधे से अधिक न हो, अनुसंधान सहचर या अनुसंधान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

धारा 31 और 49 (घ)

9.05– कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित को नियुक्त कर सकती है–

(1) इस निमित्त अध्यादेशों के अनुसार विशिष्ट शर्तों पर शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट योग्यता के आचार्य।

(2) अवैतनिक प्रतिष्ठित (एमिरिटस) आचार्य,

(i) जो विशिष्ट विषयों पर व्याखान देंगे;

(ii) जो अनुसंधान–कार्य का मार्ग दर्शन करेंगे;

(iii) जो सम्बद्ध संकाय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होंगे और उसके विचार–विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें मद देने का अधिकार नहीं होगा;

(iv) जिन्हें यथासम्भव, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में अध्ययन और अनुसंधान कार्य करने की सुविधायें प्रदान की जायेगी; और

(v) जो समस्त दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होने के हकदार होंगेः

परन्तु कोई व्यक्ति विभाग में अवैतनिक प्रतिष्ठित (एमिरिटस) आचार्य के रूप में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर

अध्याय 9–क तथा 10 अथवा विश्वविद्यालय (दसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1984 द्वारा अधिसूचना दिनाँक 30–11–1984 द्वारा जोड़े गये।

विश्वविद्यालय में या उसके किसी प्राधिकारी या निकाय में कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।

धारा 21 (1) (xvii), 31 और 49 (ण)

9.06– शिक्षक या अध्यापन अनुसंधान सहायक ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जिनकी अध्यादेशों में व्यवस्था की गयी हो, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये जा सकते हैं।

धारा 31 और 49 (ण)

9.07–(क) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और अन्य अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान में पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किये जायेंगे।

(ख) परिनियम 17.02 के खण्ड (पअ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंशकालिक अध्यापकों का अनुपात किसी भी समय सम्बद्ध विभाग में पूर्णकालिक अध्यापकों की कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक न होगाः

परन्तु यदि किसी विभाग में अध्यापकों की संख्या चार से कम हो तो कुलपति एक अंशकालिक अध्यापक नियुक्त करने की अनुज्ञा हो सकता हैः

परन्तु यह और कि विधि विभाग में अंशकालिक अध्यापकों का अनुपात उस विभाग में पूर्णकालिक अध्यापकों की संख्या का आधा हो सकता है।

धारा 49 (ण)

9.08– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में कोई अंशकालिक अध्यापक उस महाविद्यालय में काई अन्य पद धारण नही करेगा।

अध्याय–10

भाग–1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अर्हतायें और नियुक्ति

10.01–(1) कला संकाय (संगीत, चित्रांकन और चित्रकारी विभागों के सिवाय) और वाणिज्य और विज्ञान संकायों की स्थिति में, विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(2) शिक्षा संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि (अर्थात् एम0एड0 की उपाधि) और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(3) विधि संकाय की स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित विधि में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

परिनियम 10.01(1) से (6) अवध विश्वविद्यालय (पच्चीसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1989 द्वारा दिनाँक 25 मार्च, 1989 से प्रतिस्थापित।

(4) कला संकाय में संगीत, चित्रांकन और चित्रकारी विभागों की स्थिति में, विश्वविद्यालय में किसी प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात्–

या तो

सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख;

या

संबद्ध विषय में या उच्चस्तरीय सराहनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार।

(5) इस परिनियम के प्रयोजन के लिए–

(क) कोई ऐसा अभ्यर्थी (शिक्षा और विधि संकाय में प्रध्यापक के पद के लिए किसी अभ्यर्थी से भिन्न) जिसने या तो स्नातक की उपाधि में 55 प्रतिशत अंक और इण्टरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अविच्छिन्न उत्तर शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा।

(ख) शिक्षा संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसने या तो बी0एड0 की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दानों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायगा;

(ग) विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसे या तो विधि स्नातक (एल–एल0बी0) की उपाधि परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक और किसी अन्य स्नातक की उपाधि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी या दोनों परीक्षाओं में से प्रत्येक में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख वाला कहा जायेगा।

(6) प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्राध्यापक के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाले किसी व्यापक परीक्षण, यदि कोई हो, में अर्हता प्राप्त की हो।

(1) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(2) जिसे 31 दिसम्बर, 1993 तक पी0एच0डी0 की उपाधि प्रदान की गयी हो, या

(3) जिसने 31 दिसम्बर, 1993 तक पी0एच0डी0 की उपाधि के लिए शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया हो, या

(4) जिसे 31 दिसम्बर, 1992 तक एम0फिल0 की उपाधि प्रदान की गयी हो,

ऐसे किसी व्यापक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

धारा 49 10.02 (1) कला संकाय (संगीत विभाग को छोडत्रकर) और वाणिज्य और विज्ञान संकाय की स्थिति में,

(क) विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें होंगी, अर्थात्–

(i) डाक्टर की उपाधि या समकक्ष प्रकाशित रचना सहित शैक्षणिक अभिलेख और अनुसंधान कार्य या अध्यापन पद्धति में अभिनवीकरण या अध्यापन सामग्री के उत्पादन में सक्रिय रूप से कार्यरत; और

(ii) अध्यापन या अनुसंधान कार्य का पाँच वर्ष का, जिसमें कम से कम तीन वर्ष अध्यापक के रूप में या किसी समकक्ष स्थिति में कार्य करने का अनुभव;

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसने चयन समिति की राय में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया हो, उपखण्ड (ii) में दी गयी अपेक्षायें शिथिल की जा सकती हैं।

(ख) विश्वविद्यालय में आचार्य के पद के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें होंगी, अर्थात्–

या तो–

उच्च कोटि की प्रकाशित रचना सहित प्रख्यात्, विद्वता और अनुसंधान कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत और अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या अनुसंधान कार्य और डाक्टर की उपाधि के स्तर पर अनुसंधान कार्य के मार्ग–दर्शन का अनुभव।

या–

✹ यह प्रतिबन्धात्क खण्ड अवध विश्वविद्यालय (छब्बीसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1990 द्वारा जोड़ा गया और दिनाँक 31–12–90 से प्रंवृत हुआ। तदुपरान्त इस .... द्वारा संशोधित किया गया।

विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संस्थापित प्रतिष्ठा सहित विशिष्ट विद्वता।

(2) कला संकाय में, संगीत विभागी की स्थिति में, विश्वविद्यालय में उपाचार्य के पद के लिए न्यूनतम अर्हतायें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्–

(क) या तो–

(i) प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख; और

(ii) दो वर्ष का अनुसंधान कार्य या वृत्तिक अनुभव या अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सृजनात्मक कार्य और उपलब्धियों या विशिष्ट प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में उस क्षेत्र में संयुक्त रूप से तीन वर्ष का अनुसंधान कार्य और वृत्तिक अनुभव; या

सम्बद्ध विषय में उच्चस्तरीय सराहनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार, और

(ख) उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षा को उस विषय में पढ़ाने का पाँच वर्ष का अनुभव।

10.03–परिनियम 1.02 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हतायें) 1975 के आधार पर, जैसाकि अधिसूचना संख्या 7251/15–10–75–60(115/73, दिनाँक 20 अक्टूबर, 1975 और 20 अक्टूबर, 1975 द्वारा संशोधन के पूर्व थी, दिनाँक 1 अगस्त; 1975 और 20 अक्टूबर, 1975 के बीच किये गये किसी अध्यापक के चयन पर इस परिनियमावली का कोई प्रभाव नही पड़ेगा। **धारा 49**

10.04– धारा 31 (10) में निर्दिष्ट रिक्ति का विज्ञापन समान्यतया अभ्यर्थियों को रिक्ति के लिए आवेदन–पत्र देने हेतु कम से कम तीन सप्ताह का समय उस दिनाँक से देगा जिस दिनाँक को समाचार–पत्र का अंक निकाला गया जिसमें विज्ञापन छपा है। **धारा 31 तथा 49 (घ)**

10.05–(1) विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का अधिवेशन कुलपति के आदेश से बुलाया जायेगा। **धारा 31 (9) तथा 49 (घ)**

(2) चयन समिति विश्वविद्याल के अध्यापक के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नही करेगी जब तक कि उसने इसके लिए आवेदन–पत्र न दिया हो:

परन्तु किसी आचार्य की नियुक्ति की दशा में, समिति कुलपति के अनुमोदन से, उन व्यक्तियों के, जिन्होंने आवेदन–पत्र न दिये हो, नाम पर विचार कर सकती है।

(3) चयन समिति का कोई सदस्य, यथास्थिति या कार्य–परिषद्

के अधिवेशन से बाहर चला जायेगा, यदि ऐसे सदस्य के किसी नातेदार की (जैसा कि धाना 20 के स्पष्टीकरण में परिभाषित है), नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा जा रहा है या विचार किया जाना सम्भाव्य हो।

धारा 30 और 31

10.06– (1) यदि चयन समिति नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करे तो वह स्वविवेकानुसार उनके नाम अधिमान–क्रम में रख सकती है। जहाँ समिति के सदस्यों के नाम अधिमान–क्रम में रखने का विनिश्चय करें, वहाँ यह समझाा जायेगा कि उसने यह इंगित कर दिया है कि प्रथम औयर्थी के उपलबध न होने की दशा में द्वितीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और द्वितीय अभ्यर्थी के भी उपलब्ध न होने की दशा में, तृतीय अभ्यर्थी नियुक्त किया जा सकता है और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(2) चयन समिति यह सिफारिश कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

धारा 49 (ख)

10.07– चयन समिति की सिफारिश और उनसे सम्बन्धित कार्य–परिषद् की कार्यवाहियाँ अत्यनत गोपनीय मानी जायेंगी।

धारा 21 (1) (xvii), 31 और 49 (घ)

10.08– यदि धारा 31 (2) के अधीन नियुक्त अध्यापक का कार्य और आचरण–

(i) संतोषजनक समझाा जाय तो कार्य–परिषद् परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) अन्त में अध्यापक को स्थाई कर सकती है।

(ii) संतोषजनक न समझाा जाय तो कार्य–परिषद परिवीक्षा अवधि के (जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई हो, भी है) दौरान या उसकी समाप्ति पर अध्यापक की सेवायें धार 31 के उपबन्धों के अनुसार समाप्त कर सकती है।

धारा 31 और 49 (घ)

10.09– चयन समिति का अधिवेशन विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा।

धारा 31 और 49 (घ)

10.10– चयन समिति के सदस्यों को अधिवेशन की सूचना जो पन्द्रह दिन से कम नही होगी, दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेजे जाने के दिनाँक से की जायेगी। नोटिस की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जायेगी।

धारा 31 और 49 (घ)

10.11– अभ्यर्थियों को चयन समिति का अधिवेशन होने के पूर्व कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जायेगी और उसकी गणना सूचना भेज जाने के दिनाँक से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जायेगी।

धारा 49 (क)

10.12– चयन समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेशों में विहित दरों पर दिया जायेगा।

10.13– अत्याधिक विशेष परिस्थितियों में और चयन समिति की सिफारिशपर, कार्य परिषद् ऐसे अध्यापकों को, जो असाधारण रूप से उच्च शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पॉच अग्रिम वेतन–वृद्धि दे सकती है। यदि किसी मामले में पाँच से अधिक वेतनवृद्धि देना आवश्यक हो तो नियुक्ति करने के पूर्व राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

धारा 31 और 49 (घ)

10.14 (1) ✸परिनियम 10.02 या किसी अन्य परिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निम्नलिखित श्रेणियों के विश्वविद्यालय के अध्यापक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिये पात्र होंगे–

उपाचार्य का पद

(i) प्राध्यापक जो पी–एच0डी0 हो, और इस रूप में कम से कम 13 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

(ii) प्राध्यापक जो पी–एच0डी0 न हो, किन्तु इस रूप में कम से कम 16 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

आचार्य का पद

उपाचार्य जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की पूर्णकालिक निरन्तर सेवा की हो।

स्पष्टीकरण– ''उपाचार्य'' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से होगा जिसने किसी विश्वविद्यालय में उपाचार्य के रूप में कार्य किया हो।

(2) खण्ड (i) में निर्दिष्ट सेवा किसी अनुमोदित पद परऋ

(i) स्थायी, अस्थायी या तदर्थ रूप में की गयी होनी चाहिये;

(ii) इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर या अधिस्नातक महाविद्यालय या संस्थान में इस प्रकार की गयी होनी चाहिये कि कम से कम पाँच वर्ष की स्थायी सेवा अधिनियम की धार 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से नियमित चयन के पश्चात् इस विश्वविद्यालय में की गयी है।

(3) विश्वविद्यालय का अध्यापक को वैयक्तिक पदोन्नति के लिए पात्र हो, परिशिष्ट ''ङ'' में दिये गये निर्देश में स्व–मूल्यांकन विवरण कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके संतोषप्रद कार्य के सम्बन्ध में सूचना होगी।

स्पष्टीकरण–''संतोषप्रद कार्य'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विश्वविद्यालय के अध्यापक से प्रत्याशित कार्य के निर्देश में किये गये कार्य से होगा।

✸ परिनियम 10.14 अवध विश्वविद्यालय (पन्द्रहवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1985 द्वारा दिनाँक 30–9–85 से जोड़ा गया।

(4) अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति स्व–मूल्यांकन विवरण, सेवा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत चरित्र पंजी भी है) और ऐसे अन्य संसंगत अभिलेखों पर जो उसके समक्ष रखे जायं या उसके द्वारा आवश्यक समझे जायं, विचार करेगी। वैयक्तिक पदोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिये चयन समिति का अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम एक बार होगा।

(5) चयन समिति कार्य परिषद् को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी और कार्य परिषद् खण्ड (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी संस्तुति के आधार पर वैयक्तिक पदोन्नति स्वीकृत करेगी।

(6) प्राध्यापकों को वैयक्तिक पदोन्नति का लाभ केवल उपाचार्य के पद पर पदोन्नति के लिये अनुमन्य होगा और इस प्रकार पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपाचार्य, आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति के लिये हकदार नहीं होंगे।

(7) यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति उक्त पद का भार ग्रहण करने के दिनाँक से प्रभावी होगी।

(8) वैयक्तिक पदोन्नति के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के अध्यापक के कार्यभार में कोई कमी नहीं की जायगी।

(9) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक वैयक्तिक पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पाया जाय तो वह दो वर्ष के पश्चात् ऐसे पदोन्नति के लिये पुनः आवेदन कर सकता है और उसके मामले पर विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के साथ–साथ जो उस समय तक पात्र हो गये हों, चयन समिति द्वारा विचार किया जायगा।

(10) यदि चयन समिति विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को वैयक्तिक पदोन्नति के लिये उपयुक्त न पाये तो वह कारणों का उल्लेख करेगी।

(11) (प) उपाचार्य या आचार्य के पद को जिस पर वैयक्तिक पदोन्नति की जाय, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य के संवर्ग में अस्थायी वृद्धि समझी जायगी, और पदधारी का उक्त पद पन न रह जाने पर पद समाप्त समझा जायगा।

(ii) उपाचार्य का आचार्य के पद पर जिस पर उसे वैयक्तिक पदोन्नति दी गयी थी, न रह जाने पर, उपाचार्य के पद पर नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायेगी और इस तरह प्राध्यापक का उपाचार्य के पद पर न रह जाने पर प्राध्यापक के पद नई नियुक्ति, यदि कोई हो, की जायेगी।

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों की अर्हताएं और नियुक्ति

धारा 31 और 49 (घ)

✹10.5(1) किसी महाविद्यालय की स्थिति में, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, कला संकाय (संगीत, चित्रांकन और चित्रकारी विभागों के सिवाय) और वाणिज्य और विज्ञान संकायों में प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं सुसंगत विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(2) किसी महाविद्यालय की स्थिति में जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, शिक्षा संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि (अर्थात एम0एड0 की उपाधि) और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(3) किसी महाविद्यालय की स्थिति में, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, विधि संकाय में प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित विधि में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख होंगी।

(4) किसी महाविद्यालय की स्थिति में जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, कला संकाय में संगीत, चित्रांकन और चित्रकारी विभागों के प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी, अर्थात्– या तो कम से कम 55 प्रतिशत अंक या उसके समकक्ष श्रेणी सहित सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा और अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख, या सम्बद्ध विषय, में उच्चस्तरीय सराहनीय वृत्तिक उपलब्धि सहित परम्परागत या वृत्तिक कलाकार।

(5) इस परिनियम के प्रयोजनों के लिए, शिक्षा संकाय या विधि संकाय या अन्य संकायों के सम्बन्ध मे पद ''अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख'' का वही अर्थ होगा जो परिनियम 10.01 के खण्ड (5) के, यथास्थिति उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) या उपखण्ड (ग) में उसके लिए दिया गया है।

✹परिनियम 10.15 (1) से (6) अवध विश्वविद्यालय (पच्चीसवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1989 द्वारा दिनाँक 25 मार्च से प्रतिस्थापित।

(6) प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्राध्यापक के पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अनुसार संचालित किये जाने वाली किसी व्यापक परीक्षण, यदि कोई हो में अर्हता प्राप्त की हो।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी से–

(1) जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या

(2) जिसे 31 दिसम्बर 1993 तक पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान की गयी हों, या

(3) जिस ने 31 दिसम्बर, 1993 तक पी–एच0डी0 की उपाधि के लिये शोध–प्रबन्ध प्रस्तुत कर दिया हो, या

(4) जिसने 31 दिसम्बर, 1992 तक एम0फिल0 की उपाधि प्रदान की गयी हो।

ऐसे किसी व्यापक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(7) जहाँ कम से कम पाँच वर्ष के अध्यापन का अनुभव रखने वाला सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई स्थायी अध्यापक, जो इस महाविद्यालय में अध्यापक के पद पर अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय के परिनियमों या अध्यादेशों में निहित अर्हताओं को पूरा करता हो, किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद के लिये अभ्यर्थी है या उस महाविद्यालय से जहाँ उसने कार्य किया, छंटनी किये जाने के पश्चात् उसी या किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद के लिये अभ्यर्थी हो वहाँ उसके सम्बन्ध में इस परिनियम में निर्धारित अर्हताओं पर बल नही दिया जायेगा।

धारा 49 10.16– किसी महाविद्यालय की दशा में, जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, प्राचार्य के पद के लिये न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी–

(1) उपाधि महाविद्यालय–

(क) प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में अर्थात् अंकों के पूर्ण योग के 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि या उस विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख अर्थात् अभ्यर्थी के शिक्षा काल में आद्योपानत सभी मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख; और

(ख) डाक्टर की उपाधि और स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने का सात वर्ष का अनुभवः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातक कक्षाओं के अध्यापन का बारह वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है या स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का सात वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है या यदि वह किसी उपाधि महाविद्यालय का चार वर्ष या उससे अधिक समय से स्थाई प्राचार्य है या रहा है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती हैः

परन्तु यह और कि यदि चयन समिति का यह विचार हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जैसा कि उसके शोध निबन्ध या उसकी प्रकाशित रचना से सुस्पष्ट हो, अध्याधिक उच्च स्तर का है, तो वह उप खण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है।

(2) स्नातकोत्तर महाविद्यालय–

(क) प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी में (अर्थात् अंको के पूर्ण योग के 54 प्रतिशत से अधिक अंकों सहित) स्नातकोत्तर उपाधि या उस विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि या उस विषय में किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख अर्थात् अभिलेख; और शिक्षा काल में अद्योपान्त सभी मूल्यांकनों का सम्पूर्ण अभिलेख; और

(ख) स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का सात वर्ष का अनुभव या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का पॉच वर्ष का अनुभवः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव या किसी उपाधि कक्षाओं के अध्यापन का बीस वर्ष या उससे अधिक का अनुभव या किसी उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य के पद का सात वर्ष का अनुभव है या वह किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का पॉच वर्ष या उससे अधिक समय से स्थायी प्राचार्य है या रहा है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की अपेक्षा को शिथिल कर सकती हैः

परन्तु यह और कि यदि चयन समिति का यह विचार हो कि किसी अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य जैसा कि उसके शोध निबन्ध या उसकी प्रकाशित रचना से स्पष्ट हो, अत्याधिक उच्च स्तर का है तो उप खण्ड (क) में विहित किसी अर्हता को शिथिल कर सकती है।

10.17– परिनियम 10.03 से 10.11 (परिनियम 10.08 को छोड़कर) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में उसी प्रकार **धारा 31 और 49 (ण)**

यह प्रतिबन्धात्मक खण्ड अवध विश्वविद्यालय (छब्बीसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1990 द्वारा बढ़ाया गया और दिनाँक 31–12–1990 से प्रवृत्त हुआ। तदुपरान्त इस संशोधित किया गया।

लागू होंगे जिस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर लागू होते हैं।

10.18– सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों के यात्रा और दैनिक भत्ते का वहन सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किया जायगा।

अध्याय–11

सम्बद्ध महाविद्यालय

धारा 37

11.01– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'ङ' में दी गई है।

नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.02– किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र के लिये जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता माँगी गई है, प्रारम्भ होने के कम से कम 12 माह पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जायः

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलाधिपति, उच्च शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकते हैं जहाँ तक वह आवश्यक समझें।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.03– किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 2,000 रूपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट होगा जिसे वापस नही किया जायगा।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.04– कार्य परिषद्, के समक्ष सम्बद्धता का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के पूर्व कुलपति को निम्नलिखित ब्योरे के बारे में अपना समाधान अवश्य कर लेना चाहिये, अर्थात्–

(क) परिनियम 11.05, 11.06 और 11.07 के उपबन्धों का पालन किया गया है–

(ख) संस्था उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की माँग को पूरा करती है,

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतंत्र ने–

(1) उपयुक्त और पर्याप्त भवन,

(2) पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला की प्रर्याप्त सुविधा,

(3) दो हेक्टेयर भूमि (आच्छादित क्षेत्र को छोड़कर),

(4) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन,

(5) कम से कम तीन वर्ष के लिये महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान, की व्यवस्था की है या उसके पास उपर्युक्त की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.05– प्रत्येक महाविद्यालय के प्रबन्घ तंत्र के संविधान में वह व्यवस्था होगी कि–

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्ध तंत्र का पदेन सदस्य होगा,

(ख) प्रबन्ध तंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं जिसमें प्राचार्य भी हैं;

(ग) अध्यापक ख्खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर, ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य हैं,

✸(ग ग) प्रबन्ध तंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायगा।

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्ध तंत्र के कोई दो सदस्य धारा 20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे,

(ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिर्वतन नहीं किया जायगा,

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्ध तंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नही या प्रबन्धतंत्र वैध रूप से गठित है या नही तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा,

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेजों को ऐसी सोसाइटी, न्यास, बोर्ड या मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिये तैयार है,

(ज) परिनियम 11.06 में निर्दिष्ट विन्यास निधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिये उपलब्ध रहेगी।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.06–(1) प्रत्येक महाविद्यालय के लिये (जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय न हो) एक पृथक विन्यास निधि होगी जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पास गिरवी रखी जायगी और जो तब तक अन्य संक्रमित नही की जायगी तब तक महाविद्यालय विद्यमान रहे जिसका मूल्य–

(1) कला में सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5 लाख रूपया,

(2) वाणिज्य में सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय के लिये 2.5 लाख रूपया,

(3) विधि में सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5 लाख रूपया,

---

✸1981से संशोधित।

(4) विज्ञान में सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 3 लाख रूपया,

(5) शिक्षा में सम्बद्धता के लिये आवेदन– पत्र देने वाले महाविद्यालय की दशा में 2.5 लाख रूपया, जिसकी व्यवस्था अनन्य रूप से उपाधि कक्षाओं के लिये की जायगी।

(2) यदि महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्तर तक सम्बद्धता चाहता है तो कला, वाणिज्य, शिक्षा या विधि की स्थिति में प्रति विषय 20,000 रूपये और विज्ञान की स्थिति में प्रति विषय 30,000 रूपये की अतिरिक्त विन्यास निधि की व्यवस्था करनी होगी।

(3) ऐसे विन्यास निधि को किसी अनुसूचित बैंक के सावधि निक्षेप लेखा में या ऐसी अन्य रीति से विनियोजित किया जायेगा जैसा विश्वविद्यालय निर्देश दे।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.07– कोई महाविद्यालय, जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहता हो जिसमें प्रयोगशाला कार्य अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के सम्बनध में अग्रेत्तर समाधान करेगा कि–

(क) विज्ञान की प्रत्येक शाखा के लिए पृथक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है, और

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के पर्याप्त तथा उपयुक्त साधित्र और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.08– यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमों के विषय के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो आवेदन–पत्र कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायेगा जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये निरीक्षक पैनेल नियुक्त करेगी। इस प्रकार नियुक्त पैनेल में बालकों के अलावा सह–शिक्षा महाविद्यालय की दशा में सम्भागीय शिक्षा निदेशक और बालिकाओं के महाविद्यालय की दशा में सम्भागीय निरीक्षिका सम्मिलित होगी।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.09– साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनाँक से 4 मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य–परिषद् द्वारा सम्बद्धता के लिये कोई आवेदन–पत्र तब तक स्वीकृत नही किया जायगा जब तक कि निरीक्षक पैनेल की रिपोर्ट पर सम्बद्धता के लिये प्रस्तावित महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति तथा उपलब्ध साधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय। आवेदन–पत्र स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की कार्यवाही उस वर्ष के, जिसमें कक्षायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो; 15 मई के पूर्व पूरी हो जानी चाहिए।

11.10– जहाँ, किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता दी जाय वहाँ महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या रजिस्टर नही करेगा जब तक कि कुलपति ने सम्यक रूप से निरीक्षण के पश्चात प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्ते सम्यक् रूप से पूरी कर ली गयी हैं। यदि महाविद्यालय को स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति की व्यवहारिक कठिनाईयाँ हों तो वह सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिये किसी अर्ह व्यक्ति अथवा किन्ही अर्ह व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिये महाविद्यालयों को सम्बद्धता देना

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.11– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नयी उपाधि के लिए अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्य–क्रम प्रारम्भ करने के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस वर्ष के जिसमें ऐसे पाठ्य–क्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, पूर्ववर्ती वर्ष के 15 अगस्त के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.12– प्रत्येक महाविद्यालय, जो किसी नयी उपाधि के लिये या नये विषय में सम्बद्धता के लिये आवेदन–पत्र दे, अपने आवेदन–पत्र के साथ प्रत्येक विषय के लिये 200 रूपये की धनराशि, किन्तु कम से कम 400 रूपये तथा अधिक से अधिक 1,000 रूपये की धनराशि भेजेगा जो वापस नहीं की जायगी।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.13– किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन–पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायगा जब तक कि कुसचिव लिखित रूप में यह प्रतमा–पत्र न दे दें कि सम्बद्धता और पूर्व मान्यता की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.14– यदि कुलपति को ऐसी सम्बद्धता दिए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में समाधन हो जाय और यदि महाविद्यालय में पिछली सम्बद्धताओं की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन–पत्र कार्य–परिषद् के समक्ष रखा जायेगा जो एक निरीक्षक पैनेल नियुक्ति करेगी तथा परिनियम 11.08 के उपबन्ध लागू होंगे।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.15– साधरणतया, परिनियम 11.14 में निर्दिष्ट सभी निरीक्षण अक्टूबर के अनत तक पूरा कर लिये जायेंगे जिससे कि विश्वविद्यालय का कार्य परिषद समय से निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा कर सके।

11.16– नयी उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषय की सम्बद्धता के लिये आवेदन –पत्र देने वाले सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम 11.10 द्वारा आरोपित निर्बन्ध लागू होगें।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.17– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, छात्रों के महाविद्यालय में प्रवेश लेने, निवास तथा अनुशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया करेगा।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.18– प्रत्येक सम्बन्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय को अपने ऐसे भवनों, पुस्तकालयों तथा उपस्कर और उपकरण सहित प्रयोगशालायें और अपने ऐसे अध्यापक वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग की सेवायें भी उपलब्ध करायेगा जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.19– प्रत्येक सम्बन्ध महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग में ऐसी अर्हता के अध्यापक होंगे जिन्हें ऐसी वेतन–श्रेणी दी जायगी, और जो सेवा की ऐसी अन्य शर्तो द्वारा नियंत्रित होंगे जो समय–समय पर अध्यादेशों में, अथवा उस निमित्त जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों में निर्धारित की जायें :

परन्तु राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वेतन श्रेणी तथा अर्हताओं से सम्बन्धित कोई भी अध्यादेश नहीं बनाया जायगा।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.20– जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का पद रिक्त हो जाय, तब प्रबन्धतन्त्र किसी अध्यापक को तीन मास की अवधिक क लिये या जब तक किसी नियमित प्राचार्य की नियुक्ति न हो जाय, इनमें से जो भी पहले हो, प्राचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न किया जाय या ऐसा प्राचार्य अपना पद ग्रहण न करें तो महाविद्यालय का ज्येष्ठतम अध्यापक ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में कार्य करेगा जब तक कि कोई नियमित प्राचार्य नियुक्त न कर दिया जाय।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.21– प्रत्येक सम्बद्व महाविद्यालय परिनियम 11.04 से 11.07 में दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा।

परन्तु इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी महाविद्यालय की दशा में, कुलपति प्रबन्धतंत्र से परिनियम 11.04, 11.06, तथा 11.07 में दी गई शर्तो का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है जिन्हें कुलपति युक्तियुक्त समझेः

परन्तु और यह कि यदि ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कुलपति द्वारा जारी की गई अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा नहीं करता तो कुलपति परिनियम 11.28 से 11.32 के अनुसार सम्बद्वता वापस लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.22– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय प्रति वर्ष 15 अगस्त तक प्राचार्य से कुलसचिव को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि सम्बद्धता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती जा रही हैं।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.23–प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित रजिस्टरों को रखेगा और समय–समय पर कुलसचिव को ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षा की जाय, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

11.24–(1) जहाँ कार्य परिषद् अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करायें वहाँ वह महाविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणाम और उसके सम्बन्ध में अपने विचार सूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्रबन्धतन्त्र को निर्देश दे सकता है।

(2) जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र कार्य–परिषद् या कुलपति के संतोषानुसार कार्यवाही न करें, वहाँ परिषद् या तो स्वप्रेरणा से या कुलपति से इस आशय की प्राप्त रिपोर्ट पर प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण अथवा अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे, और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निर्देशें का पालन करेगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्य–परिषद परिनियम 11.31 के अधीन अथवा अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.25– महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के समस्त पदों के सम्बन्ध में जो अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रिक्त हों, सूचना उनके रिक्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कुलसचिव को दी जायेगी।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.26– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में किसी कक्षा अथवा अनुभाग (सेक्शन) में छात्रों की संख्या, अध्ययन कक्ष में व्याख्यान के प्रयोजनार्थ बिना कुलपति की पूर्वानुज्ञा के 60 से अधिक न होगी, किन्तु यह किसी भी दशा में 80 से अधिक न होगी।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.27– किसी महाविद्यालय द्वारा किसी कक्षा में कोई नया अनुभाग खोलने के पूर्व, अपक्षित अतिरिक्त अध्यापक वर्ग (उनकी अर्हतायें और वेतन नये अनुभाग की अध्यापन सारिणी, उपलब्ध स्थान तथा अतिरिक्त उपस्कर एवं पुस्तकालय की सुविधाओं की व्यवस्था) के सम्बन्ध में पूरी सूचना विश्वविद्यालय को भेजी जायगी और कुलपति की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की जायगी।

सम्बद्धता वापस लेना

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.28–सम्बद्धता का बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो का बराबर पालन किया जा रहा है।

धारा 37 तथा 49 (ड)

11.29– किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त समझी जायगी, यदि वह लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में कोई अभ्यर्थी न भेजे।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड) 11.30– कार्य परिषद् किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में छात्रों की प्रवेश न करने का निर्देश दे सकती है यदि कार्य परिषद् की राय में सम्बद्ध महाविद्याालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की उपेक्षा की गयी हो, किन्तु कार्य परिषद् की पूर्वानुज्ञा से, उसके संतोषानुसार शर्तें पूरी कर लेने पर कक्षायें पुनः प्रारम्भ की जा सकती है।

धारा 37 तथा 49 (ड) 11.31– यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की उपेक्षा करें और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तो को पूरा न करें तो कार्य परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, तब तक के लिये सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्यपरिषद् के संतोषानुसार शर्तें पूरी न कर दी जाय।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड) 11.32– (1) कार्य परिषद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को या तो पूर्णतः अथवा किसी उपाधि या विषय में सम्बद्धता के विशेषाधिकारों से वंचित कर सकती है यदि वह कार्य परिषद् के निर्देशों का अनुपालन न करें अथवा सम्बद्धता शर्तों को पूरा न करें, या घोर कुप्रबन्ध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कार्य परिषद् की यह राय हो कि महाविद्यालय को ऐसी सम्बद्धता से वंचित किया जाना चाहिये।

(2) यदि अध्यापक वर्ग के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो जिसके लिये से परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे, तो सम्बद्ध महाव़िद्यालय की सम्बद्धता इस परिनियम के अर्थान्तर्गत वापस ली जा सकेगी।

धारा 37 (8) तथा 49 (ड) 11.33– कार्य परिषद् पूर्ववर्ती परिनियमों के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बद्धता की शर्तों में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा करेगी जो आवश्यक प्रतीत हो।

धारा 49 (ण) 11.34– जब कभी किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके सम्बन्ध में कुलपति द्वारा यह पाया जाय कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः किसके कब्जे और नियन्त्रण में हैं, अधिनियम तथा इन परिनियमों के प्रयोजनाार्थ ऐसे महाविद्यालय का, जब तक कि सक्षम अधिकारिता का न्यायालय कोई अन्यथा आदेश न दे, प्रबन्धतंत्र गठित होने की मान्यता दी जा सकती है:

परन्तु इस परिनियम के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व कुलपति विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

स्पष्टीकरण– इस बात का अवधारण करने के लिये कि महाविद्यालय की सम्पत्ति वस्तुतः जिसके कब्जे तथा नियन्त्रण में है, कुलपति संस्था की निधियों, ओर उसके वास्तविक प्रशासन पर; संस्था की सम्पत्ति से होने वाली आय की प्राप्ति पर नियन्त्रण तथा ऐसी अन्य सुसंगत परिस्थितियों को, जिसका अवधारणार्थ प्रश्न के लिए महत्त्व हो, ध्यान में रखेगा।

वित्त सम्परीक्षा तथा लेखा

11.35– (क) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र की सहायता के लिये एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे– **धारा 49**

(1) प्रबन्धतंत्र का सभापति अथवा सचिव, जो अध्यक्ष होगा,

(2) प्रबन्धतंत्र के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित दो अन्य सदस्य,

(3) प्राचार्य (पदेन)

(4) प्रबन्धतंत्र का ज्येष्ठतम अध्यापक सदस्य (पदेन)।

(ख) महाविद्यालय का प्राचार्य वित्त समिति का सचिव होगा और वह अधिवेशन बुलाने का हकदार होगा।

11.36– वित्त समिति महाविद्यालय का वार्षिक बजट (छात्र निधि को छोड़कर) तैयार करेगी जिसे प्रबन्धतंत्र के समक्ष उसके विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जायेगा। **धारा 49**

11.37 ऐसा नया व्यय, जो महाविद्यालय के बजट में पहिले से ही सम्मिलित न हो, तित्त समिति को निर्दिष्ट किये बिना नहीं किया जायेगा। **धारा 49**

11.38 बजट में व्यवस्थित आवर्ती व्यय का नियंत्रण किन्हीं विनिर्दिष्ट निदेशों के अधीन रहते हुये जो वित्त समिति द्वारा दिये जायें, प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। **धारा 49**

11.39 सभी छात्र निधि प्राचार्य द्वारा विभिन्न समितियों की, जैसे कि खेलकूद समिति, पत्रिका समिति, अध्ययन कक्ष समिति और इसी प्रकार की अन्य मिति, जिसमें सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के प्रतिनिधि भी होंगे, सहायता से प्रशासित होगी। **धारा 49**

11.40– छात्र निधि के लेखों की संपरीक्षा प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह संपरीक्षक द्वारा, जो इसके सदस्यों में से न होगा, की जायगी। संपरीक्षा फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर विधि संगत प्रभार होगी, संपरीक्षा रिपोर्ट प्रबन्धतंत्र के समक्ष रखा जायेगा। **धारा 49**

11.41– छात्र निधि तथा छात्रावासों से फीस सम्बन्धी आय अन्य निधि में न्तरति नहीं की जायगी और इन निधियां से कोई ऋण किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायगा। **धारा 49**

अध्याय–12

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

धारा 7 (6) 10 (2) तथा 49 (ज)

12.01– (क) डाक्टर आफ लेटर्स (डी0लिट0) अथवा महामहोपाध्याय के सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शनशास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप में योगदान किया हो अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिये उल्लेखनीय सेवा की हो, प्रदान की जायगी।

(ख) डाक्टर आफ साइंस (डी0एस–सी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को; जिन्होंने विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी (टेक्नालाजी) की किसी शाखा की प्रगति अथवा देश में विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थाओं के आयोजन, संगठन अथवा विकास में पर्याप्त योगदान किया हो, प्रदान की जायगी।

(ग) डाक्टर आफ लाज (एल–एल0डी0) की सम्मानार्थ उपाधि ऐसे व्यक्तियों को, जो विख्यात वकील; न्यायाधीश अथवा विधिवेत्ता अथवा राजनयज्ञ हों, प्रदान की जायेगी।

धारा 7 (6) 10 (2) तथा 49 (ज)

12.02– कार्य परिषद् स्वतः अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किया जायें, सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को धारा 11 (2) के अधीन पुष्टि के लिये प्रस्तुत कर सकती हैः

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो; ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

धारा 49 (1) तथा 67

12.03– विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र को वापस लेने के लिये धारा 67 के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जायेगा। कुल सचिव उसके विरूद्ध निर्मित आरोपों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

धारा 49 (1) तथा 67

12.04– सम्मानार्थ उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित होगी।

परिनियम 12.05 अवध विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 1989 द्वारा दिनांक 25 मार्च, 1989 से बढ़ाया गया।

12.05– (क) किसी संस्थान को संबद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की सिफारिश के पश्चात् कार्य परिषद द्वारा ऐसी संस्था के रूप में जहाँ अधिनियम की धारा 7 (4) (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुसन्धान कार्य किया जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है। इस प्रकार की दी गयी मान्यता संबद्ध संकाय बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् द्वारा दी गयी सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा वापस ली जा सकती है।

(ख) इस प्रकार मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्ध–

(i) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकास जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद को दी जायगी; या

(ii) संस्थान का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त निदेशक में निहित होगा।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुसन्धान कार्य का मार्ग–दर्शन, संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें विश्वविद्यालय की डी0 लिट0 या डी0 एस–सी0 या एल–एल0 डी0 या डी0 फिल0 की उपाधियों के लिए पर्यवेक्षक या सलाहकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

(घ) संस्थान के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे इस बात से सहमत हों, संबद्ध विभागाध्यक्ष की सम्मति से विश्वविद्यालय के अनुसन्धान छात्रों को उच्च काटि की व्याख्यानमाला में व्याख्यान दे सकत हैं।

(ङ) कोई व्यक्ति जो अपेक्षित अर्हतायें रखता हो और जो विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि के लिये संस्थान में अनुसन्धान कार्य करने का इच्छुक हो, संस्थान के निदेशक के माध्यम से कुल सचिव को आवेदन–पत्र देगा। इस प्रकार प्रापत आवेदन–पत्रों की अध्यादेशों के अधीन गठित विश्वविद्यालय की अनुसन्धान उपाधि समिति के समक्ष रखा जायगा और यदि समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाय, तो आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाय, कार्य प्रारम्भ करने की अनुज्ञा दी जायगी।

(च) संस्थान के लिए प्राप्त कोई विशिष्ट अनुदान या दान संस्थान के निमित्त रखा जायगा और उसे संस्थान के लिये व्यय किया जायगा। विश्वविद्यालय में किसी तत्समान् शिक्षण विभाग के किसी अनुदान का कोई भाग किसी संस्थान के लिए व्यय नहीं किया जायेगा।

अध्याय–13

दीक्षान्त समारोह

धारा 49 (द) 13.01 (1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे दिनाक को और ऐसे समय पर, जैसा कार्य परिषद् नियम करें, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(2) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।

(3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जिससे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।

धारा 49 (द) 13.02– प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय में स्थानीय दीक्षान्त समारोह ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन से नियत करें, आयोजित किया जा सकता है।

धारा 49 (द) 13.03– दो या अधिक महाविद्यालयों द्वारा संयुक्त दीक्षान्त समारोह परिनियम 13.02 में विहित रीति से आयोजित किया जा सकता है।

धारा 49 (द) 13.04– इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे सम्बन्धित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

धारा 49 (द) 13.05– जहाँ विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये परिनियम 13.01, से परिनियम 13.04 के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो, वहाँ उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय–14

भाग–1

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

धारा 49 (ण) 14.01– इस अध्याय के उपबन्ध राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित किसी महाविद्यालय के अध्यापकों पर लागू नहीं होंगे।

धारा 49 (ण) 12.02– किसी अध्यापक को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी दिये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति में धारा 31 (3) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर सम्बद्ध महाविद्यालय के अधपक परिशिष्ट 'ग' में दिये गये यथास्थिति प्रपत्र (1) या प्रपत्र (2) में लिखित संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे।

धारा 49 (ण) 13.03– (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का अध्यापक सर्वदा सत्यनिष्ठ एवं कर्त्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचार संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा।

(2) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचार संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन परिनियम 14.04 (1) के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझा जायगा।

धारा 49 (ण) 14.04– (1) सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक (प्राचार्य को छोड़कर) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या उससे अधिक कारण से पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समापत की जा सकती हैं:

(क) कर्त्तव्य की जानबूझ कर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण जिसके अन्तर्गत प्राचार्य के आदेशों की अवज्ञा भी है,

(ग) संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के परीक्षाओं के सम्बन्ध में बेइमानी,

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण अथवा नैतिक दृष्टि से, अधम अपराध के लिए सिद्धदोष होना,

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,

(छ) अक्षमता, तथा

(ज) कुलपति के पूर्वानुमोदन से पद का समाप्त किया जाना।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य, खण्ड (1) में उल्लिखित कारणों से या महाविद्यालय के निरन्तर कुप्रबन्ध के कारण पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) सिवाय खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सेवा संविदा समाप्त करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र् समाप्त होने पर नोटिस, जो भी अधिक हो) दी जायगी या ऐसी नोटिस के बदले यथास्थिति तीन मास (या उपर्युक्त दीघ्रावधि) का वेतन दिया या वापस किया जायेगाः

परन्तु प्रबन्धतंत्र खण्ड (1) या खण्ड (2) के अधीन किसी अध्यापक को पदच्युत करे अथवा हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या जब कोई अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा संविदा की शर्तो में से किसी का उल्लंघन किये जाने के कारण उसे समाप्त करे, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी,

परन्तु यह भी किसी पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त को अधित्यजित करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

(4) अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त किसी अन्य अध्यापक की स्थिति में, उसकी सेवायें किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।

धारा 49 (ण)

14.05– किसी प्राचार्य या अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास की भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए विश्वविद्यालय के पास जमा की जायगी।

धारा 49 (ण)

14.06– (1) परिनियम 14.04 के खण्ड (1) या खण्ड (2) में उल्लिखित किसी कारण से किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का कोई आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिये सिद्ध–दोष होने या पद के समाप्त किये जाने की दशा में) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक के विरूद्ध आरोप लगा न दिया जाय और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है उसका विवरण उस अध्यापक न दे दिया जाय, और उसे–

(1) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(2) व्यक्तिगत सुनवायी का, यदि वह ऐसा चाहे, और

(3) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने के लिए, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जायः

परन्तु प्रबन्धतंत्र या उसके द्वारा जाँच करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) प्रबन्धतन्त्र किसी समय, साधारणतया जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से दो मास के भीतर, सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का संकल्प पारित कर सकता है जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने का कारण उल्लिखित होगा।

(3) संकल्प की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी और अनुमोदन के लिये कुलपति को उसकी रिपोर्ट दी जायगी और वह तब तक प्रवर्तनीय न होगी जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे।

(4) प्रबन्धतन्त्र, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने के बजाय निम्नलिखित एक या एकाधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकता है, अर्थात्–

(1) विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वेतन कम करना,

(2) तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना,

(3) उसको निलम्बन के अवधि में, यदि कोई हो, वेतन से, जिसके अन्तर्गत निर्वाह भत्ता नहीं है, वंचित करना। प्रबन्धतंत्र द्वारा ऐसे खण्ड देने के संकल्प की सूचना कुलपति को दी जायगी और वह तभी प्रवर्तनीय होगा जब और जिस सीमा तक कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाय।

धारा 49 (ण)

14.07– यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोइ जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो प्रबन्धतंत्र उसके परिनियम 14.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) ये (ड.) तक में उल्लिखित आधार पर निलम्बित करने के लिए शक्ति सम्पन्न होगा। किसी अपात् स्थिति में (प्राचार्य से भिन्न किसी अध्यापक की स्थिति में) इस शक्ति का प्रयोग प्रबन्धतंत्र के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राचार्य द्वारा किया जायगा। प्राचार्य ऐसे मामले की सूचना प्रबन्धतंत्र को शीघ्र देगा। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जाँच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश जारी किये जाने के पश्चात् चार सप्ताह की समाप्ति पर भंग हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उन आरोपों की संसूचना न दें दी जाय जिनके बारे में जाँच कराये जाने का विचार था।

धारा 49

14.08– परिनियम 14.06 के खण्ड– (2) और परिनियम 14.07 के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में ऐसी कोई अवधि जिसमें किसी न्यायालय का स्थगन आदेश कायम हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

धारा 49

14.09– सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, धारा 34 (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के संबन्ध में सम्पादित किसी कर्त्तव्य के लिये उस कलेण्डर वर्ष में अपने कुल वेतन के छठे भाग या तीन हजार रूपये से, जो भी कम हो; अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

धारा 49

14.10– इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी–

(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता अवधिपर्यन्त माहविद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा;

(2) यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापाक संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक के पूर्व से महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम–निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उस पद पर नहीं रह जायगा;

(3) सम्बद्ध महाविद्यालय के ऐसे अध्यापक से जो संसद या राज्य विधान मंडल के लिये निर्वाचन या नामनिर्दिष्ट किया जाय; अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 14.11 द्वारा उपबन्धित के सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थिति होने के लये महाविद्यालय से त्यागपत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण– इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा।

धारा 49 14.11 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध होगा– परन्तु जहाँ महाविद्यालय को कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डन के सत्र के कारण इस प्रकार उपलबध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

भाग–2

सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिय छुट्टी सम्बन्धी नियम

धारा 49 14.12– छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी–

(क) आकस्मिक छुट्टी,
(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी,
(ग) बीमारी की छुट्टी,
(घ) कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी,
(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी
(च) असाधारण छुट्टी
(छ) प्रसूति छुट्टी

धारा 49 14.13– आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी जो एक मास मे सात दिन अथवा एक सत्र में 14 दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगीं यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु परिस्थितियों में अध्यापकों की स्थिति में प्राचार्य और प्राचार्य की स्थिति में प्रबन्धतंत्र उन कारणों से ; जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है।

धारा 49 14.14– एक सत्र में दस कार्य–दिवस तक की विशेषाधिकार की छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी और वह 60 कार्य–दिवस तक संचित की जा सकती है।

धारा 49 14.15– बीमारी की छुट्टी वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र में एक मास के लिये दी जायगी और संचित नहीं होगी।

धारा 49 14.16– विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के; जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, अथवा जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिए 15 कार्य–दिवस की कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी।

धारा 49 14.17– किसी एक सत्र में एक मास के लिये दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी और बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य अनुमोदित अध्ययन अथवा निवृत्त पूर्वता के लिये दी जा सकती है। परन्तु, ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर केवल 6 वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है–

परन्तु यह भी कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी प्रबन्धतन्त्र के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ''अध्यापक अधिछात्रवृत्ति'' के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे अधिछात्रवृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

धारा 49 14.18**–** असाधारण छुट्टी बिना वेतन की होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणें से जिन्हें प्रबन्धतंत्र उचित समझे, तीन वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किनतु परिनियम 14.10 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, यह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाई जा सकती है।

✹स्पष्टीकरण– 1. कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी उच्च पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा

✹ 1981 में संशोधित।

हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकि गणना समय–मान में अपनी वेतन–वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–2, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृति की गई हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैन्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के फन्डामेन्टल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समय–मान में ऐसे प्रक्रम पर पाने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृति की गयी थी लोकहित में रहा हो।

धारा 49 14.19– अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक अथवा प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक, जो भी कम हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती हैः

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा–अवधि में तीन बार से अधिक नहीं दी जायगी।

धारा 49 14.20– छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं माँगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहिले स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

धारा 49 14.21– किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो अध्यापकों की स्थिति में प्राचार्य और प्राचार्य की स्थिति में प्रबन्धतंत्र किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो प्रबन्धतंत्र द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण–पत्र माँगने के लिए सक्षम होगा।

धारा 49 14.22– अध्यापकों को छुट्टी स्वीकृत करने के लिए, दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो प्रबन्धतंत्र द्वारा स्वीकृत की जायेगी, सक्षम प्राधिकारी प्राचार्य होगा।

भाग–3

अधिवर्षिता की आयु

धारा 49 14.23– इस भाग में, पद ''नये वेतन मान'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी आदेश संख्या शिक्षा 11–9045/पन्द्रह–14 (7)–73; दिनांक 28 दिसम्बर 1974 के अनुसार अध्यापक को देय वेतनमान से है।

धारा 49 14.24–(1) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी।

(2) ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक उसके साठवें जन्म दिवस का ठीक पूर्वतर्वी दिनांक होगा

14.25– इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा अवधि में अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता' का दिनांक 30 जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

परन्तु यह और कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन पा रहे हों, उनकी अधिवर्षिता के दिनांक से आगामी 30 जून के पश्चात् दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया जायेगा।

+ परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को जो द्वितीय परन्तुक के अनुसार, जैसा कि वह डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय (बाईसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1988 के प्रारम्भ के पूर्व था, पुनः नियुक्त किये गये थे और उनकी पुनः नियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो तो एक वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

धारा 49 14.26– सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक, जो 1 अगस्त 1975 को परिनियम 14.24 में कार्य कर रहा था और यदि इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर सेवा निवृत्त्ज्ञा होगा किन्तु ऐसा अध्यापक नए वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

भाग–4

अन्य उपबन्द

धारा 49 (ण) 14.27– इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य या अन्य अध्यापक और प्रबन्धतंत्र के बीच की गयी कोई नियुक्ति इस अध्याय में दिये गये परिनियमों के

उपबन्धों के अधीन होगी और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तथा परिशिष्ट 'ख' के साथ पठित परिशिष्ट 'ग' में दिये गये यथास्थिति, प्रपत्र (1) या (2) की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी।

धारा 35 तथा 49 (ण) 14.28– परिनियम 14.04 (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी विश्ववविद्याय अथवा किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा।

धारा 49 (0) 14.29– (1) सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक को–

(क) यदि किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि की दशा में उसे 48 घण्टे से अधिक का कारावास का दण्ड दिया जाय ओर उसे इस प्रकार दोष सिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय तो उसकी दोष सिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि के लिये निलम्बित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घण्टे की अवधि की गणना दोष सिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की सविराम अवधि पर भी यदि कोइ हो, विचार किया जायगा।

(2) जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, आरैर प्रबन्धातंत्र उसके विरूद्ध अग्रेतर जाँच करने का विनिश्चय करे, वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाये जाने के ठीक पूर्व निलम्बित थे, तो यह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाये जाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से प्रवृत्त है।

(3) जहाँ महाविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि से समय–पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2 के अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार, जो आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे, निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

धारा 49 (ण) 14.30– (1) महाविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र 3 में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट प्राचार्य के पास रखी जायगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

(2) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दी जायगी। **धारा 49 (ण)**

14.31– प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा। **धारा 49 (ण)**

14.32– जहाँ इस अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेाित हो ओर ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकती है। **धारा 49 (ण)**

अध्याय–14 – क

भाग–1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा शर्तें

14.01– क परिनियम 9.03 (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति को या किसी अध्यापक को 10 मास से अनधिक अवधि के लिये छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुई रिक्ति में धारा 31 (3) के अधीन नियुक्ति को या धारा 13 (6) के अधीन नियुक्ति को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक परिशिष्ट 'ख' ख'' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। **धारा 49 (घ)**

14.02– क विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्त्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का एक भाग होगा। **धारा 49 (घ)**

14.03– क परिशिष्ट 'ख' में दी गयी–आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन परिनियम 14.04–क के अर्थान्तर्गत दुराचरण समझाा जायगा।

14.04 क (1) निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या अधिक कारण से विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक पदच्युत किया या हटाया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं– **धारा 49 (ण)**

(क) कर्त्तव्य की जानबूझ कर उपेक्षा,

(ख) दुराचरण,

(ग) सेवा संविदा की शर्तों का उल्लंघन,

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बेईमानी,

(ङ) लोकापवादयुक्त आचरण या नैतिक अपराध के लिए दोषसिद्धि,

(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता,

अध्याय 14–क अवध विश्वविद्यालय (दसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1984 द्वारा दिनांक 30.11.84 से बढ़ाया गया।

(छ) अक्षमता,

(ज) पद की समाप्ति।

(2) धारा 31 (2) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, संविदा समाप्त करने के लिए, किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम तीन मास की नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात दी जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने पर नोटिस, जो भी अधिक हो), दी जायगी या किसी ऐसी नोटिस के बदले में, यथास्थिति, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया या वापस किया जायगा।

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करे या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करे या यदि कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करे, वहाँ ऐसी नोटिस की आवश्यकता न होगी,

परन्तु यह और कि पक्षकार आपसी समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

धारा 49 (ण)

14.05 – क धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा नियुक्ति के दिनांक के तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिये कुलसचिव के यहाँ जमा की जायगी।

धारा 21 (1) (xvii) और 49 (घ)

14.06 – क (1) परिनियम 14.04– क के खण्ड (1) में उल्लिखित किसी कारण विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का आदेश (सिवाय नैतिक दृष्टि से अधम उपराध के लिये सिद्ध– दोष होने या पद समाप्त किये जाने के स्थिति में) तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अध्यापक को, उसके सिरूद्ध आरोप लगाकर उसकी सूचना, जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। उसके विवरण सहित न दे दी जाय, और उसको–

(i) अपने प्रतिवाद के लिये लिखित बयान प्रस्तुत करने का,

(ii) व्यक्तिगत सुनवाई का, यदि वह चाहे, और,

(iii) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय,

परन्तु कार्य परिषद या उसके द्वारा प्राधिकृत अधकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुये किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्य परिषद किसी समय, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास की भीतर सम्बद्ध अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है,जिसमें पदच्युत करने, हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(3) प्रस्ताव की सूचना सम्बद्ध अध्यापक को तुरन्त दी जायगी।

(4) कार्य परिषद अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या उसकी सेवा समाप्त करने के बजाय एक या अधिक अपेक्षाकृत हल्का दण्ड देने का संकल्प पारित कर सकती है अर्थात् अधिक से अधिक तीन वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन–वृद्धियां रोकना और अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हों वेतन से, किन्तु जीवन निर्वाह भत्ते से नहीं, वंचित करना।

धारा 21 (1) (xvii) और 49 (घ)

14.07–क (1) यदि किसी अध्यापक के विरूद्ध कोई जाँच विचाराधीन हो या करने का विचार हो तो परिनियम 8.01 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 15.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित अधार पर निलम्बित करने की सिफारिश कर यकती है। यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश दिया जाय कि अध्यापक के विरूद्ध जाँच प्रारम्भ करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह बीत जाने पर समाप्त हो जायगा जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की सूचना न दे दी जाय जिनके बारे में जाँच करने का विचार था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को–

(क) यदि किसी अपराध के लिये दोष–सिद्धि की स्थिति में, 48 घण्टे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाय और उसे इस प्रकार दोष–सिद्धि के परिणामस्वरूप तुरन्त पदच्युत न किया जाय या सेवा से हटाया न जाय तो उसकी दोष सिद्ध के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाय, चाहे निरोध किसी आपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि के लिए, निलम्बित समझा जायगा।

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के आरम्भ होने से की जायगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायगा।

(3) जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप या अन्यथा अपास्त कर

दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी प्राधिकारी, या निकास उसके विरूद्ध अग्रतर जाँच करने का विनिश्चय करें, वहाँ यदि अध्यापक पदच्युत किये जाने या हटाये जाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त है।

(4) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार के फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड 2 के भाग 2 के समय—समय पर यथा संशोधित अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार, जो यथवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

धारा 21 (1) (xvii) और 49 (घ) 14.08—क—परिनियम 14.06—क के खण्ड (2) या परिनियम 14.07—क के खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं की जायगी।

धारा 34 (1) 14.09—क— विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक किसी कलेन्डर वर्ष में धारा 34 (1) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्त्तव्य के लिये उस कलेन्डर वर्ष में अपने वेतन के कुल योग के छठे भाग या तीन हजार रूपये से, जो भी कम हो, अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।

धारा 49 (घ) 14.10—क—इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुये भी,—

(i) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की अवधि—पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा,

(ii) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम—निर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण किये हो, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के आरम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पर नहीं रह जायगा।

(iii) विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापक से, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के लिये निर्वाचित या नाम—निर्दिष्ट किया जाय, अपनी सदस्यता की अवधि में या, परिनियम 14.11—क द्वारा जैसा उपबन्धित है। उसके सिवाय, किसी सदन या उसकी समिति के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय से त्याग—पत्र देने या छुट्टी लेने की अपेक्षा नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण— इस परिनियम के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष का पद या किसी महाविद्यालय के प्राचार्य का पद कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद नहीं समझा जायगा।

14.11 किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, कुलपति के पूर्वानुमोदन से उतने न्यूनतम दिन नियत करेगा जितने दिन ऐसा अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध होगा— परन्तु जहाँ महाविद्यालय को कोई अधपक संसद या राज्य विधान मण्डन के सत्र के कारण इस प्रकार उपलबध न हो, वहाँ उसे ऐसी छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायगा।

भाग—2

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिय छुट्टी सम्बन्धी नियम

14.12— छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी— **धारा 49 (घ)**

(क) आकस्मिक छुट्टी,
(ख) विशेषाधिकार की छुट्टी,
(ग) बीमारी की छुट्टी,
(घ) कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी,
(ङ) दीर्घकालीन छुट्टी
(च) असाधारण छुट्टी
(छ) प्रसूति छुट्टी

14.13—क आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी जो एक मास मे सात दिन अथवा एक सत्र में 14 दिन से अधिक न होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन साथ मिलाई नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से ; जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को अधित्यजित कर सकता है। **धारा 49 (घ)**

14.14—क एक सत्र में दस कार्य—दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी और वह 60 कार्य—दिवस तक संचित की जा सकती है। **धारा 49 (घ)**

14.15— क बीमारी की छुट्टी वेतन की चालू दर और यदि छुट्टी के समय के लिये कोई प्रबन्ध किया जाय तो उसके कुल व्यय के अन्तर पर, किन्तु कम से कम आधे वेतन पर, एक सत्र के एक मास के लिये दी जायगी और संचित नहीं होगी। **धारा 49 (घ)**

14.16—क विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों और सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो, या जिसमें वह **धारा 49 (घ)**

विश्वविद्यालय द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षायें संचालित करने के लिए 15 कार्य–दिवस की कर्त्तव्यस्थ (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायगी।

14.17– क किसी एक सत्र में एक मास के लिये दीर्घकालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी और बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से, यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य अनुमोदित अध्ययन यासेवा निवृत्ति पूर्वता के लिये दी जा सकती है। परन्तु, ऐसी छुट्टी लम्बी बीमारी को छोड़कर केवल 5 वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है–

परन्तु यह और कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्यपरिषद् के विवेकानुसार छःमास से अनधिक अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है,

परन्तु यह भी कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ''अध्यापक अधिछात्रवृत्ति'' के लिये या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिये किया गया हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसी अधिछात्रवृत्ति, प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिये पूर्ण वेतन पर छुट्टी दी जा सकती है।

14.18–क असाधारण छुट्टी बिना वेतन की होगी। यह ऐसे कारणों से दी जा सकती है जिन्हें कार्यपरिषद् उचित समझे, किन्तु परिनियम 14.10–क में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर, यह कभी भी तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये स्वीकृत नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण– 1. कोई अध्यापक जो कोई स्थायी पद धृत करता हो या जो किसी निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुये, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकि अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समयमान में अपनी वेतन–वृद्धि में किये जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–2. राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धृत करता हो और जिसे ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैन्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के फन्डामेन्टल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समय–समय में ऐसे प्रक्रम पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह ऐसी छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिये छुट्टी स्वीकृति की गयी थी लोकहित में रहा हो।

14.19–क अध्यापिकाओं को ऐसी अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी जो प्रसूति के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास तक या प्रसवावस्था के दिनांक से छः सप्ताह तक, जो भी कम हो, पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है।

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका की सम्पूर्ण सेवा–अवधि में तीन बार से अधिक नहीं दी जायगी।

14.20–क छुट्टी अधिकारस्वरूप नहीं माँगी जा सकती है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए स्वीकृति प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहिले स्वीकृत की गयी छुट्टी को रद्द कर सकता है। **धारा 49 (घ)**

14.21–क किसी रजिस्ट्रीकृत विकित्सक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी अथवा लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिन से अधिक हो तो कुलपति किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण–पत्र माँगने के लिए सक्षम होगा। **धारा 49 (घ)**

14.22–क दीर्घकालिक छुट्टी और असाधारण छुट्टी को छोड़कर जो कार्य–परिषद द्वारा स्वीकृत की जायगी, छुट्टी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलपति होगा। **धारा 49 (घ)**

भाग–3

अधिवर्षिता की आयु

14.23– क इस भाग में, पद नये वेतनमान का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित सरकारी आदेश संख्या शिक्षा 11–9045/15–(7)–73, दिनांक 28 दिसम्बर 1974 के अनुसार किसी अध्यापक को अनुमन्य वेतनमान से है। **धारा 49**

14.24–क (1) नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी। **धारा 49**

(2) विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु जो नये वेतनमान द्वारा नियंत्रित न हो, साठ वर्ष होगी।

(3) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् किसी अध्यापक की सेवा अवधि में अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् कोई वृद्धि नहीं की जायेगी:

परन्तु यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता' का दिनांक 30 जून न हो तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

परन्तु यह और कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे अध्यापकों को, जिन्हें 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया हो और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन पा रहे हों, उनकी अधिवर्षिता के दिनांक से आगामी 30 जून के पश्चात् दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जायेगा।

धारा 49 (घ) 14.25—क विश्वविद्यालय का ऐसा प्रत्येक अध्यापक 1 अगस्त 1975 को परिनियम 14.24—क में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के उपरान्त बढ़ायी गयी सेवा—अवधि उक्त दिनांक के पूर्व स्वीकृत की गयी थी, उक्त दिनांक की प्रवृत्त परिनियमावली और अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार बढ़ायी गई अवधि की समाप्ति पर सेवा—निवृत्त हो जायेगा, किन्तु ऐसा अध्यापक नये वेतनमान का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

धारा 49 14.26—क विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक परिनियम 14.24—क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस अध्यापक के साठवें जन्म के दिनांक के ठीक पूर्व का दिनांक होगा।

भाग—4

अन्य उपबन्ध

धारा 32 और 49 14.27—क इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'ख' के साथ पठित परिशिष्ट 'ख ख' में दिये गये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार परिष्कृत समझी जायगी।

धारा 49 14.28—क परिनियमावली 14.04—क (1) के खण्ड (ख) खण्ड (ग) खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) में उल्लिखित किसी कारण सेवा से पदच्युत किया गया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायगा।

14.29—क (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक परिशिष्ट ''ग'' के प्रपत्र 3 में अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।

परिनियम 14.24—क का परन्तुक अवध विश्वविद्यालय (बाईसवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1988 द्वारा दिनांक 30 जून, 1988 में प्रतिस्थापित किया गया।

(2) मूल रिपोर्ट पर, उसे कुलपति को देने के पूर्व विभागाध्यक्ष से भिन्न अध्यापक की दशा में सम्बद्ध विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायगा।

(3) किसी शिक्षा सत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दी जायगी।

14.30—क विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्न्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

14.31—क जहाँ अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादशें के उपबन्धें के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेषित हो और ऐसा अध्यापक नगर में न हो, वहाँ ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जा सकता है।''

अध्याय—15

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता

सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा—

15.01 (क) प्राचार्य महाविद्यालय के अन्य अध्यापकों से ज्येष्ठ समझा जायगा। **धारा 49 (ण)**

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं अध्यापकों की ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के दिनांक से अनवरत सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायगी।

(घ) प्रत्येक हैसियत में (उदाहरणार्थ प्राचार्य या अध्यापक के रूप में) की गई सेवा की गणना मौलिक नियुक्ति के अनुसार कार्य—भार ग्रहण करने के दिनांक से की जायगी।

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चाहे वह विश्वविद्यालय या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त हो मौलिक रूप में की गयी सेवा को उसकी सेवा की अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

15.02—जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी। **धारा 49 (ण)**

(1) प्राचार्यों की स्थिति में प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(2) प्राध्यापकों की स्थिति में आयु की ज्येष्ठता पर विचार किया जायगा।

धारा 49 (ण) 15.03– जहाँ विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में प्राचार्य के रूप में, प्रतिनिधित्व करने या नियुक्ति के प्रयोजनार्थ प्राचार्य के रूप में कि व्यक्ति की ज्येष्ठता अवधारित की जानी हो, वहाँ केवल प्राचार्य के रूप में की गयी सेवा की अवधि पर ध्यान दिया जायगा।

धारा 49 (ण) 15.04 (1) जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विभाग में या एक ही विषय के लिये अध्यापक नियुक्त किये जायें तो उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता उस अधिमानता या योग्यताक्रम में, जिसमें चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गयी थी अवधारित की जायगी।

(2) यदि दो या अधिक अध्यापकों की ज्येष्ठता खण्ड (1) के अधीन अवधारित की गयी हो तो उसकी सूचना अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व हो तो उसकी सूचना अध्यापकों को उनकी नियुक्ति क पूर्व दी जायगी।

धारा 49 (ण) 15.05– अध्यापकों (प्राचार्य से भिन्न) की ज्येष्ठता के संबन्ध में समस्त विवाद महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेगा। प्राचार्य के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है। यदि कलपति प्राचार्य से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेंगे।

15.06– इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली क प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 49 (ण) 15.07– कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

धारा 49 (ण) 15.08– अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा–

(क) किसी प्राचार्य को प्रत्येक अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(ख) एक ही संवर्ग में, किसी अध्यापक की ज्येष्ठता उस संवर्ग में, मौलिक रूप में उसकी अनवरत सेवा–काल के अनुसार अवधारित की जायगी,

परन्तु जहाँ संवर्ग के पदों पर एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय की गयी हों, और चयन समितियाँ प्रबन्धतंत्र द्वारा अधिमानता या योग्यताक्रम इंगित किया गया हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी।

(ग) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्यापक नियुक्त किया जाय, तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवा–काल में सम्मिलित किया जायगा।

(घ) किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रशासकीय पद के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्यष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

(ङ) ऐसे अस्थायी पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धारा 31 (3) (ख) के अधीन उस पर पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिये की जायगी।

धारा 49 (ण) 15.09– (1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रबन्ध तंत्र–

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करें तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम में अवधारित करेगा,

(ख) चयन समिति की सिफारिशें से सहमत न हो और धारा 31 (8) (ख) के अधीन मामला कुलपति को निर्दिष्ट करें तो कुलपति उन मामलों में जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नुियक्ति अनतर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता–क्रम अवधारित करेंगे।

(2) ऐसे योग्यता–क्रम की जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जाँय, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों की उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा 49 (ण) 15.10– सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में समस्त विवाद कुलपति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करेंगे। कुलपति के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राचार्य ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद कुलपति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण उल्लिखित करेगी।

अध्याय–15 क

भाग–1

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता

धारा 16 (घ) और 49 (घ) 15.01– क इस अध्याय के परिनियमों का इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 49 (घ) 15.02– क कुल सचिव का कर्तव्य होगा कि वह आगे आये हुए उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के सम्बन्ध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।

धारा 49 (घ) 15.03–क संकाय के संकायाध्यपकों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा संकाय के संकायाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा,

परन्तु जब दो या इससे अधिक संकायाध्यक्ष उक्त पद पर समान अवधि तक रह हों तो आयु में ज्येष्ठ संकायाध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा 49 (घ) 15.04– क विभागाध्यक्षों में ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायगा,

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान अवधि तक रहें, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष इस अध्यय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायगा।

धारा 49 (घ) 15.05– क विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायगा–

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायगा,

(ख) एक ही संवर्ग में, वैयक्तिक पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायगी:

✹परन्तु जहाँ सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही समय में की गयी हों और, यथास्थिति, चयन समिति या कार्य परिषद् द्वारा अधिमानता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारम्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी:

✹ 30.09.85 में संशोधित।

परिनियम 15.05–क (ख) अवध विश्वविद्यालय (पन्द्रवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1985 द्वारा दिनाँक 30–09–1985 से प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि जहाँ एक से अधिक नियुक्तियाँ एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत पद पर थी।

(ग) जब (डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालयसे भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या किसी संस्थान में, चाहे वह उत्तर प्रदेश राज्य में या उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालयमें तत्स्थानीपंक्ति या श्रेणी के पद पर, चाहे पहली अगस्त, 1981 के पूर्व या उसके पश्चात् नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उस श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवा–काल में सम्मिलित किया जायगा।

(घ) जब किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वालो कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में अवध विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् प्राध्यापक नियुक्त किया जाय तब उस अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा–अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा अवधि में सम्मिलित किया जायगा।

(ङ) किसी विश्वविद्यालय या संस्थान में प्रशासकीय पद के प्रति की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ नहीं की जायगी।

स्पष्टीकरण– इस अध्याय में, पद ''प्रशासकीय नियुक्ति'' का तात्पर्य धारा 13 की उपधार (6) के अधीन की गयी नियुक्ति से है;

(च) ऐसे अस्थाई पद पर अनवरत सेवा की, जिस पर कोई अध्यापक चयन समिति को निर्देश किये जाने के पश्चात् नियुक्त किया जाय, और यदि उसके पश्चात् धारा 31 (3) (ख) के अधीन उस पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किया जाय, गणना ज्येष्ठता के लिए की जायगी।

15.06– क जहाँ एक संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहाँ ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जायेगी। **धारा 49 (घ)**

(1) आचार्यो की स्थिति में, उपाचार्य के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

(2) उपाचार्यों की स्थिति में, प्राध्यापक के रूप में की गई मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(3) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा की अवधि समान हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा की अवधि पर विचार किया जायगा।

धारा 49 (घ)

15.07—क जहाँ एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नही की जा सकती है, वहाँ ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता वयोवृद्धता के आधार पर अवधारित की जायगी।

धारा 49 (घ)

15.08—क (1) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कार्य—परिषद्—

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हो, और एक ही विभाग में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह, ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यताक्रम अवधारित करेगी,

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हो और धारा 31(8) (क) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में जहाँ एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों का योग्यताक्रम अवधारित करेंगे,

(2) ऐसे योग्याताक्रम की, जिसमें खण्ड (1) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायगी।

धारा 19 (1)
और 49 (घ)

15.09—क (1) कुलपति समय—समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे, जिनमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट दो संकायाध्यक्ष होंगे,

परन्तु उस संकाय का, जिससे अध्यापकों का (जिनकी ज्येष्ठता विवादाग्रस्त हो) सम्बन्ध हो संकायाध्यक्ष सापेक्ष ज्येष्ठता समिति का सदस्य नही होगा,

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायगा जो विनिश्चय के कारण उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(3) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनाँक से साठ दिन के भीतर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्य परिषद् समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

अध्याय—6

स्वायत्त महाविद्यालय

धारा 42

16.01— किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र जो स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, निम्नलिखित बातों को स्पष्टतया विनिर्दिष्ट करते हुए कुलसचिव को आवेदन—पत्र देगा—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा विहित शिक्षा पाठ्यक्रम में या उससे प्रस्तावित परिवर्तन जिसके अनतर्गत ऐसे विषय में, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम के स्थान पर किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रतिस्थापन भी है,

(ख) यह रीति जिसके अनुसार महाविद्यालय का इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रम में परीक्षायें लेने का प्रस्ताव है,

(ग) अपने वित्त तथा अस्तियों के ब्योरे, अपने अध्यापक वर्ग की संख्या तथा अर्हतायें, उच्च अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध सुविधायें तथा किया गया उच्च अनुसंधान कार्य, यदि कोई हो।

धारा 42

16.02— परिनियम 16.01 के अधीन कोई भी आवेदन—पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करे—

(क) उसमें कम से कम दो संकायों में स्नातकोत्तर स्तर तक कम से कम छः विषयों में शिक्षण देने के लिये सुस्थापित अध्यापन विभाग है,

(ख) उसमें पर्याप्त तथा उत्तम अर्हतासंपन्न, अध्यापक वर्ग है या होने की संभावना है,

(ग) उसका प्राचार्य असाधारण योग्यता का अध्यापक अथवा विद्वान है तथा उसे प्रशासनिक अनुभव है,

(घ) उसके पास समस्त पाठन (ट्यूशनल) प्रयोजनों तथा पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालों के निमित्त पर्याप्त तथा संतोषजनक भवन है और भविष्य में उनके प्रसार के लिये भूमि है,

(ङ) उसके पास एक अच्छा पुस्तकालय है और उसके नियमित विकास के लिये व्यवस्था है अथवा होने की सम्भावना है,

(च) उसके पास उसमें पढ़ाये जाने वाले विषयों के निमित्त, यदि आवश्यक हो सुसज्जित प्रयोगशालायें और उसमें नवीन उपलब्धियों तथा उनके प्रतिस्थापनार्थ प्रर्याप्त व्यवस्था है अथवा होने की संभावना है।

(छ) महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय की स्थिति प्राप्त करने में अनतर्ग्रस्त अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के प्रबन्धतंत्र के पर्याप्त संसाधन हैं।

धारा 42

16.03–परिनियम 16.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 2,000 रूपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट होगा जिसे वापस नहीं लिया जायेगा।

धारा 42

16.4 (1) परिनियम 16.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र संवीक्षार्थ प्रत्येक संकाय की सम्बद्ध स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया जायगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संकाय की स्थिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष संयोजक,

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किन्हीं दो विश्वविद्यालयों के कार्य परिषद द्वारा चयन किये गये तत्स्थायी प्रत्येक संकाय का एक प्रतिनिध।

(3) यदि समिति की रिपोर्ट पक्ष में हो तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा उसे स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किये जाने की उपयुक्तता पर रिपोर्ट देने के लिये (छः सदस्यों से अनधिक का) एक निरीक्षक बोर्ड नियुक्त करेगी।

(4) निरीक्षक बोर्ड में संयोजक के रूप में कुलपति तथा सदस्यों के रूप में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) और विषयों के ऐसे अन्य विशेषज्ञ होंगे जिन्हें कार्य परिषद् नियुक्त करना उचित समझे।

धारा 42

16.05– निरीक्षक बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड तथा विद्या–परिषद् द्वारा भी विचार किया जायगा और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य–परिषद् के समक्ष रखा जायगा।

धारा 42

16.06–(1) निरीक्षक बोर्ड की सिफारिश और परिनियम 16.05 में निर्दिष्ट दो निकायों की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यदि कार्य परिषद् की राय हो कि महाविद्यालय धारा 42 में उल्लिखित विशेषाधिकारें का हकदार है तो वह अपना प्रस्ताव कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(2) खण्ड (1) के अधीन प्रस्ताव और अन्य सम्बद्ध पत्रादि प्राप्त होने पर और ऐसी जाँच, जिसे कुलाधिपति आवश्यक समझे, करने के पश्चात् कुलाधिपति प्रस्ताव का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकते हैं:

परन्तु ऐसे किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पूर्व कुलाधिपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयो से परामर्श कर सकते हैं।

धारा 42

16.07– परिनियम 13.06 के अधीन कुलाधिपति द्वारा कार्य परिषद् की सिफारिश का अनुमोदन कर लेने के पश्चात् कार्य परिषद् महाविद्यालय को स्वायत्त घोषित करेगी और ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके सम्बन्ध में तथा जिस सीमा तक महाविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

धारा 42

16.08 (1) धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्वायत्त महाविद्यालय निम्नलिखित का हकदार होगाः

(क) अपने विशेषाधिकारों के अन्तर्गत आने वाले विषयों का पाठ्य–क्रम तैयार करना;

(ख) ऐसे विषयों में आन्तरिक या वाह्य परीक्षकों के रूप में नियुक्ति किये जाने के लिये अर्हता–सम्पन्न व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ग) परीक्षायें आयोजित करना और परीक्षा तथा अध्यापन कार्य की विधि में ऐसे परिर्वतन करना, जो उसकी राय में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने में सहायक हों।

(2) सम्बद्ध संकाय–बोर्ड, विद्यापरिषद् और परीक्षा समिति खण्ड (1) के अधीन स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार कर सकती है और किसी परिर्वतन का, यदि आवश्यक हो, सुझाव दे सकती है।

धारा 42

16.09–(1) स्वायत्त महाविद्यालय का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तथा प्रकाशित किया जायगा जो उस महाविद्यालय का नाम उल्लिखित करेगा जिसने घोषणा और प्रकाशन के लिए परीक्षाफल प्रस्तुत किया हो।

(2) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य सूचना देगा जैसी कार्य परिषद् महाविद्यालय की दक्षता का अनुमान लगाने के लिये समय–समय पर अपेक्षा करें।

(3) विश्वविद्यालय स्वायत्त महाविद्यालय का समान्य पर्यवेक्षण करता रहेगा और महाविद्यालय के ऐसे छात्रों को उपाधियाँ प्रदत्त करता रहेगा जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये कोई अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करें।

धारा 42

16.10– कार्य परिषद् किसी भी समय निरीक्षक–बोर्ड द्वारा किसी स्वायत्त महाविद्यालय का निरीक्षण करा सकती है, और यदि ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात्, उसकी यह राय हो कि महाविद्यालय अपेक्षित स्तर को बनाये रखने में या अपेक्षित संसाधनों से सम्पन्न होने में असफल रहा है या यह कि शिक्षा के हित में, धारा 42 द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को वापस लेना आवश्यक है कार्य–परिषद कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, ऐसे विशेषाधिकारों को वापस ले सकती है और तदुपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय की स्थिति में परिवर्तित हो जायगा।

धारा 42

16.11–(1) अपने कार्य के समुचित नियोजन तथा संचालन के लिये प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय की एक विद्या परिषद् और प्रत्येक

संकाय में समाविष्ट विषयों के सम्बन्ध में एक संकाय बोर्ड होगा।

(2) विद्या–परिषद् में समस्त विभागाध्यक्ष, पदेन और स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के दो अन्य अध्यापक तथा प्रथम उपाधि के लिये पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के एक अध्यापक होंगे, जिसका अध्यक्ष प्राचार्य होगा। अध्यापक एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से परिषद् के सदस्य होंगे, परन्तु चार वर्ष से कम की अवस्थिति का कोई भी अध्यापक सदस्य न होगा।

(3) विद्या–परिषद् तिमाही अधिवेशनों में महाविद्यालय के शैक्षिक कार्य का पुनर्विलोकन करेगी और पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा समस्त प्रस्ताव उक्त परिषद् के माध्यम से भेजे जायेंगे,

(4) संकाय के बोर्ड में, संकाय में समाविष्ट विषयों के ऐसे सभी अध्यापक होंगे, जिनकी उपाधि कक्षाओं के अध्यापक के रूप में तीन वर्ष की अवस्थिति हो। शैक्षिक मामलों पर विचार करने के लिये संकाय बोर्ड का अधिवेशन नियमित अन्तरालों पर (यदि सम्भव हो, मास में एक बार) होगा और वह प्राचार्य को सलाह देगा। इन संकाय के बोर्डों में पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि से सम्बन्धित प्रस्ताव या तो व्युत्पन्न होंगे अथवा उन पर विचार किया जायगा।

धारा 42 16.12–धारा 42 (2) और इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी स्वायत्त महाविद्यालय से सम्बन्धित शिक्षा पाठ्यक्रम तथा अन्य शर्त ऐसी होगी जैसी कि अध्यादेशों में निर्धारित की जाय।

अध्याय–17

श्रमजीवी महाविद्यालय

धारा 42 17.01–(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, जो श्रमजीवी महाविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने का इच्छुक हो, क्षेत्र में इस प्रकार के महाविद्यालय की माँग को इंगित करते हुए तथा उस उपाधि को, जिसके लिये मान्यता मॉगी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुये कुल सचिव को आवेदन–पत्र देगा।

(2) किसी महाविद्यालय को विज्ञान, विधि और औषधि (मेडिसिन) के संकायो में श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता नहीं दी जायगी।

धारा 43 17.02–परिनियम 17.01 के अधीन कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करें:–

(1) उस क्षेत्र में ऐसे महाविद्यालय के लिये युक्तियुक्त माँग है और प्रबन्धतंत्र के पास ऐसे महाविद्यालय के पोषण तथा उसे चलाने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त व्यय वहन करने के पर्याप्त संसाधन हैं।

(2) श्रमजीवी महाविद्यालय में प्रवेश का विशेषाधिकार केवल ऐसे व्यक्तियों तक सीमित होगा, जो कारबार, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने या किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नाम लिखवाने में असमर्थ हों।

(3) महाविद्यालय ऐसे समय में कक्षायें लगायेगा जो समान्यतः छात्रों की सुविधा के अनुरूप हों और सामान्य कार्य समय के साथ न हों।

(4) श्रमजीवी महाविद्यालय का कर्मचारीवर्ग पृथक होगा और यथासम्भव, उन्हें पूर्णकालिक आधार पर नियोजित किया जायगा। फिर भी, महाविद्यालय, अपने विकल्प से, अंशकालिक अध्यापक नियोजित कर सकता ह, परन्तु उनकी संख्या अध्यापकों की कुल संख्या के आधे से अधिक न हो। महाविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारी उसी वेतनमान के हकदार होंगे जो सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य हो। अंशकालिक अध्यापक का वेतन प्रत्येक व्यक्ति विशेष के मामले में प्रबन्धतंत्र द्वारा नियत किया जायगा और ऐसा वेतन पूर्णकालिक अध्यापकों की तुलना में ऐसे अध्यापक द्वारा प्रति सप्ताह पढ़ाये जाने के लिये, अपेक्षित घंटों की संख्या पर विचार करके नियत किया जायगा, किन्तु किसी भी दशा में वह उस समयमान के न्यूनतम के दो–तिमाही से अधिक न होगा जिसका हकदार वह पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किये जाने की दशा में होता। अध्यापकों की नियुक्ति अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन होगी।

(5) महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के लिये बनाये गये परिनियमों तथा अध्यादेशों का अनुपालन करने के लिये तैयार है।

17.03–(1) परिनियम 17.01 के अधीन प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय 2,000 रूपये की धनराशि का एक बैंक ड्राफ्ट होगा जिसे वापस नहीं किया जायगा। **धारा 43**

(2) आवश्यक पत्रादि सहित आवेदन–पत्र कुल सचिव के पास उस सत्र के, जब से मान्यता माँगी गई हो, पूर्ववर्ती सत्र के 15 अगस्त के पूर्व पहुँच जाना चाहिये।

17.04–(1) ऐसा प्रत्येक आवेदन–पत्र कार्य–परिषद के समक्ष रखा जायगा और यदि आवेदन–पत्र ग्रहण कर लिया जाय तो कार्य परिषद् महाविद्यालय का निरीक्षण करने तथा श्रमजीवी महावविद्यालय के रूप में मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में उसकी उपयुक्ततता और उन शर्तों के सम्बन्ध में, जिन पर ऐसी मान्यता दी जाय, रिपोर्ट, देने के लिये एक निरीक्षक–बोर्ड नियुक्त करेगी। **धारा 43**

(2) निरीक्षक बोर्ड की रिपोर्ट पर सम्बद्ध संकाय के बोर्ड द्वारा तथा विद्या–परिषद् द्वारा भी विचार किया जायगा और उसे इन निकायों के दृष्टिकोण सहित कार्य परिषद् के समक्ष रखा जायगा।

धारा 43 17.05– अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कार्यपरिषद् निरीक्षक बोर्ड, सम्बद्ध संकाय के बोर्ड और विद्या परिषद् की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय को श्रमजीवी महावविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर सकती हैं

धारा 43 17.06–धारा 43 (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, श्रमजीवी महाविद्यालय की सम्बन्धित अध्ययन पाठ्यक्रम और अन्य शर्तें वही होंगी, जो अध्यादेश में निर्धारित की जाय।

धारा 43 17.07–परिनियम 16.09 के खण्ड (2) और (3) और परिनियम 16.10 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, श्रमजीवी महाविद्यालय पर लागू होंगे।

अध्याय–18

सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अर्हतायें व सेवा सम्बन्धी शर्ते

18.01– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्याय में, उत्तरवर्ती परिनियमों में परिभाषित पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा।

(1) ''चतुर्थ वर्ग का पद'' का तात्पर्य नैत्यिक लिपिक के वेतन–मान से कम वेतनमान के पद से है और ''चतुर्थवर्ग के कर्मचारियों'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायगा।

(2) ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य अधिनियम या विश्वविद्यालय के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय से है, किन्तु इसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है।

(3) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के वेतन भोगी कर्मचारी (जो अध्यापक न हो) से है और इसके व्याकरणिक रूपभेद तथा सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

✹(4) 'संघ की सशस्त्र सेना' का तात्पर्य संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना से है और इसके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेना भी है।

(5) 'अंगहीन भूतपूर्व सैनिक' का तात्पर्य उस भूतपूर्व सैनिक से है जो 'संघ की सशस्त्र सेना' में सेवा करते हुए, शत्रु के विरूद्ध

✹ 1981 में संशोधित।

कार्यवाही के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में अंगहीन हुआ हो।

(6) 'भूतपूर्व सैनिक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में चाहे योधक के रूप में या अनायोधक के रूप में कम से कम छः माह की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और, जिसे–

(एक) दुराचरण या अदक्षता के कारण पद्च्युत या सेवामुक्त किये जाने से भिन्न रूप में निर्मुक्त किया गया हो या निर्मुक्त होने तक रिजर्व में स्थानानतरित किया गया हो, या

(दो) इस प्रकार निर्मुक्त किये जाने या रिजर्व में स्थानान्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिये छः मास से अनधिक सेवा करना पड़ी हो।'

18.02–(1) इस परिनियमावली के अधीन रहते हुये परिनियम 18.03 में निर्देशित पदों पर नियुक्ति महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा की जायगी और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति प्राचार्य द्वारा की जायगी।

(2) खण्ड (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी को उस वर्ग के कर्मचारियों के विरूद्ध जिसका वह नियुक्ति प्राधिकारी है, अनुशासनिक कार्यवाही करने और दण्ड देने की शक्ति होगी।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रत्येक विनिश्चय की सूचना, कर्मचारी को संसूचित किये जाने के पूर्व, जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जायगी और वह तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसका अनुमोदन लिखित रूप में न कर दिया जाय,

परन्तु इस खण्ड की कोई बात उस अवधि के अत तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा–समाप्त करने पर लागू नहीं होगी,

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई बात ऐसे निलम्बन के आदेश पर, जिसमें जाँच विचाराधीन हो, लागू नहीं होगी, किन्तु कोई ऐसा आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्थापित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकता है।

(4) खण्ड (2) और खण्ड (3) में निर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध कोई अपील सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को की जायगी।

✹18.03–(1) पुस्तकाध्यक्ष, उपपुस्तकाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, औषधकारक, नैत्यिक लिपिक के पद पर या खण्ड (2) या खण्ड (6) में उल्लिखित पद से भिन्न नैत्यिक लिपिक के वेतनमान **धारा 49 (ण)**

✹ 1981 में संशोधित।

में या उससे उच्च वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति समाचार पत्रों में रिक्ति का विज्ञापन करने के पश्चात् खण्ड (6) में उपबन्धित रीति से चयन समिति की संस्तुति पर सीधी भर्ती द्वारा की जायगी;

परन्तु पुस्तकाध्यक्ष का पद उप पुस्तकाध्यक्ष के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायगा, यदि पश्चात्वर्ती पद का पदधारी पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिये विहित न्यूनतम् अर्हता रखता हो।

(2) सहायक के पद पर नियुक्ति, नैत्यिक लिपिकों में से उपयुक्तता और योग्यता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायगी।

(3) मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और बर्सर के पद पर नियुक्ति अपेक्षित अर्हता रखने वाले वर्तमान कर्मचारियों में से उपयुक्तता और योग्यता के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायगी और सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायगी। वर्तमान कर्मचारी वर्ग में से अर्ह और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार, मुख्य लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और बर्सर के पदों पर नियुक्ति समाचार–पत्रों में रिक्ति को विज्ञापित करने के पश्चात् चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा की जायगी।

(4) कर्मचारियों की नियुक्ति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से की जायगी। यदि अनुमोदन प्राधिकारी अनुमोदन का प्रस्ताव प्राप्त होने के दो मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुमोदन न करने की सूचना न दें या ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना न भेजें तो यह समझा जायगा कि अनुमोदन प्राधिकारी ने नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है।

(5) स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर की जायगी यदि अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक न पाया जाय तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है परन्तु परिवीक्षा की अवधि की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी। परिवीक्षा की बढ़ाई हुई अवधि वेतन वृद्धि के लिये मान्य नहीं होगी।

(6)–(क) पुस्तकाध्यक्ष, उपपुस्तकाध्यक्ष या शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(i) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र को कोई सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य,

परिनियम 18.02 का खण्ड (3) अवध विश्वविद्यालय (तेईसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1988 द्वारा दि0 30 अगस्त, 1988 से प्रति–स्थापित किया गया।

(iii) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक अधिकारी,

(ख) खण्ड (1) या खण्ड (3) में निर्दिष्ट शेष पदों पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(i) प्रबन्धतंत्र का प्रधान या उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य,

(iii) जिला विद्यालय निरीक्षक,

(iv) जिला नियोजन अधिकारी (एम्प्लायमेनट आफीसर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी।

(v) खण्ड (1) और (3) में निर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ, रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार–पत्रों में विाापित की जायगी, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो और उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध जिला नियोजन अधिकारी से भी प्राप्त किये जायेगें।

(घ) चतुर्थ वर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध जिला नियोजन अधिकारी से प्राप्त किये जायेंगे। ऐसी रीति से उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में पद को विज्ञापित किया जा सकता है।

(ङ) कोई कर्मचारी वेतन भुगतान लेखा से वेतन के भुगतान के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक अधिनियम की धारा 60–क के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) द्वारा अनुध्यात अनुज्ञा न दी गयी हो।

(च) यदि प्रबन्धतंत्र चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो वह मामले को अपनी असहमति के कारणों सहित अनुमोदन प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा, और उक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु इस खण्ड की कोई बात उस अवधि के जब तक के लिये कर्मचारी नियुक्त किया गया हो, व्यतीत हो जाने पर सेवा की किसी समाप्ति पर लागू नहीं होगी,

परन्तु यह और कि इस खण्ड की कोई बात जाँच के विचाराधीन होने तक निलम्बन के आदेश पर लागू नहीं होगी, किन्तु ऐसा कोई आदेश शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा स्थगित, प्रतिसंहृत या परिष्कृत किया जा सकता है।

18.04 (1)– परिनियम 18.06 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के **धारा 49 (ण)**
लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के

लिए आरक्षण किया जायगा ऐसे आरक्षण का प्रतिशत सरकारी सेवा में नियुक्ति के विहित प्रतिशत के बराबर होगा।

✹ (2) किसी वर्ष सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली तृतीय वर्ग की सेवाओं और पदों की दश प्रतिशत रिक्तियाँ और चतुर्थ वर्ग की सेवाओं और पदों की पाँच प्रतिशत रिक्तियाँ, जिनमें ऐसी अस्थायी रिक्तियाँ भी सम्मिलित हैं जिनके स्थायी कियें जाने की या एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलते रहने की सम्भावना हो, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जाने के लिये आरक्षित की जायेगी,

परन्तु इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियों का उपयोग प्रथमतः अंगहीन भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिये किया जायगा जब तक कि इस प्रकार भरे जाने वाले पद का कर्तव्य ऐसा न हो कि अंगहीन भूतपूर्व सैनिक अपनी निःशक्तता के कारण उसका पालन करने में अक्षम हो, और यदि ऐसी कोई रिक्ति तब भी बिना भरे रह जाय, जब उसका उपयोग अन्य भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिये किया जायगा।

धारा 49 (ण) 18.05– महाविद्यालय में नियोजन के लिये अभ्यर्थी का –

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (जिसका पहले तांगनिका और जंजीवार नाम था) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो, होना आवश्यक है,

परन्तु उपुर्यक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि उप–पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

धारा 49 (ण) 18.06– (1) किसी महाविद्यालय में नीचे विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता वही होगी जो प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित है–

(एक) लिपिक वर्ग नैत्यिक लिपिक, सहायक, मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक के पद के लिये इण्टरमीडिएट या

✹ 1981 से संशोधित।

राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा,

परन्तु मुख्य लिपिक एवं लेखाकार और मुख्य लिपिक की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि किसी स्नातकोत्तर या उपाधि या इण्टरमीडिएट महाविद्यालय में नैत्यिक लिपिक या सहायक के पद पर कार्य करने का कम से कम दस वर्ष की अवधि का अनुभव हो।

(दो) प्रयोगशाला सहायक

प्रयोगशाला सहायक पद के लिए, उन विषयों में जिनसे प्रयोगशाला का सम्बन्ध हो, इन्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा या हाई स्कूल या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा और सम्बद्ध विषय प्रयोगशाला में प्रयोगशाला देयरर के रूप में कम से कम पॉच वर्ष का अनुभव।

(तीन) पुस्तकाध्यक्ष / उपपुस्तकाध्यक्ष

(क) पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 'क' और 'ख'–

अधिस्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 'ग'–

स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव।

(ग) उप पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 'क' और 'ख'–

स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि और दो वर्ष का अनुभव।

(घ) उप पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 'ग'–

स्नातक की उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि।

स्पष्टीकरण–इन परिनियमों के प्रयोजनों के लिये ''पुस्तकाध्यक्ष / उपपुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 'क' और 'ख' का तात्पर्य ऐसे किसी उपाधि महाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष / उपपुस्तकाध्यक्ष से है जहाँ दो हजार या अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हों और ''पुस्तकाध्यक्ष / उप पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 'ग' का तात्पर्य किसी ऐसे उपाधि महाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष / उप पुस्तकाध्यक्ष से है जहाँ दो हजार से कम छात्र अध्ययन कर रहे हों।

(चार) कार्यालय अधीक्षक

कार्यालय अधीक्षक के पद के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि और किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में या इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था में मुख्य लिपिक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का दस वर्ष का अनुभव।

(पाँच) सहायक लेखाकार

विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की लेखाशास्त्र/लेखा परीक्षा के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।

(छः) बर्सर

बर्सर के पद के लिये विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक या लेखाकार के रूप में कार्य करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

(सात) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी

चतुर्थ वर्ग के पदों के लिये किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना।

(आठ) अन्य पद

किसी अन्य पद के लिये जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों, ऐसी न्यूनतम अर्हता जैसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट की जाय।

परन्तु सफाईकार के पद के लिये कोई अर्हता अपेक्षित न होगी, किन्तु उस व्यक्ति को अधिमानता दी जायगी जो शिक्षित हो या कम से कम देवनगरी लिपि में हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ हो।

परन्तु यह और कि—

(एक) तृतीय वर्ग की सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में किसी भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हता जहाँ कहीं इस परिनियम में विहित अर्हता किसी विश्वविद्यालय की उपाधि हो, वहाँ इण्टरमीडिएट होगी, और जहाँ कहीं इस परिनियम से विहित अर्हता इन्टरमीडिएट हो, वहाँ हाईस्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी और जहाँ विहित अर्हता हाईस्कूल, या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, वहाँ कोई शिथिलता नहीं दी जायगी।

(दो) चतुर्थ वर्ग की सेवाओं और पदों के लिये ऐसी सेवाओं और पदों की आरक्षित रिक्तियों में, अन्यथा उपयुक्त समझे गये भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई शैक्षिक अर्हता होगी।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जिसके पास इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पश्चात् खण्ड (1) में विहित अर्हता न हो, पदोन्नति या स्थायी किये जाने के लिये तब तक पात्र नहीं होगा तब तक कि वह उपर्युक्त अर्हतायें प्राप्त न कर लें परन्तु इस परिनियम की किसी बात का प्रभाव इस परिनियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी पदोन्नति और स्थायीकरण पर नहीं पड़ेगा।

---

1. परिनियम 18.06 के खण्ड (तीन) तथा (पाँच) अथवा विश्वविद्यालय (तेइसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, द्वारा दि0 30.8.1988 से प्रतिस्थापित किये गये।
2. परिनियम 18.07 अवध विश्वविद्यालय (उन्नीसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1987 द्वारा दि0 30–12–1987 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और उसे दि0 16 मार्च, 1979 से प्रवृत्त किया गया।

18.07– किसी महाविद्यालय में, सीधी भर्ती द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति के ए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और नैत्यिक लिपिक के पद पर या समकक्ष वेतनमान के किसी पद के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी और परिनियम 18.03 के खण्ड (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य पद के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की स्थिति में अधिकतम आयु पाँच वर्ष अधिक होगीः

परन्तु शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) की पूर्व सहमति से ऊपर निर्दिष्ट, यथास्थिति, 30 या 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा की शर्त को विशेष परिस्थितियों में पाँच वर्ष तक शिथिल किया जा सकता हैः

परन्तु यह और कि परिनियम 18.16 और परिनियम 18.03 के खण्ड (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट कर्मचारी पर अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगीः

परन्तु यह भी कि भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित किसी रिक्ति में नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु उतनी अधिक होगी जितनी अभ्यर्थी द्वारा सशस्त्र सेना में की गई सेवा की अवधि में तीन वर्ष और जोड़कर हो।

18.08– नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि सीधी भर्ती के द्वारा नियोजन के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह महाविद्यालय में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। **धारा 49 (ण)**

टिप्पणी– राज्य सरकार, संघ या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पदच्युत व्यक्ति पात्र नही समझे जायेंगे।

18.09–कोई व्यक्ति किसी महाविद्यालय में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। **धारा 49 (ण)**

18.10– कर्मचारी को वही वेतनमान और भत्ता दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय। **धारा 49 (ण)**

स्पष्टीकरण– भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित किसी रिक्ति

में नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक केवल संघ की सशस्त्र सेना में अपनी पिछली सेवा के कारण कोई उच्च्य वेतन पाने का हकदार नही होगा।

18.11–(1) प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य और आचरण के सम्बन्ध में उच्चतम कोटि की सत्यनिष्ठा बनाये रखेगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी प्रबन्धतंत्र और या प्राचार्य के आदेशों या निदेशों का, सिमें राज्य सरकार के या विश्वविद्यालय के कार्यन्वयन में जारी किये गये आदेश या निर्देश भी सम्मिलित हैं, अनुपालन करेगा।

(3) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक कर्मचारी की चरित्र पंजी रखेगा, जिसमें उसके कार्य और आचरण के सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट प्रति वर्ष लिखी जायगी। सम्बद्ध कर्मचारी की प्रतिकूल प्रविष्ट की सूचना यथाशीघ्र दी जायगी जिससे कि वह अपना कार्य और आचरण तद्नुसार सुधार सके।

(4) प्रतिकूल प्रविष्ट से व्यथित कोई कर्मचारी प्रविष्ट को हटाने के लिए प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय के प्रबन्ध को अभ्यावेदन कर सकता है। प्रतिकूल प्रविष्ट को निकालने के औचित्य के आधार पर, प्रतिकूल प्रविष्ट निकालने की शक्ति सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

(5) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा–पुस्तिका प्राचार्य के नियंत्रण में रखी जायगी।

धारा 49 (ण) 18.12– कोई कर्मचारी जो परिनियम 18.11 के खण्ड (1) और (2) में से किसी एक या दोनों उपबन्ध का पालन नहीं करता है, अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

धारा 49 (ण) 18.13 (1) किसी कर्मचारी को निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारण से सेवा से हटाया जा सकेगा।

(क) कर्तव्यों की ओर उपेक्षा

(ख) दुराचरण,

(ग) अनधीनता या अवज्ञा,

(घ) कर्तव्यों के पालन से शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अनुपयुक्तता,

(ङ) सरकार या सम्बद्ध विश्वविद्यालय के विरूद्ध प्रतिकूल आचरण या कार्य –कलाप,

(च) नैतिक पतन समन्वित आरोप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध।

(2) यदि कोई अस्थायी कर्मचारी सेवा से त्याग–पत्र देता है तो वह महाविद्यालय के प्रबन्ध–तंत्र को एक मास पहले इस आशय की लिखित नोटिस देगा अन्यथा उसे नोटिस के बदले में एक मास का वेतन महाविद्यालय के पास जमा करना होगा। उसी प्रकार, यदि महाविद्यालय का प्रबन्ध–तंत्र किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का विनिश्चय करता है तो प्रबन्धतंत्र कर्मचारी को एक मास की नोटिस या उसके बदले में एक मास का वेतन देगा।

(3) किसी स्थायी कर्मचारी की सेवा से, पद समाप्त किये जाने के आधार पर, उसे तीन मास की लिखित नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् मुक्त किया जा सकता हैं किसी पद को निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक किसी आधार पर समाप्त किया जा सकता है–

(क) वित्तीय कठिनाई के कारण छटनी,

(ख) छात्रों की भर्ती में कमी,

(ग) उस विषय में जिससे पद सम्बन्धित हो, अध्यापन–कार्य का बन्द किया जाना।

18.14– किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी। जिस कर्मचारी ने इस परिनियमावली के प्रारम्भ के दिनाँक पर या उसके पूर्व साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो उसे तुरनत सेवानिवृत्त कर दिया जायगा। **धारा 49 (ण)**

18.15–(1) समान स्तर के सरकारी सेवकों पर प्रयोज्य छुट्टी सम्बन्धी नियम, आवश्यक परिवर्तन सहित कर्मचारी पर लागू होंगे। **धारा 49 (ण)**

(2) प्राचार्यो को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सभी प्रकार के अवकाश तथा अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न छुट्टी के लिये कर्मचारी के आवेदन–पत्र को प्राचार्य अपनी सिफारिश के साथ महाविद्यालय के प्रबन्धक को भेजेगा, जिसे छुट्टी स्वीकृत करने का प्राधिकार होगा।

(4) छुट्टी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख प्राचार्य द्वारा रखे जायेंगे जो (आकस्मिक छुट्टी से भिन्न) छुट्टी स्वीकृत किये जाने के आदेश की प्रतियाँ सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या उस व्यक्ति को, जो उसके द्वारा कर्मचारी के वेतन का संवितरण करने के लिये प्राधिकृत हो, भेजेगा प्राचार्य वेतन बिल में छुट्टी की अवधि और उसका प्रकार भी उल्लिखित करेगा।

18.16– राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदार पाने वाले किसी एक महाविद्यालय का पूर्णकालिक कर्मचारी, जो किसी दूसरे महाविद्यालय में नियुक्त किया जाय, नियमित चयन के पश्चात् उस वेतन से जो वह उस महाविद्यालय में पा रहा था, जिसमें वह पहले कार्य कर रहा था, कम वेतन पाने का हकदार नही होगा, यदि कर्मचारी– **धारा 49 (ण)**

(क) पूर्ववर्ती महाविद्यालय में अपने पद पर स्थायी था और

ऐसा महाविद्यालय सहायता अनुदान सूची में था।

(ख) नये महाविद्यालय में सेवा के लिये पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धक की अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो और पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को अवमुक्त करने में कोई आपत्ति न हो।

(ग) पूर्ववर्ती महाविद्यालय के प्रबन्धक से इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें कि ऐसी कोई असमान्य और प्रतिकूल परिस्थितियाँ नहीं थीं जिसमें कर्मचारी ने उस महाविद्यालय को छोड़ा।

(घ) पूर्ववर्ती महाविद्यालय से अन्तिम वेतन प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रति हस्ताक्षरित हो।

स्पष्टीकरण— (1) नये महाविद्यालय में नियुक्त किये जाने पर, पूर्ववर्ती महाविद्यालय में की गयी सेवा की गणना ज्येष्ठता के लिये नहीं की जायगी। नये महाविद्यालय में ज्येष्ठता की गणना नये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से उस महाविद्यालय में एक वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् देय होगी।

(2) कर्मचारी नये महाविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगाः फिर भी, उसे निम्नलिखित दरों पर यात्रा अवधि अनुमन्य होगी—

(क) रेल यात्रा से सम्बन्धित स्थानों के लिये प्रति 500 किलोमीटर पर एक दिन।

(ख) उन स्थानों के लिये जो रेल से सम्बन्धित नहीं हैं परन्तु बस से सम्बद्ध है प्रति 150 किलोमीटर पर एक दिन।

(ग) उन स्थानों के लिये जा न तो रेल से सम्बद्ध है और न बस से सम्बद्ध है प्रति 25 किलोमीटर पर एक दिन।

अध्याय 18—क

महाविद्यालय के मृत कर्मचारियों के आश्रित का सेवायोजन

मृत कर्मचारी के आश्रित को सेवायोजित किया जाना—

18—क—01 यदि किसी स्थायी कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी की जो कम से कम लगातार तीन वर्ष से किसी अस्थायी पद पर हो, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाय तो ऐसे मृत कर्मचारी के एक आश्रित को जो महाविद्यालय में नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र देता है और ऐसे पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखता हो, प्रबन्धतंत्र द्वारा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पूर्वानुमोदन से, चयन की प्रक्रिया और अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करके नियुक्त किया जा सकता है।

इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान शिक्षणत्तर रिक्ति में की जायेगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो नियुक्ति तुरनत किसी ऐसे अधिकसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया समझाा जायेगा और जो जब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाये।

स्पष्टीकरण— इस परिनियम के प्रयोजन के लिये—

(1) 'आश्रित' का तात्पर्य मृतक के पुत्र, उसकी अविवाहिता या विधवा पुत्री, उसकी विधवा या उसके विधुर से है,

(2) 'कर्मचारी' के अन्तर्गत संस्था में नियोजित अध्यापक भी है।

अध्याय—19

प्रकीर्ण

19.01— विश्वविद्यालय अध्यादेशों में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि छात्र—वृत्ति (जिसके अन्तर्गत मंत्रिक अधिछात्रवृत्तियाँ भी है) विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक संस्थित और उन्हें प्रदान कर सकता है। **धारा 49 (7) तथा 49 (त)**

19.02— विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सभी निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा परिशिष्ट 'क' में निर्धारित रीति से होगा। **धारा 49 तथा 64**

19.03—धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे सकता है, परन्तु— **धारा 7**

(क) ऐसा व्यक्ति अध्यादेशों में निध्ररित अपेक्षा को पूरा करता हो, और

(ख) ऐसी परीक्षा ऐसे विषय या शिक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित न हो जिसमें व्यावहारिक परीक्षा पाठ्यक्रम का भाग हो।

19.04— परिनियम 19.03 का उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित पत्राचारी पाठ्यक्रम पर लागू होगा। **धारा 7**

19.05— इस परिनियमावली या विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में दी गई किसी बात के होते हुए भी—

(i) किसी विद्या वर्ष में 31 अगस्त के पश्चात् कोई प्रवेश नहीं किया जायगा;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी परीक्षायें 30 अप्रैल तक पूरी हो जायेंगी; और

(iii) 15 जून तक परीक्षाफल घोषित कर दिये जायेंगेः

परन्तु 1986—87 के विद्या सत्र के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षायें 15 जून, 1987 तक पूरी की जा सकती हैं और सभी परीक्षाफल 31 जुलाई, 1987 तक घोषित किया जा सकते हैं और सत्र 1987—88 के लिए प्रवेश 15 सितम्बर, 1987 तक पूरे किये जा सकते हैं।

परिनियम 19.05 दिनाँक 8.7.87 से जोड़ा गया।

19.06– किसी अभ्यथी को अपने परीक्षाफल में सुधार करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय की अगली नियमित परीक्षा में, पूर्वस्नातक परीक्षा के किसी भाग के एक विषय में और बी0एड0 परीक्षा के या एल–एल0बी0 के किसी एक वर्ष की परीक्षा के, या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग के, एक प्रश्नपत्र की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है।

अध्याय–20

अधिभार

परिभाषाएँ

20.01– जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस परिनियमावली में,

(1) ''परीक्षक'' का तात्पर्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।

(2) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(3) ''विश्वविद्यालय का अधिकारी'' का तात्पर्य अनिधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ग) से (ज) तक के किसी भी खण्ड में उल्लिखित अधिकारी और परिनियम 2.01–क के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

20.02– (1) किसी भी ऐसे मामाले में जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो यह अधकारी से लिखित रूप में स्पष्टीरकण देने के लिये कह सकता है कि क्यों न ऐसे अधिकारी पर, ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यरूप या दुरूपयोग के लिये या ऐसी धनराशि के लिए जो संपत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाय और ऐसा स्पष्टीकरण सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी अध्यपेक्षा के संसूचित कये जाने के दिनांक से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायगाः

परन्तु कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से माँगा जायगा।

परिनियम 19.06 अवध विश्वविद्यालय (इक्कीसवाँ संशोधन) प्रथम परिनियमावली, 1988 द्वारा दि0 24 जून 1988 से प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय–20 अवध विश्वविद्यालय (ग्यारहवाँ संशोधन) प्रथम, परिनियमावली, 1985 द्वारा दि0 29.03.85 को जोड़ा गया और उसे दि0 15.4.1978 से प्रवृत्त किया गया।

टिप्पणी– (1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जाँच के लिये अपेक्षित कोई सूचना और समस्त संबंधित पत्रादि और अभिलेख अधिकारी द्वारा (या यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) किसी भी स्थिति में दो सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर प्रस्तुत किया जायगा और दिखाया जायगा।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीरकण माँग सकता है–

(क) जहाँ व्यय इस परिनियमावली के या अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये अध्यादेशों या विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो,

(ख) जहाँ हानि पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना कोई उच्च टेंडर स्वीकार करने से हुई है,

(ग) जहाँ विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हों,

(घ) जहाँ विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति को अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी की जिससे स्पष्टीरकण माँगा गया हो, लिखित अध्यपेक्षा पर विश्ववविद्यालय उसे सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये आवश्यक सुविधायें देगा। परीक्षक, सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन–पत्र पर, उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिये समय को युक्तियुक्त अवधि तक बढ़ा सकता है। यदि उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीरकण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणें के नहीं कर सको।

स्पष्टीकरण– अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों का उललंघन करके कोई नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग समझा जायगा।

20.03– विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात् परीक्षक अधिकारी पर संपूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिए ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लगा सकता है,

परन्तु यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणामस्वरूप होनि, दुर्व्यय या दुरूपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथक्तः देनदार होगाः

परन्तु यह भी कि कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की मसप्ति के पश्चात् इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिये उत्तरदायी न होगा।

20.04– परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है। आययुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्ट, विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

20.05– (1) अधिकारी जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर या ऐसे अग्रतर समय के भीतर जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो जैसा परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाय, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा।

परन्तु यदि परीक्षक द्वारा दिये गये अधिभार के आदेश के विरूद्ध परिनियम 20.04 के अधीन कोइ अपील प्रस्तुत की यी हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिये समस्त कार्यवाहियाँ आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(2) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने योग्य होगी।

20.06 जहाँ अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाय और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हो, वहाँ वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चे का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा और विश्वविद्यालय का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इसका भुगतान बिना किसी विलम्ब के करे।

परिशिष्ट ''क''

(परिनियम 4.12 और 19.02 देखिये)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल–संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन।

भाग–11

सामान्य

1. जब कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संक्रमणीय मत द्वारा किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश से विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,

(i) ''अभ्यर्थी'' का तात्पर्य निर्वाचन लड़ने के लिये सम्यक् रूप से अर्ह ऐसे व्यक्ति से है जो सम्यक् रूप से नाम–निर्दिष्ट किया गया हो,

(ii) ''अनवरत अभ्यर्थी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो न तो निर्वाचित हुआ हो और न किसी समय विशेष पर मतदान से अपवर्जित हुआ हो

(iii) ''निर्वाचक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निर्वाचन में अपना मत देने के लिये सम्यक् रूप से अर्ह हो,

(iv) ''निःशेष पत्र'' का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिये कोई अग्रतर अधिमान अभिलिखित न हो, परन्तु कोई पत्र तब भी निःशेषित समझा जायगा, यदि–

(क) उसमें दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे अनवरत हों या न हो, समान अंक से चिन्हित हों और उनका स्थान अधिमान–क्रम में अगला हो, या

(ख) अधिमान–क्रम में अगले अभ्यर्थी नाम, चाहे वह अनवरत हो या न हो–

(1) ऐसे अंक से चिन्हित हो जो मत–पत्र में किसी अन्य अंक के पश्चात् क्रमानुसार न हो, या

(2) दो अथवा अधिक अंकों से चिन्हित हो।

(v) ''प्रथम अधिमान मत'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से हैं जिसके नाम के सामने मत पत्र में अंक ''1'' लिखा हो, ''द्वितीय अधिमान–मत'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिनके नाम के सामने अंक '2' लिखा हो, ''तृतीय अधिमान–मत'' का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में मत से है जिसके नाम के सामने अंक '3' लिखा हो और इस प्रकार क्रम में आगे भी लिखा हो,

(vi) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में, ''मूल मत'' का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये प्रथम अधिमान अभिलिखित हो,

(vii) ''कोटा'' का तात्पर्य मतों के उस न्यूनतम मूल्यांक से है जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त हो,

(viii) ''आधिक्य'' का तात्पर्य उस संख्या से है जिने से कि किसी अभ्यर्थी के मल और संक्रमित मतों का मूल्यांकन कोटा से अधिक हो,

(ix) किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ''संक्रमित मत'' का तात्पर्य ऐसे मत–पत्र द्वारा प्राप्त मत से है जिस पर उस अभ्यर्थी के लिये द्वितीय अथवा उसके बाद वाला कोई अधिमान लिखा हो और जिसका मूल्यांकन या मूल्यांकन भाग उस अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़ा जाय,

(x) पद ''अनिःशेष'पत्र'' का तात्पर्य ऐसे मतपत्र से है जिस पर किसी अनवरत अभ्यर्थी के लिये अग्रतर अधिमान अभिलिखित हो।

2. कुलसचिव रिटर्निंग आफिसर होगा जो सभी निर्वाचनों के संचालनों के लिए उत्तरदायी होगा।

3. कुलपति–

(i) प्रत्येक निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिये परिनियम के उपबन्धेां के अनुरूप दिनांक नियम करेगा तथा उसे आपातिक स्थिति में इन दिनांकों में परिवर्तन करने की, सिवाय उस दशा के जब ऐसे परिवर्तन से परिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो, शक्ति ह्यी।

(ii) सन्देह की दशा में, किसी अभिलिखित मत की वैधता अथवा अवैधता का विनिश्चय करेगा।

4. सभा के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन (तथा अन्य ऐसे निर्वाचन जिसके विषय में कुलपति सुविधा तथा मितव्ययता के कारण निदेश दे) डाक द्वारा मतपत्र से किया जायगा। अन्य निर्वाचन सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा निकायों के अधिवेशनों में किये जायेंगे।

5. मतपत्र निम्नलिखित प्रपत्र में होगा–

विश्वविद्यालय का नाम

निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचन

(अभ्यर्थियों के नाम तथा अधिमान–क्रम 1,2,3 इत्यादि अंकों द्वारा रिक्त स्थान में इंगित किये जायेंगे)

....

....

....

6. निर्वाचक अपना मत देने में–

(i) अपने मतपत्र पर अंक 1 उस अभ्यथ्री के नाम के सामने लिखेगा जिसको कि वह अपना मत दे, और

(ii) इसके अतिरिक्त जितने अन्य अभ्यर्थियों को वह चाहे, अपनी पसन्द या अधिमानता को उन अभ्यर्थियों के नाम के सामने क्रमशः 2, 3, 4, तथा इसी प्रकार अविच्छिन्न अंकों द्वारा लिखकर व्यक्त कर सकता है।

7. यह मतपत्र अविधिमान्य होगा–

(i) जिस पर अंक 1 न लिखा हो, या

(ii) जिस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंक 1 लिखा हो, या

(iii) जिस पर अंक 1 तथा कोई अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के आगे लिखा हो, या

(iv) जिस पर अंक 1 लिखा हो जिससे यह संदेह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिये अभिप्रेत है, या

(v) मतपत्र द्वारा निर्वाचन की दशा में, जिस पर कोई ऐसा चिन्ह बना हो जिससे कि मतदाता बाद में पहिचाना जा सके,

(vi) जिस पर मतदाता के अधिमान को व्यक्त करने वाला अंक मिटाया गया हो या उसमें परिवर्तन किया गया हो या

(vii) जो उक्त प्रयोजन के लिये व्यवस्थित प्रपत्र में न हो।

भाग–2

डाक मतपत्र द्वारा संचालित निर्वाचन

8. डाक मतपत्र द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ होने के कम से कम तीन मास पहले कुलसचिव प्रत्येक अर्ह मतदाता के पास उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से नोटिस भिजवायेगा जिसमें उससे नोटिस भेजे जाने के पन्द्रह दिन के भीतर नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने को कहा जायगा। नोटिस के साथ निर्वाचकों की सूची होगी।

9. कुलसचिव को मतदाताओं की सूची की प्रत्येक ऐसी अशुद्धि तथा लोप को जो उसकी जानकारी में जाया जाय ठीक करने की शक्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से निकाल दिया जाय तो उसके मत की गणना नहीं की जायगी, भले ही उसे मतपत्र मिल गया हो और उसने अपना मत दे दिया हो, और एक प्रमाणपत्र कि ऐसा किया गया है, कुलसचिव तािा निर्वाचन तैयार करने में उससे सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हो, अभिलिखित किया जायगा।

10. प्रत्येक निर्वाचन को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनधिक अभ्यर्थियों का नाम–निर्देशन करने का विकल्प होगा।

11. प्रत्येक नाम–निर्देशन–पत्र पत्रप्रस्तावक द्वारा जो स्वयं निर्वाचक होगा, हस्ताक्षर किया जायगा और उसके साथ निर्वाचन के लिये नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थी की सहमति होगी जो या तो लिखित

होगी या नाम–निर्देशन–पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा की गयी होगी। उसमें नाम–निर्देशन के समर्थकों के रूप में अन्य निर्वाचकों के हस्ताक्षर हो सकते हैं, किन्तु कोई भी अभ्यर्थी किसी ऐसे नाम–निर्देशन–पत्र पर, जिसमें उसका नाम अभ्यर्थी के रूप में लिखा हो प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा।

12. नाम–निर्देशन–पत्र नोटिस में उल्लिखित समय के भीतर कुलसचिव को बन्द लिफाफे में या तो स्वयं प्रस्तावक या किसी ऐसे निर्वाचक द्वारा दिया जायगा जो नाम–निर्देशन का समर्थन करता हो या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

13. कोई अभ्यर्थी निर्वाचन से अपना नाम वापस लेने की लिखित सूचना जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो किसी वैतनिक मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अनुप्रमाणित होगा, कुलसचिव को इस प्रकार भेजकर कि वह नाम–निर्देशन की प्राप्ति के लिये अन्तिम दिन के रूप में निश्चित दिन तथा समय के पूर्व पहुँच जाय, निर्वाचन से अपना नाम वापस ले सकता है। अनुप्रमाणन पर सम्बन्धित अधिकरी की मुहर लगी होनी चाहिए।

14. कुलसचिव नाम–निर्देशन–पत्रों के लिफाफों को खोलने का स्थान, दिनांक और समय अधिसूचित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक जो उपस्थित होना चाहे उस अवसर पर उपस्थित हो सकत हैं।

15. कुलसचिव विधिमान्य नाम–निदेशन की सूची तैयार करेगा। यदि कोई नाम–निर्देशन–पत्र कुलसचिव द्वारा अस्वीकृत किया जाय तो वह अस्वीकृत करने के कारणों की सूचना अभ्यर्थी को दो दिन के भीतर देगा। यह अभ्यर्थी पर निर्भर होगा कि वह ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर आवेदन–पत्र भेजे कि मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जाय। तत्पश्चात वह मामला कुलपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

16. यदि सम्यक रूप से नाम–निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक न हो तो कुलसचिव उन्हें निर्वाचित घोषित कर देगा। यदि कोई स्थान भरने से रह जाय तो उसे भरने के लिये पूर्वोक्त रीति से नया निर्वाचन किया जायगा और ऐसा निर्चाचन सामान्य निर्वाचन का भाग समझाा जायगा।

17. यदि सम्यक् रूप से नाम–निर्दिष्ट व्यक्यिों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो तो निर्वाचन किया जायगा।

18. कुलसचिव संवीक्षा पूरी होने के 15 दिन के भीतर प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्रीकृत डाक से उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर एक मतपत्र के साथ एक लिफाफा भेजेगा जिस पर केवल निर्वाचन क्षेत्र

का नाम लिखा होगा और एक बड़ा लिफाफा भी भेजेगा जिसके बाईं और निर्वाचन नामावली में निर्वाचक की संख्या, निर्वाचक–क्षेत्र का नाम, और दाहिनी ओर विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पता लिखा अथवा छपा होगा। कुलसचिव अभिज्ञान का एक प्रमाण–पत्र भी संलग्न करेगा।

19. (1) निर्वाचक अभिज्ञान के माण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उसे निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी से सम्यक रूप से अनुप्रमाणित करायेगा–

(क) तत्समय भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलसचिव,

(ख) किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य अथवा उस विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग का अध्यक्ष,

(ii) अनुप्रमाणक अधिकारी अपने पूर्ण हस्ताक्षर और अपनी मुहर से अनुप्रमाणित करेगा।

(iii) निर्वाचक मतपत्र को, बिना अपने नाम अथवा हस्ताक्षर के, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित अभिज्ञान के प्रमाण–पत्र के साथ बड़े लिफाफे में बन्द कर देगा और उसे सम्यकृ रूप से मुहरबन्द करके या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कुलसचिव के पास भेज देगा या उन्हें स्वयं देगा।

20. मतपत्र कुलसचिव के पास निश्चित समय और दिनांक तक अवश्य पहूँच जाना चाहिये। यदि नियत समय और दिनांक के पश्चात् प्राप्त हो तो वह उसके द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायगा।

21. यदि दो या उससे अधिक मत–पत्र एक ही लिफाफे में भेजे जाय, तो उनकी गणना नहीं की जायगी।

22. कोई मतदाता जिसे अपना मत–पत्र तथा अन्य सम्बन्धित पत्रादि प्राप्त न हुये हों अथवा जिससे वे खो गये हों अथवा जिसके पत्रादि कुलसचिव को वापस किये जाने के पूर्व अनवधानतावश विकृत हो गये हों, इस आशय का स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र कुलसचिव को भेजकर उनसे प्राप्त न हुये, खो गये अथवा विकृत पत्रादि के स्थान पर, पत्रादि की दूसरी प्रति भेजने का अनुरोध कर सकता है। कुलसचिव, प्राप्त न हुए, खो गये या विकृत पत्रादि के स्थान पर यदि उसका समाधान हो जाय, 'द्वितीय प्रति' अंकित करके, दूसरी प्रति जारी कर सकता है।'

23. कुलसचिव मतपत्रों को उनकी संवीक्षा के लिये निश्चित दिनांक और समय तक मुहरबन्द तथा बिना खोले सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

24. संवीक्षा के दिनांक समय तथा स्थान की सम्यक् सूचना कुलसचिव द्वारा सभी अभ्यर्थियों को दी जायगी जिन्हें संवीक्षा के समय उपस्थित होने का अधिकार होगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को किसी मतपत्र का निरीक्षण करने की माँग करने का हक न होगा।

25. कुलसचिव को, यदि आवश्यक हो, ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सहायता दी जायगी जिन्हें कुलपति संवीक्षा कार्य में सहायता देने के लिये नियुक्त करे।

26. नियत दिनांक समय तथा स्थान पर कुलसचिव मत, पत्रों के लिफाफे खोलेगा तथा नकी संवीक्षा करेगा और जो विधिमान्य न हों उन्हें अलग कर देगा।

27. विधिमान्य मपपत्रों को छाँटकर उनकी पार्सल बनाई जायेगी। एक पार्सन में वे समस्त मत होंगे जिसमें विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित हो।

28. इस परिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया को सुगम बनाने के प्रयोजन मतपत्र का मूल्यांक एक सौ समझा जायगा।

29. परिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कुलसचिव–

(i) सभी भिन्नों की उपेक्षा करेगा।

(ii) निर्वाचित हो चुके अथवा मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों पर ध्यान देगा।

30. कुलसचिव तब समस्त पार्सलों के मतपत्रों के मूल्यांक का योग निकालेगा। उस योग को ऐसी संख्या से भाग देगा जो कि भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या 'कोटा' होगी।

31. यदि किसी समय उतनी संख्या में अभ्यर्थी कोटा प्राप्त कर ले जितने कि निर्वाचित होने हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायगा और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।

32. (i) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसके पार्सल का मूल्यांक प्रथम अधिमान गिनने पर कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो, निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

(ii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो तो वे मतपत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे पार्सल में मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो तो आधिक्य उन अनवरत अभ्यर्थियों को इस परिनियम में आगे दी हुई रीति से संक्रमित कर दिया जायगा जो कि मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में इंगित हो।

33. (i) यदि उपर्युक्त परिनियम द्वारा विहत कभी प्रयोग के फलस्वरूप जब किसी अभ्यथ्री को कुछ आधिक्य प्रापत हो तो वह आधिक्य इस परिनियम के उपबन्धें के अनुसार संक्रमित किया जायगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को आधिक्य प्राप्त हो तो अधिकतम आधिक्य पहले बरता जायगा तथा परिणाम के न्यूनता–क्रम के अनुसार दूसरों से बरता जायगा, परन्तु मतों की प्रथम गणना में उद्भूत प्रत्येक आधिक्य दूसरी गणना में उद्भूत आधिक्य से पहले बरता जायगा और यही क्रम आगे भी चलेगा।

(iii) यदि दो अथवा उससे अधिक आधिक्य बराबर हों तो कुलसचिव उपर्युक्त उपखण्ड (ii) में विहित शर्तों के अनुसार यह विनिश्चय करेगा कि किसके सम्बन्ध में पहले बरता जाय।

(iv) (क) यदि किसी अभ्यथ्री का संक्रमित किया जाने वाला अधिक्य केवल मूलमतों से उद्भूत हो तो कुलसचिव उस अभ्यर्थी के जिसका कि आधिक्य संक्रमित किया जाने वाला हो पार्सल के सब मतपत्रों की जाँच करेगा और अनिःशेष पत्रों की उनमें अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सलों में विभाजित करेगा। वह निःशेष–पत्रों की भी एक पृथक–उप–पार्सल बनायेगा।

(ख) वह प्रत्येक उप–पार्सल के मतपत्रों का तथा अनिःशेष मतपत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चत करेगा।

(ग) यदि अनिःशेष मतपत्रों का मूल्यांक आधिक्य के बराबर अथवा उससे कम हो तो वह सब अनिःशेष मतपत्रों को उस मूल्यांक पर जिस पर कि वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे जिसका आधिक्य संक्रमित किया जा रहा हो संक्रमित करेगा।

(घ) यदि अनिःशेष पत्रों का मूल्यांक आधिक्य से अधिक हो तो वह अनिःशेष पत्रों के उप–पार्सलों का संक्रमण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर प्रत्येक मतपत्र संक्रमित किया जायगा, आधिक्य को अनिःशेष पत्रों की कुल संख्या से विभाजित करके अभिनिश्चय किया जायगा।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी का संक्रमित किया जाने वाले आधिक्य संक्रमित तथा मूलमतों से उद्भूत हुआ हो तो कुलसचिव अभ्यर्थी की सबसे अन्त में संक्रमित उप पार्सल के समस्त मतपत्रों की पुनः जाँच करेगा तथा अनिःशेष पत्रों को उन पर अभिलिखित अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप पार्सलों में विभाजित करेगा। तदुपरांत वह उपपार्सलों से उसी रीति से बर्तेगा जैसी कि पूर्वगामी अन्तिम उप खण्ड में निर्दिष्ट उप–पार्सलों के सम्बन्ध में व्यवस्थित है।

(vi) प्रत्येक अभ्यर्थी को संक्रमित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले

के ही मतपत्रों में उप–पार्सल के रूप में मिला दिये जायेंगें।

(iii) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल अथवा उपपार्सलों के वे सब मत जो इस खण्ड के अधीन संक्रमित न किये गये हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

34– (i) यदि उपर्युक्त निदेशों के अनुसार सब आधिक्यों के संक्रमित कर दिये जाने के पश्चात् अपेक्षित संख्या से कम अभ्यर्थी निर्वाचित हुए हों तो कुलसचिव मतदान के निम्नतम ओयर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिःशेष पत्रों को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिःशेष पत्रों को अनवरत अभ्यर्थियों में उन अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हों। कोई निःशेष पत्र अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिया जायगा।

(ii) उन पत्रों को जिनमें अपवर्जित अभ्यर्थी का मूलमत अन्तर्विष्ट हो, सर्वप्रथम संक्रमित किया जायगा, प्रत्येक मत पत्र का संक्रमण मूल्यांक एक सौ होगा।

(iii) फिर उन पत्रों को, जिनमें किसी अपवर्जित अभ्यर्थी के संकमित मत हों, संक्रमित मत हों, संक्रमण के उसी क्रम में संक्रमित किया जायगा जिस क्रम में और जिस मूल्यांक पर उसे प्राप्त हुए हों।

(iv) ऐसा प्रत्येक संक्रमण पृथक संक्रमण समझा जायगा।

(v) मतदान में एक के बाद दूसरे निम्नतम अभ्यर्थियों के अपवर्जन पर इस खण्ड द्वारा निदेशित प्रक्रिश्स तब तक दोहराई जायगी जब तक कि अन्तिम रिक्ति की पूर्ति किसी अभ्यर्थी के कोटा प्राप्त कर लेने पर निर्वाचन द्वारा अथवा आगे के उपबनधों के अनुसार न हो जाय।

35– यदि मतपत्रों के संक्रमण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मों का मूल्यांक कोटा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाय तो संक्रमण की कार्यवाही पूरी की जायगी, किन्तु अग्रेतर कोई मतपत्र उसे संक्रमित नहीं किया जायगा।

36– (i) यदि उक्त खण्ड के अधीन किसी संक्रमण के पूरा होने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो उसे निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतों का मूल्यांक कोटा के बराबर हो जाय तो सभी मतपत्र, जिन पर ऐसे मत अभिलिखित हों, अन्तिम रूप से बरते गये के रूप में अलग रख दिये जायेंगे।

(iii) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक कोटा से अधिक हो जाय तो तदुपरांत किसी अन्य अभ्यर्थी को अपवर्जित करने के पूर्व उसका आधिक्य एतद्पूर्व व्यवस्थित रीति से वितरित कर दिया जायगा।

37– (i) जब अनवरत अभ्यर्थियों की संख्या घटकर अपूर्त रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर रह जायें तो अनवरत अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(ii) जब केवल एक रिक्त स्थान अपूर्त रह जाये और किसी अनवरत अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक अन्य अनवरत अभ्यर्थियों के सभी मतों के मूल्यांक के पूर्ण योग तथा असंक्रमित आधिक्य से अधिक हो जाय तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जायगा।

(iii) जब केवल एक ही रिक्ति अपूर्त रह जाये और केवल दो अनवरत अभ्यर्थी हों और उन दोनों अभ्यर्थियों में से प्रत्येक के मतों का मूल्यांक एक बराबर हो और संक्रमण के योग्य कोई आधिक्य न रह जाय तो अगले खण्ड के अधीन एक अभ्यर्थी को अपवर्जित तथा दूसरे को निर्वाचित घोषित किया जायगा।

38– जब कभी एक से अधिक आधिक्य वितरण के लिये हों और दो या उससे अधिक आधिक्य बराबर हों अथवा यदि किसी समय किसी अभ्यर्थी को अपवर्जित करना आवश्यक हो और दो या उससे धिक अभ्यर्थी मतदान में निम्नतम हों और उनके मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हो तो प्रत्येक अभ्यर्थी के मूल मतों पर ध्यान दिया जायगा, और जिस अभ्यर्थी के सबसे कम मूल मत हों, तो यथास्थिति, उसका आधिक्य पहले अपवर्जित किया जायगा। यदि उनके मूल मतपत्रों का मूल्यांक बराबर हों तो कुलसचिव पर्चे डालकर यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का आधिक्य वितरित किया जाय अथवा किसको अपवर्जित किया जाय।

39– पुनर्गणना– यदि कुंलसचिव पूर्वतन गणना की शुद्धता के विषय में संतुष्ट न हों तो वह या तो स्वतः या किसी अभ्यर्थी के अनुरोध पर मतों को पुनर्गणना एक या उससे अधिक बार करा सकता हैः

परन्तु यहाँ दी गयी किसी बात से कुलसचिव के लिये यह बाध्यकर नहीं होगा कि वह उन्हीं की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराये।

40– संवीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् कुलसचिव निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट कुलपति को तुरन्त देगा।

41– कुलसचिव नाम–निर्देशन–पत्र तथा मतपत्रों को मुहरबन्द पैकेट में रखेगा, जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिये सुरक्षित रखा जायगा।

भाग–3

अधिवेशनों में निर्वाचनों का किया जाना

42– विश्वविद्यालय प्राधिकारी या निकाय के किसी अधिवेशन में आयोजित किसी निर्वाचन की स्थिति में दावा, तथा आपत्तियाँ आमंत्रित करने के प्रयोजन से पहले से निर्वाचक, नामावली को प्रकाशित करना अथवा नाम–निर्देशन आमंत्रित करना आवश्यक नहीं होगा। सम्यक् रूप से बुलाये गये अधिवेशनों में सम्बद्ध प्राधिकारी या निकाय के उपस्थित सदस्यगण निर्वाचन में भाग लेंगे निर्वाचन के लिए नाम अग्रिम रूप से अथवा अधिवेशन में प्रस्तावित किये अथवा वापस लिए जा सकते हैं। मतदाताओं को दिये गये मतपत्रों में व नाम होंगे जिनकी सूचना छापने के लिए ठीक समय पर प्राप्त हो गयी हो तथा उसमें अन्य नाम जिसके अन्तर्गत अधिवेशन में प्रस्तावित नाम भी है, बढ़ाने के लिए रिक्त स्थान होगा। कुलसचिव प्रत्येकसदसय को ऐसे अधिवेशन की, जिसमें निर्वाचन होना है, सूचना भेजेगा और उसमें सदस्यों की सूची के साथ ऐसे अधिवेशन का समय, दिनांक और स्थान का उल्लेख होगा। सूचना की अवधि कुलपति द्वारा निश्चित की जायगी।

परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम 14.03, 14.27 और 14.02 देखिये)

अध्यापकों के लिये आचरण संहिता

अतः जो अध्यापक अपने उत्तरदायित्व के प्रति तथा युवकों के चरित्र निर्माण एवं ज्ञान, बौद्धिक स्वतन्त्रता और सामाजिक प्रगति को अग्रसर करने के सम्बन्ध में, जो विश्वास करने की आशा की जाती है कि वह नेतिकता सम्बन्धी नेतृत्व की अपनी भूमिका का निर्वाह समर्पण नैतिक निष्ठा तथा मन, वचन एवं कर्म में पवित्रता की भावना से ओतप्रोत रहकर उपदेश की अपेक्षा आचरण द्वारा अधिक कर सकता है,

अतः उसकी वृत्ति की गरिमाके अनुरूप यह आचरण संहिता बनाई जाती है कि इसका पालन वस्तुतः निष्ठापूर्वक किया जाय–

1– प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षिक कर्त्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं कर्त्तव्य परायणता से करेगा।

2– कोई अध्यापक छात्रों का अभिनिर्धारण करने में न तो कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा न उन्हें उत्पीड़ित करेगा।

3– कोई भी अध्यापक किसी छात्र को अन्य छात्र के विरूद्ध अपने साथी या विश्वविद्यालय के विरूद्ध नहीं उत्तेजित करेगा।

4– कोई भी अध्यापक जाति, मत, पंथ, धर्म, लिंग राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर शिष्यों में भेदभव न करेगा। वह अपने साथियों, अधीनस्थ व्यक्तियों तथा छात्रों मे भी ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करेगा और अपने भविष्य की उन्नति के लिये उपयुक्त विचारों का प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करेगा।

5– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों तथा कृत्यकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने से इन्कार नहीं करेगा।

6– कोई भी अध्यापक, यथास्थिति विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्य–कलाप से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकट नहीं करेगा जो उसके सम्बन्ध में प्राधिकृत न हो।

परिशिष्ट ख ख

(परिनियम 14.01–क देखिए)

विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के सदस्यों के साथ करार

क प्रपत्र यह करार आज दिनांक ....
....20...... को श्री/श्रीमती/कुमारी प्रथम पक्ष और ....
विश्वविद्यालय (जिसे आगे विश्वविद्यालय कहा गया है) दूसरे पक्ष के मध्य किया गया।

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है–

1. विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा, प्रथम पक्ष के पक्षकार
श्री/श्रीमती/कुमारी .... को
दिनांक .... से जब प्रथम पक्ष का पक्षकार (जिसे आगे अध्यापक कहा गया है) अपने पद के कर्त्तव्यों का कार्य–भार ग्रहण करता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करता है, और विश्वविद्यालय के ऐसे कार्यों में भाग लेने और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने का वचन देता है, जिसकी उससे अपेक्षा की जाय, जियके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पति या निधियों का प्रबन्ध और संरक्षण, शिक्षण का संगठन, औपचारिक या अनौपचारिक अध्यापन और छात्रों का परीक्षण अनुशासन बनाये रखना ओर किसी पाठ्यचर्या या नैवासिक कार्य–कलाप के सम्बन्ध में छात्र कल्याण की प्रोन्नति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पाठ्यचर्यातिरिक्त कर्त्तव्यों का पालन करना भी है जो उसे सौंपे जायं, और ऐसे अधिकारियों द्वारा तत्समय रखा जाय और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, अध्यापकों की आचरण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित किया जाय, पालन करेगा और उसके अनुरूप चलेगा।

परन्तु अध्यापक, प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और कार्यपरिषद् स्वविवेकानुसार परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2. अध्यापक विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा निवृत्त होगा।

3. अध्यापक के पद का, जिस पर वह नियुक्त किया गया है, वेतनमान .... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उस दिनांक से जब से वह अपने उक्त कर्त्तव्यों का भार ग्रहण करता है, उपर्युक्त वेतनमान में .... रूपया प्रति मास की दर से वेतन दिया जायगा और वह, जब तक कि परिनियमों के उपबन्धें के अनुसार वार्षिक वेतन–वृद्धि रोकी नहीं जाती है, अनुवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु जहाँ समयमान में कोई दक्षता–रोक विहित है, वहाँ दक्षतारोक के ऊपर अगली वेतन–वृद्धि अध्यापक को वेतन–वृद्धि रोकने के लिये सशक्त प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जायगी।

4. अध्यापक विश्वविद्यालय के किसी ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के, जिसके प्राधिकार के अधीन वह, जब यह करार प्रवृत्त हो, उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये ये किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशें या विनियमों के अधीन हो, विधिपूर्ण निदेशें का पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उन्हें कार्यान्वित करेंगा।

5. अध्यापक एतदद्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों की आचारण संहिता का, जैसा कि समय–समय पर उसे संशोधित कया जाय, पालन करने और उसके अनुरूप चलेने का वचन देता है।

6. समस्त मामलों में, इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा जिन्हें इसमें समाविष्ट और उसकी प्रकार से इस करार का भाग समझा जायगा मानों वे इसमें प्रत्युत्पादित किये गये हों, और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

जिसके साक्ष्य में इन पक्षकारों ने प्रथम उपरिलिखित दिनांक और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये और मुहर लगाई।

....

अध्यापक के हस्ताक्षार विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वित्त अधिकारी का हस्ताक्षर

साक्षी ....

....

परिशिष्ट (ग)

(परिनियम 14.02, 14.27 और 14.30 देखिये)

(1) सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्य से भिन्न अध्यापक के साथ करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक ....20 .... को .... प्रथम पक्ष जिसे आगे अध्यापक कहा गया है तथा प्राचार्य/सचिव के माध्यम से .... महाविद्यालय ....के प्रबन्ध तन्त्र द्वितीय पक्ष जिस आगे महाविद्यालय कहा गया है के मध्य किया गया।

महाविद्यालय ने अध्यापक, की आगे दी गयी शर्तों ओर निबन्धनों पर महाविद्यालय में कार्य करने के लिये .... के रूप में नियुक्त किया है। अतः अब यह करार इस बात का साझी है कि अध्यापक और महाविद्यालय एतद्द्वारा संविदा करते हैं और निम्नलिखित के लिये सहमत हैं–

1– नियुक्ति दिनांक ....20 .... से प्रारम्भ होगी और एतद्द्वारा व्यवस्थित रीति से समाप्त की जा सकेगी।

2– अध्यापक प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे .... रूपये का मासिक वेतन दिया जायगा परिवीक्षा अवधि उतनी और अवधि के लिये

बढ़ाई जा सकती है जितनी कि महाविद्यालय उचित समझे, किन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

3– परिवीक्षा–अवधि के पश्चात् स्थायी किये जाने पर महाविद्यालय अध्यापक को उसकी सेवाओं के लिए...रूपये (केवल..............................रूपये) प्रति मास की दर से देगा जिसे...रूपये की वार्षिक वेतन–वृद्धि से बढ़ाकर. ....रूपये प्रतिमास कर दिया जायगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जो समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाय।

4– उक्त मासिक वेतन, जिस मास में यह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनाँक को देय हो जायगा और महाविद्यालय प्रत्येक मास के अधक से अधिक पन्द्रहवें दिनाँक तक अध्यापक को उसका भुगतान कर देगा।

5– अध्यापक विश्वविद्यालय या प्रबन्धतंत्र के किसी सदस्य को कोई अभ्यावेदन नहीं देगा सिवाय प्राचार्य के माध्यम से, जो उसे उच्च प्राधिकारियों के पास भेज देगा।

6– अध्यापक साधारण कर्तव्यों के अतिरिक्त, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन या कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सौंपे जाय।

7– अन्य समस्त मामलों में इन प्रकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय–समय पर याथासंशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित होंगे।

आज दिनाँक........................20..................को ....एतद्द्वारा की ओर से हस्ताक्षरित,.................................की उपस्थिति में अध्यापक द्वारा।

साक्षी

1.

2.

(2) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ करार का प्रपत्र–

यह करार का दिनाँक.............20............ को... (जिसे आगे प्राचार्य कहा गया है) प्रथम पक्ष, तथा सभापति के माध्यम से .... महाविद्यालय से ....महाविद्यालय के.. महाविद्यालय से... महाविद्यालय के .... (जिसे आगे प्रबन्ध–तन्त्र कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया। प्रबन्धतनत्र ने प्राचार्य को एतत्पश्चात दी गयी शर्तों पर महाविद्यालय के प्राचार्य का कार्य करने के लिये नियुक्त किया है। अब यह करार इस बात का साक्षी है कि प्रथम पक्ष के पक्षकार और प्रबन्धतंत्र एतदद्वारा निम्नलिखित संविदा करते हैं और उसके लिये सहमत हैं–

1– यह सेवा–संविदा दिनाँक ....20 .... से प्रारम्भ होगी और आगे व्यवस्थति रीति से समाप्त की जा सकेगी।

2– प्राचार्य, प्रथमतः एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियोजित है और उसे .... .रूपये का मासिक वेतन दिया जायगा। परिवीक्षा, प्रबन्धतन्त्र के स्वविवेक से और एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।

3– परिवीक्षा अवधि के पश्चात स्थायी किये जाने पर प्रबन्धतन्त्र प्राचार्य को .... रूपये के वेतन–मान में केवल........... रूपये (......रूपये) प्रतिमास की दर से होगा। वेतनमान ऐसे पुनरीक्षण के अधीन होगा जा समय–समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा किया जाये।

4– उक्त मासिक वेतन, जिस मास में यह अर्जित किया जाय, उसके अगले मास के प्रथम दिनाँक को देय हो जायगा और प्रबन्धतन्त्र प्रत्येक मास के अधिक से अधिक पन्द्रहवें दिनाँक तक प्राचार्य को उसका भुगतान कर देगा।

5– प्राचार्य ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा जो सिकी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्बन्धित हों तथा ऐसे समस्त कर्तव्यों के सम्यक् रूप से पालन के लिये उत्तरदायी होगा। प्राचार्य उक्त महाविद्यालय के आन्तरिक प्रबन्ध तथा अनुशासन के लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जैसे कि सम्बन्धित विभाग के ज्येष्ठतम अध्यापक के परामर्श से पाठ्य–पुस्तकों का चयन महाविद्यालय का अध्यापन सारणी की व्यवस्था, महाविद्यालय के अध्यापक–वर्ग के समस्त सदस्यों के कार्य–वितरण, वार्डनों, प्राक्टरों खेल–कूद अधीक्षकों की नियुक्तियाँ, कर्मचारीवर्ग को छुट्टी स्वीकृत करना, निम्नश्रेणी के कर्मचारी वर्ग तथा चपरासी, दफ्तरी, माली तकनीशियन आदि की नियुक्ति, पदोन्नति, उन पर नियंत्रण तथा उन्हें हटाना, प्रबन्धतन्त्र द्वारा स्वीकृत संख्या के भीतर छात्रों को निःशुल्कता और अर्द्ध निःशुल्कता स्वकृत करना वार्डनों के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रावास अथवा छात्रावासों का नियंत्रण करना, छात्रों को प्रवेश करना, उन पर अनुशासन करना और उन्हें दण्ड देना तथा खेल–कूद और अन्य कार्यक्रमों को संगठित करना। वह छात्रों की समस्त निधियों, यथा खेल–कूद निधि, पत्रिका निधि, संघ (यूनियन) निधि, वाचनालय निधि, परीक्षा निधि, आदि प्रबन्ध अपने द्वारा नियुक्त समिति की सहायता से तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार तथा प्रबन्ध तन्त्र द्वारा नियुक्त किसी अर्ह लेखाकार द्वारा जो प्रबन्ध तन्त्र के सदस्यों में से न होगा, उक्त लेखों की संपरीक्षा तथा संवीक्षा के अधीन रहते हुए, करेगा। लेखाकार की फीस महाविद्यालय की छात्र निधियों पर यथार्थ प्रभार होगा।

उसको इस प्रयोजन के लिये, सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी जिसमें आपत्तिकाल में अध्यापकों या कर्मचारियों सहित कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को प्रबन्धतन्त्र को सूचित किये जाने और उसके द्वारा विनिश्चय करने तक, निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित है। वह अपने निजी उत्तरदायित्व के क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रशासन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अथवा सरकार से प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा। वित्तीय तथा अन्य मामलों में, जिसके लिये केवल वही उत्तरदायी नहीं हैं। प्राचार्य, प्रबन्धतंत्र के निर्देशों का जैसा उसे सचिव के माध्यम से लिखित रूप से जारी किया जाय, पालन करेगा। प्रबन्ध तन्त्र या सचिव द्वारा कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को समस्त अनुदेश प्राचार्य के माध्यम से जारी किये जायेंगे और कर्मचारीवर्ग का कोई भी सदस्य सिवाय प्राचार्य के, माध्यम से, प्रबन्ध तन्त्र के किसी सदस्य से सीधे भेंट नहीं करेगा।

प्राचार्य की लिपिकीय तथा प्रशासकीय कर्मचारीवर्ग के सम्बन्ध में नियंत्रण तथा अनुशासन की समस्त शक्तियाँ होंगी जिसके अन्तर्गत वृद्धियाँ रोकने की शक्ति भी है। प्राचार्य के कार्यकाल में समस्त नियुक्तियाँ उसकी सहमति से की जायेंगी।

6. प्राचार्य, प्रबन्धतन्त्र तथा प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति का पदेन सदस्य होगा और उसे मद देने की शक्ति होगी।

परन्तु वह ऐसे समिति का सदस्य होगा जो उसके आचरण की जाँच करने के लिए नियुक्त किया जाय।

7. प्राचार्य के जन्म का दिनाँक................ है जिसके प्रमाण में उसने हाई स्कूल का प्रमाण–पत्र .... परीक्षा का प्रमाण–पत्र जिसे हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष माना गया है, प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की हैं

8. अन्य समस्त मामलों में इन पक्षकारों के आपसी अधिकार और दायित्व समय–समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय के परिनियमों तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्ध के द्वारा नियंत्रित होंगे।

प्रबंध तंत्र की ओर से .... द्वारा आज दिनाँक.......... 20........को हस्ताक्षरित।

निम्नलिखित की उपस्थिति में प्राचार्य द्वारा

साक्षी (1)

पता..

साक्षी (2)

पता...

3. शैक्षिक सत्र ....की वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र

1. अध्यापक का नाम

2. विभाग जिससे सम्बद्ध हो।

3. क्या प्राध्यापक, उपाचार्य, आचार्य, प्राचार्य आदि हैं।

4. सत्र में प्राप्त शैक्षिक अर्हतायें या विशष्टितायें, यदि कोई हों।

5. अध्यापक की प्रकाशित रचनायें या उसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य और। या किसी राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में पढ़े गये पत्रादि का वितरण।

6. सत्र के दौरान उसके मार्गदर्शन में कार्य करने वाले अनुसंधान छात्रों की संख्या और क्या उनमें से किसी को अनुसंधान कार्य के लिये उपाधि प्रदान की गयी।

7. सत्र के दौरान विश्वविद्यालय या संस्थान या महाविद्यालय में दिये गये व्याखानों (पाठन कक्षा को छोड़कर) की संख्या

8. अभ्युक्ति।

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट की अन्तर्वस्तुयें मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं।

दिनाँक अध्यापक का हस्ताक्षर,

प्रति हस्ताक्षरित। पदनाम।

परिशिष्ट ''घ''

(परिनियम 10.14 देखिये)

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

स्व–मूल्यांकन विवरण का निदर्श

खण्ड–एक

1. नाम दिनाँक.....................

2. पद नाम

3. जन्म दिनाँक

4. शैक्षिक अर्हतायें

5. विश्वविद्यालय में कार्य भार ग्रहण करने का दिनाँक

6. स्थायीकरण का दिनाँक

7. अध्यापन कार्य का अनुभव

संस्था का नाम धृत पद	किस दिनाँक से	किस दिनाँक तक	कुल अवधि

8. विभिन्न स्तर पर अध्यापित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों का नाम

(विस्तृत ब्योरा दीजिए)

(क) अधि स्नातक–

(ख) स्नातकोत्तर–

9. गत तीन वर्षों में अध्यापित पाठ्यक्रम (ठीक–ठीक ब्योरा दीजिए)

(क) अधि स्नातक

(ख) स्नातकोत्तर

10. पढाये जाने वाले पाठ्यक्रम के लिये सामग्री के श्रोत का ब्योरा जिनका आपने अध्ययन किया (पुस्तकें, जर्नल आदि)

11. आपके द्वारा प्रयोग की गयी अध्यापन की रीति का ब्योरा (अध्यापन) ट्यूटोरियल, संगोष्ठी, प्रैक्टिकल आदि)

12. पिछले शिक्षा सत्र के दौरान ट्यूटोरियल का व्योरा–

---

* यह भी इंगित करें क्या अस्थायी/तदर्थ/अस्थायी हैं।

**कृपया समस्त स्तम्भों को भरें जहाँ आवश्यक हो, वहाँ ''लागू नही है'' लिखिये।

अधिस्नातक पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

कितनी बार

निर्दिष्ट कार्य की जाँच।

13. पिछले शिक्षा सत्र में आप आवंटित कक्षायें नीचे दी गयी नियमितता के किस स्तर में ले सके–

(जो प्रयोज्य हो उस पर घेरा बना दीजिए)

(क) 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक

(ख) 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक

(ग) 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक

(घ) 70 प्रतिशत से नीचे।

खण्ड दो

1. निम्नलिखित उपाधियों का ब्योरा दीजिये

विश्वविद्यालयउपाधि दिये जाने का वर्ष शोध, प्रबन्ध का विषय

एम0फिल0

पी0एच0डी0

डी0लिट्0

डी0एस–सी0

2. शोध प्रबन्ध (थीसिस), यदि प्रकाशित हुआ हो, का ब्योरा

(इसकी एक प्रति संलग्न की जाय)

3. प्रकाशित शोध–पत्र, पुस्तक, विशेष निबन्ध (मोनोग्राफ), समीक्षा (रिव्यूज), पुस्तक के प्रकरण, अनुवाद और सृजनात्मक रचना आदि, यदि कोई हो, का ब्योरा।

4. सम्मेलन, संगोष्ठी, कर्मशाला, (वर्कशाप) जिसमें भाग लिया। प्रस्तुत किये गये निबन्ध और/या धृत पदीय स्थिति का ब्योरा दीजिए।

5. ग्रीष्मकालीन संस्थान, अभिनन्दन (रिफ्रेशर) या अभिस्थापन पाठ्यक्रम (ओरियन्टेशन कोर्स) जिसमें भाग लिया (ब्योरा दीजिए)।

6. शोध मार्गदर्शन (रिसर्य गाइडेन्स)/वैयिक्तक परामर्श (प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सी) यदि हो, का ब्योरा।

7. वैक्तिक, शैक्षिक निकायों, सोसाइटी आदि की सदस्यता या फेलोशिप (ब्योरा दीजिये)।

8. ऐसे शैक्षिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में जो इस खण्ड के अन्तर्गत न आते हों, कोई अन्य सूचना।

खण्ड –तीन

अपनी संस्था के समष्टिगत जीवन (कारपोरेट लाइफ) में अपने अंशदान का ब्योरा।

1. (क) पाठ्यचर्या विकास

(ख) सांस्कृतिक/पाठ्यत्तर कार्य–कलाप

(ग) खेलकूद/समुदायिक और प्रसार सेवायें

(घ) प्रशासनिक कार्य

(ङ) कोई अन्य

2. कोई अन्य सूचना जो उपर्युक्त प्रश्नावली के अन्तर्गत न आती हो।

मैं प्रमाणित करता हूॅ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।

हस्ताक्षर..

विभाग ....

....

परिशिष्ट– ङ

(परिनियम 11.01 देखिये)

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध महाविद्यालय

S. No.	DISTRICT	CODE	COLLEGE NAME	TYPE
1	AMBEDKAR NAGAR	258	A.P.S. MAHAVIDHYALAYA CHAKRASENPUR ANAND NAGAR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
2	AMBEDKAR NAGAR	83	ADARSH KANYA SNAKOTTAR MAHAVIDHYALAYA JIYAPUR BARUA JALAKITANDA-AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
3	AMBEDKAR NAGAR	345	ANGAD SINGH SMARAK MAHAVIDHYALAYA KANNUPUR JALALPUR- AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
4	AMBEDKAR NAGAR	137	ARJUN PRASAD MAHILA P.G. PAYASI DHAM SURAHURPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
5	AMBEDKAR NAGAR	358	B.M. MEMORIAL DEGREE COLLEGE KAKRAHI KISHUNPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
6	AMBEDKAR NAGAR	26	B.N.K.B. P.G COLLEGE,AKBARPUR AMBEDKAR NAGAR	AIDED
7	AMBEDKAR NAGAR	28	BABA BARUADAS P.G. COLLEGE,PARAUYA ASHRAM-AMBEDKAR NAGAR	AIDED
8	AMBEDKAR NAGAR	38	BABA BARUADAS SHIKSHAN SANSTHAN MAHILA MAHAVIDHYALAYA JALALPUR-AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
9	AMBEDKAR NAGAR	6061	BABA BIHARI LAL GIRLS EDUCATIONAL INSTITUTE, AMADARVESHPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
10	AMBEDKAR NAGAR	627	BABA JAI GURUDEV SMRITI MAHAVIDYALAYA, TIGHARA, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
11	AMBEDKAR NAGAR	558	BABA RAM NATH SMARAK MAHAVIDYALAYA, BIHAMADPUR, ASHAPAR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
12	AMBEDKAR NAGAR	557	BABA SUKHDEV SMARAK MAHAVIDYALAYA, NARIYAW, GULRAHA, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
13	AMBEDKAR NAGAR	607	BABU LAKSHMAN PRASAD EDUCATIONAL INSTITUTE, AADIPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
14	AMBEDKAR NAGAR	674	BALWANTA DEVI JAGATPAL COLLEGE OF EDUCATION, KATEHARI, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
15	AMBEDKAR NAGAR	439	BHAGWAN DAS MAURYA MAHILA MAHAVIDHYALAYA SHUKL BAZAR, AMBEDKER NAGAR	SELF FINANCE
16	AMBEDKAR NAGAR	713	BHAGWATI PRASAD MOHINI DEVI MAHAVIDYALAYA, JAINPUR, KHEWAR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
17	AMBEDKAR NAGAR	357	BHANMATI SMARAK MAHAVIDYALAYA AKBARPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
18	AMBEDKAR NAGAR	217	BIHARI LAL SMARAK KISHAN MAHAVIDHYALAY AMADARVESHPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
19	AMBEDKAR NAGAR	334	BIHARI SMRITI MAHILA MAHAVIDHYALAYA BANDIPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
20	AMBEDKAR NAGAR	349	BINDESHWARI MAHAVIDYALAYA, BARADHA, BHIURA, AKBARPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
21	AMBEDKAR NAGAR	195	C.B. SINGH LAW COLLEGE,SONGAUN AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
22	AMBEDKAR NAGAR	146	CH.HANUMAN PRASAD KRISHAK MAHAVIDHYALYA RUDRAPUR BHAGAHI VARIYAWAN AMD. NAGAR	SELF FINANCE
23	AMBEDKAR NAGAR	331	COLONEL JAGANNATH SINGH MAHAVIDHYALAYA PEETHAPUR,SARAIYA ,AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
24	AMBEDKAR NAGAR	329	DASHRATH VERMA MAHAVIDHYALAYA GAURA BASANTPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
25	AMBEDKAR NAGAR	779	DAYARAM VERMA MAHAVIDYALAYA PEETHAPUR, KUDIA, CHITAWNA, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
26	AMBEDKAR NAGAR	443	DEEP NARAYAN SURYA KUMAR SMRITI MAHAVIDHYALAYA, BANDIPUR AMBEDKER NAGAR	SELF FINANCE
27	AMBEDKAR NAGAR	150	DEV INDRAWATI MAHAVIDHYALAYA KATHARI AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
28	AMBEDKAR NAGAR	618	DEV INDRAWATI MAHAVIDHYALAYA, ARKHAPUR, TANDA, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
29	AMBEDKAR NAGAR	183	DHAN RAJI DEVI BALIKA MAHAVIDHYALAY UTRETHU AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
30	AMBEDKAR NAGAR	139	DR. ASHOK KUMAR SMARAK MAHAVIDHYALAYA TAMSA MARG AKBARPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
31	AMBEDKAR NAGAR	738	DR. PARSHURAM DEEN BANDHU MAHAVIDYALAYA, HARRAIYA, BASKHARI, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
32	AMBEDKAR NAGAR	404	DR. RAM MANOHAR LOHIA MAHAVIDHYALAYA RAM ABHILAKH VERMA PURAM SEMARI AMB. NAGAR	SELF FINANCE
33	AMBEDKAR NAGAR	714	DULARI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DULARI NAGAR (PILAI) AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
34	AMBEDKAR NAGAR	786	GRAMIN SHIKSHAN SANSTHAN, MOHIUDDINPUR, DHIHAWA, DAULATPUR, TANDA, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE

35	AMBEDKAR NAGAR	30	GRAMODAYA ASHRAM P.G.COLLEGE VEERSINGH PUR, SARAIA SAYA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
36	AMBEDKAR NAGAR	847	H.L.A.L. DEGREE COLLEGE , & TECHNOLOGY VIMAVAL, RAMNAGAR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
37	AMBEDKAR NAGAR	617	HARI PRASAD CHANDRAWATI SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, SEEHMAI, KARIRAT, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
38	AMBEDKAR NAGAR	736	HAZI ABDULLAH MAHILA MAHAVIDYALAYA, SULTANPUR, KABIRPUR, BASKHARI, AMB. NAGAR	SELF FINANCE
39	AMBEDKAR NAGAR	219	HULASI DEVI SMRITI MAHAVIDHYALAY DEVDHAM (GANJA) AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
40	AMBEDKAR NAGAR	151	J.D.J.B. ANAND MAHAVIDHYALAYA DHANVARI KHEMAPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
41	AMBEDKAR NAGAR	584	JAGAT NARAIN MAHAVIDYALAYA, ARUSA, NARAINPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
42	AMBEDKAR NAGAR	591	JAGPATI SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, SEMRA, RAFIGANJ, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
43	AMBEDKAR NAGAR	221	JAI SHANKAR KRIPA MAHAVIDHYALAYA MUNDEHARA, PRATAPPUR KALA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
44	AMBEDKAR NAGAR	751	JAY BAJRANG GIRLS DEGREE COLLEGE, GOVARDHANPUR, AALAPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
45	AMBEDKAR NAGAR	36	JHAMBABA P.G. COLLEGE SURJUPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
46	AMBEDKAR NAGAR	181	KALPA MAHILA MAHAVIDHYALAY SANSTHAN MAHMOOD PUR RAMDIN SINGH KICHOCHA A.NAGAR	SELF FINANCE
47	AMBEDKAR NAGAR	119	KARM YOGI RAM SURAT TRIPATHI MAHAVIDHYALAYA KRISHNA NAGAR SISWA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
48	AMBEDKAR NAGAR	593	KAULESHARSURYAMATIMAHAVIDYALAYA, MOHANPURGILANT, AKBARPUR,AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
49	AMBEDKAR NAGAR	35	LALLANJI BRAHMCHARI MAHAVIDHYALAYA RAJE SULTANPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
50	AMBEDKAR NAGAR	729	M.N.D. MAHILA MAHAVIDYALAYA, KHARGOOPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
51	AMBEDKAR NAGAR	663	MAA FOOLADEVI SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, PANTI MANSHAPUR, AKBARPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
52	AMBEDKAR NAGAR	255	MAA FOOLPATI DEVI MAHAVIDHYALAYA, BHIKHAPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
53	AMBEDKAR NAGAR	740	MAA KABOOTRA DEVI SATYABHAMA MAHILA MAHAVIDYALAYA, MUBARAKPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
54	AMBEDKAR NAGAR	182	MAA KAMLA MAHAVIDHYALAYA DHAKHA MEDANIPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
55	AMBEDKAR NAGAR	732	MAA REETA MAHILA MAHAVIDYALAYA, RAMGARH, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
56	AMBEDKAR NAGAR	555	MAA TILESHRA DEVI MAHAVIDYALAYA, BHASDA, TANDA, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE

57	AMBEDKAR NAGAR	428	MAHAMAYA RAJKIYA ALOPATHIC MEDICAL COLLEGE, AMBEDKER NAGAR	GOVERN-MENT
58	AMBEDKAR NAGAR	222	MAHARANA PRATAP SIKSHAN PRISIKSHAN SANSTHAN NAGHARA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
59	AMBEDKAR NAGAR	276	MAHARSHI YOGIRAJ DEORAHA BABA MAHAVIDHYALAYA, TENDUAI KALA AMB. NAGAR	SELF FINANCE
60	AMBEDKAR NAGAR	831	MAHAVEER PRASAD SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, ASHIPUR, JALALPUR, A. NAGAR	SELF FINANCE
61	AMBEDKAR NAGAR	246	MAHILA MAHAVIDHYALAY BELA PARSA AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
62	AMBEDKAR NAGAR	184	MAHILA MAHAVIDHYALAY RUSTAMPUR POST AASHOPUR, TANDA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
63	AMBEDKAR NAGAR	149	MULAYAM SINGH YADAV MAHILA MAHAVIDHYALAYA JALALPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
64	AMBEDKAR NAGAR	522	NARAYAN MEMORIAL GIRLS COLLEGE OF EDUCATION, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
65	AMBEDKAR NAGAR	250	NAV DURGA MAHAVIDHYALAYA KHASROPUR BASKHARI AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
66	AMBEDKAR NAGAR	583	NRIPATI NARAIN SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, AMIYA, BAVANPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
67	AMBEDKAR NAGAR	239	PANNA LAL PUTRAVATI DEVI SMARAK MAHAVIDHYALAYA BATTUGARH YARAKI AKBARPUR AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
68	AMBEDKAR NAGAR	220	PHOOLA DEVI CHANDRADHAR MISHRA MAHAVIDHYALAY CHANDOKA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
69	AMBEDKAR NAGAR	773	PRAKASH SICHHAN PRASICHHAN SANSTHAN MARAUCHA, SHIV TARA, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
70	AMBEDKAR NAGAR	718	PT. BANSHRAJ PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, BHAGWANPUR MAJHARIA, AHIRAULI, GOVIND SAHAB, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
71	AMBEDKAR NAGAR	367	PT. KRIPA SHANKAR DEGREE COLLEGE KALPADHAM PETHIA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
72	AMBEDKAR NAGAR	603	PT. RAM SHABD SMRITI MAHAVIDYALAYA, VISHUNPURBAJDAHA, JAHANGIRGANJ, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
73	AMBEDKAR NAGAR	32	PT.RAMLAKHAN SHUKLA RAJKIYA P.G. COLLEGE ALAPUR AMBEDKAR NAGAR	GOVERN-MENT
74	AMBEDKAR NAGAR	727	PUSHPA KHARWAR MAHILA MAHAVIDYALAYA, KASHMIRIA, TANDA, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
75	AMBEDKAR NAGAR	739	R.D.R.B. MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHEKHPUR, JALALPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
76	AMBEDKAR NAGAR	82	R.D.R.B.MAHAVIDHYALAYA NATHUPUR LODHANA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
77	AMBEDKAR NAGAR	848	R.K. EDUCATIONAL INSTITUTE BADEPUR, JALAL, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
78	AMBEDKAR NAGAR	849	R.P. SINGH MAHILA MAHAVIDHALAYA, RAMGADH AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE

79	AMBEDKAR NAGAR	218	R.P.S.M.B.S. MAHAVIDHYALAYA SISANI JAFARGANJ AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
80	AMBEDKAR NAGAR	850	R.S. MEMORIAL PRASHIKSHAN SANSTHAN, LALMANPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
81	AMBEDKAR NAGAR	455	RADHEYMOHAN RADHEYSHYAM MAHAVIDHYALAYA, BANKATA, BUJURG, RAJE SULTANAPUR, AMBEDKERNAGAR	SELF FINANCE
82	AMBEDKAR NAGAR	586	RAJ BUKSH SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, SANT BAKSH NAGAR, DAUDPUR, AKBARPUR	SELF FINANCE
83	AMBEDKAR NAGAR	741	RAJARAM MAHAVIDYALAYA, ASHRAFPUR, MAJGAWAN, JALALPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
84	AMBEDKAR NAGAR	525	RAJAT BALIKA DEGREE COLLEGE, TANDA, HANSWAR, AMBEDKERNAGAR	SELF FINANCE
85	AMBEDKAR NAGAR	270	RAJAT DEGREE COLLEGE OF ADUCATION & TRANING INSTITUTE CHANDANPUR A. NAGAR	SELF FINANCE
86	AMBEDKAR NAGAR	303	RAJAT MAHILA MAHAVIDHYALAYA SINGHPUR GOHILA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
87	AMBEDKAR NAGAR	171	RAJESH PANDEY COLLEGE OF LAW AKBARPUR AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
88	AMBEDKAR NAGAR	277	RAM ADHAR GRAMIN MAHAVIDHYALAYA BADAGAON, IBRAHIMPUR TANDA AMB. NAGAR	SELF FINANCE
89	AMBEDKAR NAGAR	237	RAM AVADH SMARAK P.G COLLEGE KASDAHA SHUKUL BAZAR AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
90	AMBEDKAR NAGAR	602	RAM BUKSH SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, SAKRA DAKSHIN, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
91	AMBEDKAR NAGAR	87	RAM LAKHAN MAHAVIDHYALAYA BHITI AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
92	AMBEDKAR NAGAR	401	RAM MILAN MAURYA KARMADEVI MAHILA MAHAVIDHYALAYA NATTHUPUR LODHANA AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
93	AMBEDKAR NAGAR	256	RAM MURTI MISHRA SMARAK MAHAVIDHYALAYA BHEEKHPUR AMADARVESHPUR AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
94	AMBEDKAR NAGAR	148	RAM SAMUJH SURSATI MAHAVIDHYALAYA RATAN PUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
95	AMBEDKAR NAGAR	285	RAM UJAGIR MAHAVIDHYALAY BASOHARI AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
96	AMBEDKAR NAGAR	332	RAMA SHANKER PRABHA MAHAVIDHYALAYA DANDUPUR,SUKHARIGANJ, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
97	AMBEDKAR NAGAR	33	RAMABAI RAJKIYA MAHILA MAHAVIDHYALAYA AKBARPUR AMBEDKAR NAGAR	GOVERNMENT
98	AMBEDKAR NAGAR	715	RAMDEI SINGH MAHILA MAHAVIDYALAYA, BEGIKOL, JALALPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
99	AMBEDKAR NAGAR	251	RISHI RAJ SINGH MAHAVIDHYALAYA MAHVARI AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
100	AMBEDKAR NAGAR	662	S.D.J.P. MAHAVIDYALAYA, DALLA NIZAMPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE

101	AMBEDKAR NAGAR	716	SAI BABA GAURI BABA SRI ARJUN SINGH MAHAVIDYALAYA, WALLIPUR, NEVADA, A. NAGAR	SELF FINANCE
102	AMBEDKAR NAGAR	138	SANT DWARIKA PRASAD MAHAVIDHYALAYA KOTWA MOHDPUR AKBERPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
103	AMBEDKAR NAGAR	31	SARDAR PATEL P.G. FATEHPUR BADAGAON, JALALPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
104	AMBEDKAR NAGAR	84	SARDAR PATEL SMARAK MAHAVIDHYALAYA LARPUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
105	AMBEDKAR NAGAR	556	SARVODAY MAHAVIDYALAYA, SHAHPUR, AURAV, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
106	AMBEDKAR NAGAR	649	SAVITRI SRINATH MAHAVIDYALAYA, RASOOLPUR, BAKARGANJ, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
107	AMBEDKAR NAGAR	365	SHANTI DEVI RAM BADAN MAHAVIDHYALAYA NASIRPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
108	AMBEDKAR NAGAR	78	SHIA MAHILA MAHAVIDHYALAYA HAJPURA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
109	AMBEDKAR NAGAR	348	SHIV MAHAVIDHYALAYA AMDAHI BANDIPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
110	AMBEDKAR NAGAR	742	SHIVPAL SINGH YADAV MAHILA MAHAVIDYALAYA, ARIYAUNA, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
111	AMBEDKAR NAGAR	29	SHRI BASUDEV RAM HARIPRASAD MAHAVIDHYALAYA, KICHAUCHA,AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
112	AMBEDKAR NAGAR	851	SHRI CHEDIRAM SHUKL MAHILA MAHAVIDYALAYA, SEMUR, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
113	AMBEDKAR NAGAR	369	SHRI GANESH JI G.V.S.S. MAHAVIDHYALYA BHUJGI AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
114	AMBEDKAR NAGAR	407	SHRI HUBRAJ JAISWAL MAHILA MAHAVIDHYALAYA VARIYAWAN AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
115	AMBEDKAR NAGAR	257	SHRI RAMHIT LAXIMAN SMARAK MAHILA MAHAVIDHYALAYA BANDIPUR AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
116	AMBEDKAR NAGAR	79	SHRI SHANKAR JI SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA MATHIA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
117	AMBEDKAR NAGAR	118	SHRIRAM ADARSH MAHAVIDHYALAYA MUBARAKPUR MARAILA AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
118	AMBEDKAR NAGAR	147	SINGARI DEVI SMARAK MAHAVIDHYALAYA RAM NAGAR AMEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
119	AMBEDKAR NAGAR	521	SITARAM SINGH MAHAVIDYALAYA, SABUKPUR, AMEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
120	AMBEDKAR NAGAR	840	SMT. SHAYMA DEVI DEGREE COLLEGE OF SCIENCE AND MANAGEMENT SISWA RAMPUR SAKARWARI AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
121	AMBEDKAR NAGAR	34	SMT.RAGHURAJI DEVI MAHILA MAHAVIDH. HANSWAR,AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
122	AMBEDKAR NAGAR	328	SMT.SATYAWATI DEVI INSTITUTE OF EDUCATION & TECH. CHANAGA NARHARPUR,AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE

123	AMBEDKAR NAGAR	711	SRI RAM ADHAAR VERMA SMARAK MAHAVIDYALAYA,GAURA MAHMADPUR, PARA JALALPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
124	AMBEDKAR NAGAR	852	SUSHILA DEVI HEMCHAND AADARSH MAHILA MAHAVIDYALAYA, HATHPAKAD, AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
125	AMBEDKAR NAGAR	726	SWAMI VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA, NARAYANPUR, PRITAMPUR, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
126	AMBEDKAR NAGAR	27	T.N.P.G.COLLEGE, TANDA, AMBEDKAR NAGAR	AIDED
127	AMBEDKAR NAGAR	351	THAKUR DEEN PATHAK MAHILA MAHAVIDHYALAYA SAIDAIHI AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
128	AMBEDKAR NAGAR	37	THAKUR DEENPATHAK SMRITI SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA SAIDAIHI ,AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
129	AMBEDKAR NAGAR	772	UNURKHA TIWARI DANPATI SICHHAN PRASICHHAN MAHAVIDYALAYA BEVANA, AMBEDKARNAGAR	SELF FINANCE
130	AMBEDKAR NAGAR	853	VIDUSHI MAHILA MHAVIDHAYALAYA, GAURA BASNTPUR, KATEHARI , AMBEDKAR NAGAR	SELF FINANCE
131	AMETHI	675	DR LALJI TRIPATHIMAHAVIDYALAYA, PATHANPUR, SAINTHA, AMETHI	SELF FINANCE
132	AMETHI	108	DR. PUSHPENDRA SINGH SMARAK MAHAVIDHYALAYA GHATAMPUR PASCHIM DUWARA AMETHI	SELF FINANCE
133	AMETHI	810	GAYADEI MAHILA MAHAVIDYALAYA, DURGAPUR ROAD, BAGHWARIA KATRA, PHOOLKUNWAR, AMETHI	SELF FINANCE
134	AMETHI	803	HANSA DEVI MAHAVIDYALAYA, ACHALPUR, JAMO, AMETHI	SELF FINANCE
135	AMETHI	758	INDIRA GANDHI COLLEGE OF NURSING, SANJAY GANDHI HOSPITAL CAMPUS, MUNSHIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
136	AMETHI	805	JAGADGURU SWAMI KRISHNACHARYA MAHAVIDYALAYA, PURE ICHCHA MISHRA, BENIPUR, GAURIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
137	AMETHI	854	KAMLA SUSHILA LAL BAHADUR MAHILA MAHAVIDYALAYA, PURE PAHARSINGH, PUNNUPUR, VISHESARGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
138	AMETHI	658	KEDARNATH EDUCATIONAL INSTITUTE, IKSARA, SHAHGARH, AMETHI	SELF FINANCE
139	AMETHI	733	MAA VAISHNO DEVI SHRI SIDHNATH MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN, PALI ROAD, SHANTI NAGAR, SHUKUL BAZAR, AMETHI	SELF FINANCE
140	AMETHI	609	MAHRSHI SHANDIYA PRASHIKSHAN SNASTHAN, JAGDISHPUR, GAURIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
141	AMETHI	301	MANGALAM MAHILA MAHAVIDYALAYA, MUSAFIRKHANA AMETHI	SELF FINANCE
142	AMETHI	654	NIRMALA INSTITUTE OF WOMENS EDUCATION & TECHNOLOGY, VISHUNDASPUR, GAURIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
143	AMETHI	681	PIYUSH PRAKSHAN MAHAVIDYALAYA, GAURIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
144	AMETHI	761	PT. RAMRAJ MISHRA MAHAVIDYALAYA, (TENDUA) SHUKUL BAZAR, AMETHI	SELF FINANCE
145	AMETHI	806	PT. SRI RAM PRATAP SHUKL MAHILA MAHAVIDYALAYA, KANJAS, MUSAFIRKHANA, AMETHI	SELF FINANCE
146	AMETHI	43	R.R.P.G.COLLEGE AMETHI SULTANPUR	AIDED
147	AMETHI	129	RAJA KANH P.G. COLLEGE, JAGESAR GANJ AMETHI	SELF FINANCE
148	AMETHI	792	RAMKUMAR SMARAK SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SEWA SANSTHAN, SHUKUL BAZAR, AMETHI	SELF FINANCE
149	AMETHI	89	RANI SUSHMA DEVI MAHILA MAHAVIDHYALAYA AMETHI SULTANPUR	SELF FINANCE
150	AMETHI	686	RANJEET SINGH INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY GUNGWACH, KARAUNDI, AMETHI	SELF FINANCE
151	AMETHI	471	RANVEER RANANJAY SNATKOTTAR MAHAVIDYALAYA, ANTU ROAD, AMETHI	SELF FINANCE
152	AMETHI	804	SANT PRASAD SURJAN DEEN MAHAVIDYALAYA, PURE AJITAN, UNCHGAON, SHUKUL BAZAR, AMETHI	SELF FINANCE
153	AMETHI	143	SHRI UMA MAHESHWAR MAHAVIDHYALAYA AIRPORT FURSHAT GANJ AMETHI	SELF FINANCE
154	AMETHI	212	SMT. SHIVDULARI SINGH MAHILA DEGREE COLLEGE GUNGVACHH AMETHI SULTANPUR	SELF FINANCE
155	AMETHI	286	SMT.KAMLA RAMUDIT MAHAVIDHYALAYA KANAK SINGH PUR AMETHI SULTANPUR	SELF FINANCE
156	AMETHI	414	SPARSH MAHAVIDHYALAYA SAKARA RAM NAGAR AMETHI	SELF FINANCE
157	AMETHI	577	SRI AMAR BAHADUR MAHAVIDYALAYA, DADRA, MUSAFIRKHANA, AMETHI	SELF FINANCE
158	AMETHI	634	SRI BAJRANG SINGH MAHAVIDYALAYA, MAU, GAURIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
159	AMETHI	798	SRI THAKUR SHIV BAHADUR YASHWANT SINGH MAHAVIDYALAYA, RAJNAGAR BHADAR, AMETHI	SELF FINANCE
160	AMETHI	595	SRI VIRENDRA NATH SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, THUARI, AMETHI	SELF FINANCE
161	BAHRAICH	570	AMEER HASAN FARUQI MASOODYA MUBARKA DEGREE COLLEGE, IMAMGANJ ROAD,NANPARA, BAHRAICH	SELF FINANCE
162	BAHRAICH	566	BABA BUDHESHWARNATH SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, RAMPUR DHEBIAHAR, NANPARA, BAHRAICH	SELF FINANCE
163	BAHRAICH	249	BABU SUNDER SINGH MAHAVIDHYALAYA HUJURPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
164	BAHRAICH	287	BABU VASUDEV SINGH SMARAK MAHAVIDHYALAY JAITA PUR RUPAIDIHA BAHRAICH	SELF FINANCE

165	BAHRAICH	561	BHAWANI PRASAD MISHRA JATA SHANKAR SHIKSHAN SEWA SANSTHAN MAHAVIDYALAYA, KACHCHAR, VISHESHARGANJ, BAHRAICH	SELF FINANCE
166	BAHRAICH	694	BUDHNI DEVI SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHASTRI NAGAR, RISIA, BAHRAICH	SELF FINANCE
167	BAHRAICH	102	CHAUDHARY GAYA PRASAD MAHAVIDHYALAYA SHIVPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
168	BAHRAICH	304	EKLAVYA MAHAVIDHYALAY JHUKIYA JARBAL ROAD BAHRAICH	SELF FINANCE
169	BAHRAICH	3	GAYATRI VIDYAPEETH P.G. COLLEGE RISIA, BAHRAICH	AIDED
170	BAHRAICH	809	HAZI MOHAMAMD YUSUF MAHAVIDYALAYA, BABAGANJ, BAHRAICH	SELF FINANCE
171	BAHRAICH	565	KALAWATI DEVI SMARAK MAHAVIDYALAYA, UTTAMNAGAR, BADHNAPUR, BAHRAICH	SELF FINANCE
172	BAHRAICH	2	KISAN P.G. COLLEGE,BAHRAICH	AIDED
173	BAHRAICH	75	LORD BUDDHA P.G. COLLEGE SAKET NAGAR RUPAIDIHA BAHRAICH	SELF FINANCE
174	BAHRAICH	559	MAA KAMLA DEVI MAHAVIDYALAYA, PIPRIMAFI, SHIVPUR, BAHRAICH	SELF FINANCE
175	BAHRAICH	325	MAHARAJA BALBHADRA SINGH RAIKVAR MAHAVIDHYALAYA BANKATA PAYAGPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
176	BAHRAICH	4	MAHILA P.G. COLLEGE,BAHRAICH	AIDED
177	BAHRAICH	5	MITHILESH NANDINI RESHMA ARIF, MAHAVIDHYALAYA NANPARA,BAHRAICH	SELF FINANCE
178	BAHRAICH	728	PRAGYA SRIJAN BHARTI MAHILA MAHAVIDYALAYA, CHITTAURA, BAHRAICH	SELF FINANCE
179	BAHRAICH	571	PT. MAHARAJDEEN SHUKL SHIKSHAN SEWA SANSTHAN, MATERA KALA, NANPARA, BAHRAICH	SELF FINANCE
180	BAHRAICH	326	PT.ASHOK MISHRA SMARAK MAHAVIDHYALAYA ASHOK NAGAR KHUTEHANA BAHRAICH	SELF FINANCE
181	BAHRAICH	560	RAJA BHAIYA MEMORIAL MAHILA MAHAVIDYALAYA, VANSHPURWA, MAHSI, BAHRAICH	SELF FINANCE
182	BAHRAICH	292	RAJA PREM SINGH SHIKSHA MAHAVIDHYALAYA BAHRAICH	SELF FINANCE
183	BAHRAICH	116	RAJMATA LALLI KUMARI MAHAVIDHYALAYA PAYAGPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
184	BAHRAICH	70	RAM KRISHNA PARAMHANS MAHAVIDHYALAYA KAISERGANJ BAHRAICH	SELF FINANCE
185	BAHRAICH	800	RAM SUNDAR VERMA SMARAK MAHAVIDYALAYA, BHADAULI, CHILWARIA, BAHRAICH	SELF FINANCE
186	BAHRAICH	374	RAMESHWAR DUTT MEMORIAL MAHAVIDHYALAYA KRISHNA NAGAR MAHASI BAHRAICH	SELF FINANCE
187	BAHRAICH	567	RAMTEJ BHAGAUTI PRASAD MAHAVIDYALAYA, DHARSAVA, BAHRAICH	SELF FINANCE

188	BAHRAICH	747	RASIK BIHARI MAHAVIDYALAYA, BADNAPUR, KANCHAR, VISHESHARGANJ, BAHRAICH	SELF FINANCE
189	BAHRAICH	842	S.R. DEGREE COLLEGE OF SCIENCE AND MANGEMENT HARDI BAHRAICH	SELF FINANCE
190	BAHRAICH	572	SADHU RAM VISHWAKARMA PRAGATI MAHAVIDYALAYA, NAROTTAMPUR, BAHRAICH	SELF FINANCE
191	BAHRAICH	225	SANJIVNIE COLLEGE OF EDUCATION & PHYSICAL EDUCATION KIRTANPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
192	BAHRAICH	169	SANJIVNIE COLLEGE OF LAW, KIRATANPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
193	BAHRAICH	227	SANJIVNIE DEGREE COLLEGE KIRTANPUR BAHRAICH	SELF FINANCE
194	BAHRAICH	185	SARVODAYA MAHAVIDHYALAYA MIHIPURWA BAHRAICH	SELF FINANCE
195	BAHRAICH	450	SEEMAVARTI MAHAVIDHYALAYA JAITAPUR PANDEY NAGAR, RUPAIDEEHA, BAHRAICH	SELF FINANCE
196	BAHRAICH	790	SHAKUNTALA MEMORIAL EDUCATIONAL INSTITUTE, UNNAISA, BAHRAICH	SELF FINANCE
197	BAHRAICH	409	SHANTI DEVI SUBHASH CHANDRA SUSHANT DEGREE COLLEGE, SUBHASH NAGAR (CHAKUJOT) BAHRAICH	SELF FINANCE
198	BAHRAICH	661	SHANTI YADAV MAHAVIDYALAYA, MOHAMMAD NAGAR, BAHRAICH	SELF FINANCE
199	BAHRAICH	693	SHIVANSHU SUSHEEL MAHAVIDYALAYA, SUHAPARA, BAHRAICH	SELF FINANCE
200	BAHRAICH	6	SIMANT MAHAVIDHYALAYA RUPAIDIAH BAHRAICH	SELF FINANCE
201	BAHRAICH	406	SIMAVARTI DEGREE COLLEGE PANDEY NAGAR JAITAPUR RUPAIDIAH BAHRAICH	SELF FINANCE
202	BAHRAICH	855	UDAYRAJ CHANDRABHAN SHYAM DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, CHANDRANAGAR, KHANPUR, HUJURPUR, KAISARGANJ, BAHRAICH	SELF FINANCE
203	BAHRAICH	841	RAJA PREM SINGH SHIKSHA MAHAVIDHYALAYA, GRAM TAJ KHUDAI, BAHRAICH	SELF FINANCE
204	BARABANKI	642	ADARSH COLLEGE OF EDUCATIONAL, SALARPUR, DEVASHARIF, BARABANKI	SELF FINANCE
205	BARABANKI	815	AURUS INSTITUTE OF MANAGEMENT, 180 MOHAMMADPUR CHAUKI, (LUCKNOW FAIZABAD ROAD), BARABANKI	SELF FINANCE
206	BARABANKI	236	AVADH LAW COLLEGE BARABANKI	SELF FINANCE
207	BARABANKI	811	BHAGWANDAS SARVESHWARI MAHAVIDYALAYA, DHAUKHRIHA, KANDHAIPUR, RAMNAGAR, BARABANKI	SELF FINANCE
208	BARABANKI	336	BIHARI LAL DEGREE COLLEGE & PROFESSIONAL STUDIES BERIYA, BARABANKI	SELF FINANCE

209	BARABANKI	814	CENTRAL MONTESSORY MAHILA DEGREE COLLEGE, DHAURAMAU, MATI, LUCKNOW DEVA ROAD, BARABANKI	SELF FINANCE
210	BARABANKI	424	CHANDRA DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, SAFEDABAD, BARABANKI	SELF FINANCE
211	BARABANKI	252	CHAUDHARY CHARAN SINGH MAHAVIDHYALAYA BARDARI BARABANKI	SELF FINANCE
212	BARABANKI	643	CITY LAW COLLEGE, LAKSHBAR, BAJHA, PRATAPGANJ, BARABANKI	SELF FINANCE
213	BARABANKI	860	DAULATPUR MAHAVIDYALAYA, DAULATPUR, BARABANKI	SELF FINANCE
214	BARABANKI	812	DAYANAND MAHAVIDYALAYA, SHERPUR NEWLA, KARSANDA, BARABANKI	SELF FINANCE
215	BARABANKI	452	DR. AWADHESH PRAKASH SHARMA SMARAK MAHAVIDYALAYA, NASIPUR-MANSARA, BARABANKI	SELF FINANCE
216	BARABANKI	384	ERAM DEGREE COLLEGE MELARAIGANJ BARABANKI	SELF FINANCE
217	BARABANKI	203	GANGA DEVI LAL BAHADUR DEGREE COLLEGE PURE RUDRA KOTHI BARABANKI	SELF FINANCE
218	BARABANKI	386	GANGA DEVI YADAV MEMORIAL MAHILA MAHAVIDHYALAYA ISMAILPUR DEVA ROAD BARABAKI	SELF FINANCE
219	BARABANKI	69	GRAMANCHAL SNAKOTTAR MAHAVIDHYALAYA HAIDERGARH BARABANKI	SELF FINANCE
220	BARABANKI	266	GRAMANCHAL VIDHI MAHAVIDYALAYA HAIDERGARH, BARABANKI	SELF FINANCE
221	BARABANKI	446	HAJI WARIS ALI SHAH MEMORIAL DIGREE COLLEGE, BARAULIYA, SIRAULI GAUSPUR, BARABANKI	SELF FINANCE
222	BARABANKI	426	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SAFEDABAD, BARABANKI	SELF FINANCE
223	BARABANKI	234	HIND MAHAVIDHALAY MURARPUR NIKAT RAILWAY STATION DARIYABAD BARABANKI	SELF FINANCE
224	BARABANKI	244	IDEAL DEGREE COLLEGE AMARSANDA KURSI ROAD BARABANKI	SELF FINANCE
225	BARABANKI	503	INSTITUTE OF ENVIRONMENT AND MANAGEMENT, ANWARI BARABANKI	SELF FINANCE
226	BARABANKI	333	J.B.S.MAHAVIDHYALAYA DULHADEPUR, BARABANKI	SELF FINANCE
227	BARABANKI	754	JAGANNATH BUX SINGH (JBS) INSTITUTE, BANDI KA PURWA, TINDHWANI, BARABANKI	SELF FINANCE
228	BARABANKI	753	JAGANNATH BUX SINGH (JBS) INSTITUTE, MALINPUR, R.S. GHAT, BARABANKI	SELF FINANCE
229	BARABANKI	859	JAHAGIRABAD EDUCATIONAL TRUST GROUP OF INSTITUTIONAL FACULTY OF ARTS, BARABANKI	SELF FINANCE
230	BARABANKI	202	JANKI PRASAD VERMA MEMORIAL MAHILA MAHAVIDHYALAY KOTVA SADAK BARABANKI	SELF FINANCE

231	BARABANKI	64	JAWAHAR LAL NEHRU SMARAK P.G. COLLEGE BARABANKI	AIDED
232	BARABANKI	721	JUSTICE LAW COLLEGE, MAJHLEPUR, BARABANKI	SELF FINANCE
233	BARABANKI	861	KANTI MAHAVIDYALAYA, AMRAI GAON, RAMNAGAR, BARABANKI	SELF FINANCE
234	BARABANKI	857	LAXMI DEVI DEGREE COLLEGE, TINDUALA, BARABANKI	SELF FINANCE
235	BARABANKI	858	LAXMI DEVI LAW COLLEGE, TINDUALA, BARABANKI	SELF FINANCE
236	BARABANKI	360	LEUTINENT ANIRUDH SHUKL MAHAVIDHYALAYA FATEHPUR BARABANKI	SELF FINANCE
237	BARABANKI	516	M.D. COLLEGE, AMARSANDA, ANWARI, FATEHPUR, BARABANKI	SELF FINANCE
238	BARABANKI	791	MAA SHARDA DEVI MAHAVIDYALAYA, FATTAPUR KALA, RAM SANEHI GHAT, BARABANKI	SELF FINANCE
239	BARABANKI	381	MALKA MAHILA MAHAVIDYALAYA ASANDRA BARABANKI	SELF FINANCE
240	BARABANKI	887	MAMTA GIRLS DEGREE COLLEGE ASANI ROAD KURAULI BARABANKI	SELF FINANCE
241	BARABANKI	387	MANPURIYA COLLEGE OF ACADEMY AND PROFESSIONAL STUDIES MANPUR HARAKH BARABANKI	SELF FINANCE
242	BARABANKI	476	MAYO COLLEGE OF NURSING , MAYO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, FAIZABAD ROAD, GADIYA, BARABANKI	SELF FINANCE
243	BARABANKI	429	MAYO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, FAIZABAD ROADM GADIYA, BARABANKI	SELF FINANCE
244	BARABANKI	465	MISHRILAL SHEETAL PRASAD SARVODAY MAHAVIDYALAYA, NYOCHNA, BARABANKI	SELF FINANCE
245	BARABANKI	245	MOHAN LAL VERMA EDUCATIONAL INSTITUTE PALHARI BARABANKI	SELF FINANCE
246	BARABANKI	65	MUNSHI RAGHUNANDAN PRASAD SARDAR PATEL MAHILA MAHAVIDYALYA BARABANKI	SELF FINANCE
247	BARABANKI	340	PATEL PANCHAYATI MAHAVIDHYALAYA RAM SANEHI GHAT BARABANKI	SELF FINANCE
248	BARABANKI	610	PHULMATI SINGH INSTITUTE ,DELHDEPUR, TIKAITNAGAR, BARABANKI	SELF FINANCE
249	BARABANKI	641	PIONEER MAHILA MAHAVIDYALAYA, LAKHPEDABAGH, BARABANKI	SELF FINANCE
250	BARABANKI	585	PRERNA MAHAVIDYALAYA, ORGANIC CITY, NINDURA, KURSI ROAD, BARABANKI	SELF FINANCE
251	BARABANKI	371	PT. PRANNATH KAMTA PRASAD M.V. MAHAVIDHYALAYA ADITYA NAGAR AMHIYA BARABANKI	SELF FINANCE
252	BARABANKI	347	Q.F. MAHAVIDHYALAYA NINDURA FATEHPUR BARABANKI	SELF FINANCE

253	BARABANKI	703	RAI UMANATH BALI MAHAVIDYALAYA, DARIYABAD, BARABANKI	SELF FINANCE
254	BARABANKI	821	RAJA AVADH MAHAVIDYALAYA, NEEMNAGAR, HUSAINABAD, TRIVEDIGANJ, BARABANKI	SELF FINANCE
255	BARABANKI	759	RAJKIYA MAHAVIDYALAYA, HASAUR, BARABANKI	GOVERNMENT
256	BARABANKI	813	RAM DULARI VERMA MAHILA MAHAVIDYALAYA, BHAWANIDEEN PURWA, UDHAULI, BARABANKI	SELF FINANCE
257	BARABANKI	153	RAM KHELAWAN MAHAVIDHYALAYA SHEKHPUR DAMODAR ASANDARA BARABANKI	SELF FINANCE
258	BARABANKI	167	RAM SAJIVAN SAVITRI DEVI DEGREE COLLEGE BARIYARPUR BAGHAURA BARABANKI	SELF FINANCE
259	BARABANKI	68	RAM SEWAK YADAV MAHAVIDYALAYA CHAUDAULI BARABANKI	SELF FINANCE
260	BARABANKI	672	RAMARPIT MAHAVIDYALAYA GHAZIPUR, NEAR KOTWA SADAK, BARABANKI	SELF FINANCE
261	BARABANKI	66	RAMNAGAR SNAKOTTAR MAHAVIDHYALAYA RAMNAGAR BARABANKI	AIDED
262	BARABANKI	378	RANI SHANTI DEVI MAHAVIDHYALAYA HATHODHA BARABANKI	SELF FINANCE
263	BARABANKI	189	SAHYOGI R.B.DIGREE COLLEGE KHUSHHALPUR BARABANKI	SELF FINANCE
264	BARABANKI	346	SAI DEGREE COLLEGE BELHRA ROAD FATEHPUR BARABANKI	SELF FINANCE
265	BARABANKI	636	SAI LAW COLLEGE, BELHARA ROAD, FATEHPUR, BARABANKI	SELF FINANCE
266	BARABANKI	67	SANT KAVI BABA BAIJNATH RAJKIYA MAHAVIDHYALAYA HARAKH BARABANKI	GOVERNMENT
267	BARABANKI	293	SANT PATHIK MAHAVIDHYALAYA SHASTRI ANANDPUR SUBEHA BARABANKI	SELF FINANCE
268	BARABANKI	508	SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF HIGHER STUDIES BARABANKI	SELF FINANCE
269	BARABANKI	131	SHRI BAIJNATH SHIV KALA MAHAVIDHYALAYA MANGALPUR BARABANKI	SELF FINANCE
270	BARABANKI	327	SHRI GANGA MEMORIAL GIRL'S DEGREE COLLEGE, PAISAR, BARABANKI	SELF FINANCE
271	BARABANKI	135	SHRI P.L.MEMORAIL DEGREE COLLEGE BARABANKI	SELF FINANCE
272	BARABANKI	391	SHRI SANTKABEER SANT BHAGWAN RAM SARAN MAHAVIDHYALAYA BABAPURWA DUDI SIROULI GOUSPUR BARABANKI	SELF FINANCE
273	BARABANKI	379	SHYAM MANOHAR DEGREE COLLEGE FIROZPUR BARABANKI	SELF FINANCE
274	BARABANKI	302	SITA DEVI MAHAVIDHYALAYA PARIJATDHAM BAROLIYA BARABANKI	SELF FINANCE

275	BARABANKI	644	SRI BAIJNATH GIRLS INSTITUTE OF EDUCATION AND MANAGEMENT, ALADADPUR, TRIVEDIGANJ, BARABANKI	SELF FINANCE
276	BARABANKI	194	T.R.C. LAW COLLEGE, BARABANKI	SELF FINANCE
277	BARABANKI	513	T.R.C. MAHAVIDYALAYA, VASUDEV NAGAR, SATRIKH, BARABANKI	SELF FINANCE
278	BARABANKI	702	VIMLA DEVI HARIHAR SINGH SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, JAGDISHPUR, KHAJURI, BARABANKI	SELF FINANCE
279	BARABANKI	856	VINA SHUDHAKAR OJHA MAHAVIDYALAYA, JYORI, BARABANKI	SELF FINANCE
280	BARABANKI	774	RANI SHANTI DEVI SOCIAL WELFARE AND EDUCATIONAL COLLEGE SOHILPUR, HATHAUNDHA, BARABANKI	SELF FINANCE
281	FAIZABAD	620	ADARSH MAHILA MAHAVIDYALAYA, JAHANPUR, RUDAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
282	FAIZABAD	704	ASHA BHAGWAN BUKSH SINGH MAHAVIDYALAYA, PURABAZAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
283	FAIZABAD	708	ASHA DEVI MAHAVIDYALAYA, PITHLA, FAIZABAD	SELF FINANCE
284	FAIZABAD	190	AWADH KISHAN MAHAVIDHYALAYA NASRATPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
285	FAIZABAD	872	AYODHYA VIDYAPEETH KARAMDADA, MILKIPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
286	FAIZABAD	344	B.N.S. GIRLS DEGREE COLLEGE OF EDUCATION BY PASS PARIKRAMA JANOURA FAIZABAD	SELF FINANCE
287	FAIZABAD	588	BABA BAIJNATH DR. RAMDEV BHAGAUTI SINGH SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, SARAI DHANETHI, FAIZABAD	SELF FINANCE
288	FAIZABAD	671	BABA HARDEV MAHADEV SMARAK MAHAVIDYALAYA, LODHAURA, RUDAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
289	FAIZABAD	372	BABA VISHWANATH SIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA LUTFABAD BACHHOULI FAIZABAD	SELF FINANCE
290	FAIZABAD	466	BHABHUTI PRASAD SMARAK MAHAVIDYALAYA, DHARA ROAD, FAIZABAD	SELF FINANCE
291	FAIZABAD	447	BHAGYAWANTI DEVI DEVTA SINGH MAHILA MAHAVIDHYALAYA, KARMA, KODARI, FAIZABAD	SELF FINANCE
292	FAIZABAD	837	BHAVDIYA COLLEGE OF LAW, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
293	FAIZABAD	469	BHAVDIYA EDUCATIONAL INSTITUTE, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
294	FAIZABAD	308	CHANDRA SHEKHAR AZAD MAHAVIDHYALAYA NANSA FAIZABAD	SELF FINANCE
295	FAIZABAD	318	CHANDRABHAN SINGH MAHAVIDHYALAYA KUMHIYA FAIZABAD	SELF FINANCE

296	FAIZABAD	444	CHANDRASHEKHAR PANDEY MAHAVIDHYALAYA, BABURIHA, KAUNDHA, FAIZABAD	SELF FINANCE
297	FAIZABAD	801	CHANDRASHEKHAR PANDEY MAHAVIDYALAYA, BIKAPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
298	FAIZABAD	178	CHANDRAVALI SINGH URMILA MAHAVIDHYALAYA SHIVNAGAR KUMAR GANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
299	FAIZABAD	846	CHAUDHARI BADRI PRASAD SITARAM MAHAVIDYALAYA RASDAA BILLAHARGHAT FAIZABAD	SELF FINANCE
300	FAIZABAD	355	CHAUDHARY CHARAN SINGH MAHAVIDHYALAYA BARSENDI SOHAWAL FAIZABAD	SELF FINANCE
301	FAIZABAD	793	DAYA AVADH GIRLS COLLEGE OF EDUCATION, MOHAMMADPUR, AMANIGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
302	FAIZABAD	575	DAYA AVADH MAHAVIDYALAYA, MOHAMMADPUR, AMANIGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
303	FAIZABAD	865	DAYAWATI MAHAVIDYALAYA MAHAVA FAIZABAD	SELF FINANCE
304	FAIZABAD	473	DESH DEEPAK ADARSH MAHILA MAHAVIDHYALAYA TENDUA MAFI BIKAPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
305	FAIZABAD	124	DESH DEEPAK ADARSH SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA TENDUA MAFI BIKAPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
306	FAIZABAD	598	DEV SHIKSHAN PRAKSISHAN SANSTHAN, KHAJURI HARINGTAN FAIZABAD	SELF FINANCE
307	FAIZABAD	451	DEVANSHI GIRLS COLLEGE OF EDUCATION JAISINGHPUR AYODHYA, FAIZABAD	SELF FINANCE
308	FAIZABAD	441	DEVBUX BALDEV SMARAK MAHAVIDYALAYA, HANUMANGANJ, SARURPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
309	FAIZABAD	17	DHONDHERAM SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA SEVRA FAIZABAD	AIDED
310	FAIZABAD	706	DIPIKA MAHILA MAHAVIDYALAYA, PHAKHARPUR, TARUN, FAIZABAD	SELF FINANCE
311	FAIZABAD	342	DR. LOHIA MAHILA MAHAVIDHYALAYA KUCHAIRA FAIZABAD	SELF FINANCE
312	FAIZABAD	94	DR. RAM PRASANN MANIRAM SINGH SNAKOTTAR MAHAVIDHYALAYA SARAI RASHI FAIZABAD	SELF FINANCE
313	FAIZABAD	866	DR. UDAY JASRAJ RATNA MAHILA MAHAVIDYALAYA, BHARATKUND, FAIZABAD	SELF FINANCE
314	FAIZABAD	720	DURGESH NANDINI MAHAVIDYALAYA, CHARERA, PURA BAZAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
315	FAIZABAD	832	G.S. COLLEGE OF LAW, KHAJURAHAT, BIKAPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
316	FAIZABAD	625	GANGARTHI TEACHING & TRAINING INSTITUTE, RAJEPUR, PURA BAZAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
317	FAIZABAD	22	GAUTAM BUDDH RAJKIYA MAHAVIDHYALAYA FAIZABAD	GOVERNMENT
318	FAIZABAD	807	GEETA SINGH MAHILA MAHAVIDYALAYA, TARUN, BIKAPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE

319	FAIZABAD	535	GLOBAL GIRLS COLLEGE, SHAHBAZPUR, RUDAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
320	FAIZABAD	867	GRAMBANDHU MAHAVIDYALAYA, SHAHBABAD GRANT, HAINRIGTANGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
321	FAIZABAD	192	GRAMODAY MAHAVIDHYALAY RAMPUR SARDHA FAIZABAD	SELF FINANCE
322	FAIZABAD	687	GRAMODAYA MAHILA MAHAVIDYALAYA, RAMPUR, SARDHA, FAIZABAD	SELF FINANCE
323	FAIZABAD	19	GURUNANAK GIRLS, MAHAVIDHYALAYA USROO FAIZABAD	SELF FINANCE
324	FAIZABAD	868	GURUSAHAYE MAHAVIDYALAYA BHAIPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
325	FAIZABAD	676	H L TEACHER TRAINING COLLEGE, RAMPUR, AHIRAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
326	FAIZABAD	576	HARI PRASAD NIRMALA WITS MAHAVIDYALAYA, GOKULPUR, DASAIJOT, FAIZABAD	SELF FINANCE
327	FAIZABAD	608	HARIOM PRAKASH TIWARI BALIKA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN ,SANTNAGAR, MOHALI, FAIZABAD	SELF FINANCE
328	FAIZABAD	142	HARISH CHANDRA MAHAVIDHYALAYA SAROLI FAIZABAD	SELF FINANCE
329	FAIZABAD	546	HIMANSHU VIKRAM SINGH INSTITUTE OF TEACHING AND TRAINING, PURA BAZAR, JALALDIN NAGAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
330	FAIZABAD	731	ICHCHHA RAM SINGH MAHAVIDHYALAYA, DOBHIYARA, MILKIPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
331	FAIZABAD	420	INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, FAIZABAD	SELF FINANCE
332	FAIZABAD	659	JAI ABLA JAGJIVAN MAHAVIDYALAYA EVAM SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN, BIHARA, FAIZABAD	SELF FINANCE
333	FAIZABAD	71	JAI GANESH SHIVSAGAR MAHILA MAHAVIAHYALAYA DEVKALI FAIZABAD	SELF FINANCE
334	FAIZABAD	574	JAI KAMAKHYA JAGJEEVAN DHARMCHANDRA SHUKL MAHAVIDYALAYA, RAUTAWA, FAIZABAD	SELF FINANCE
335	FAIZABAD	283	JAI MAA DURGE DHARMAVATI MAHAVIDHYALAYA KALYAN BHADARSA FAIZABAD	SELF FINANCE
336	FAIZABAD	869	JANAKLALI MAHAVIDYALAYA TAHSINPUR (PURE JIGNA MISHRA) FAIZABAD	SELF FINANCE
337	FAIZABAD	18	JHUNJHUNWALA MAHAVIDHYALAYA DWARIKAPURI, FAIZABAD	SELF FINANCE
338	FAIZABAD	15	K.S.SAKET P.G. COLLEGE AYODHYA FAIZABAD	AIDED
339	FAIZABAD	544	KAILASHPATI SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN MAHILA MAHAVIDYALAYA, YASHWANT NAGAR, KURAWAN, FAIZABAD	SELF FINANCE

340	FAIZABAD	413	KALKA PRASAD NARAYAN DAS MAHAVIDHYALAYA KITHAWA FAIZABAD	SELF FINANCE
341	FAIZABAD	233	KALPNA SIKSHAN PRISHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA SARAI MANODHAR HAIDERGANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
342	FAIZABAD	870	KAMAL KAILASH TEACHER TRAINING INSTITUTE AKMA, KUMARGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
343	FAIZABAD	871	KANHAIYALAL MAHILA MAHAVIDHAYALAYA, SUCHITTAGUNJ, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
344	FAIZABAD	24	KAUSHAL MAHAVIDHAYALAYA BARAIPARA, MAYA, FAIZABAD	SELF FINANCE
345	FAIZABAD	677	KRISHNA P R COLLEGE OF EDUCATION, PAUSAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
346	FAIZABAD	339	KRISHNAWATI RAM NARESH DEGREE COLLEGE, TIWARINAGAR PURE MURLI MAKHDOOMPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
347	FAIZABAD	145	KUNWARI CHANDRAWATI MAHAVIDHAYALAYA MUMTAZ NAGAR FAIZABAD	SELF FINANCE
348	FAIZABAD	419	LATE BABU INDRA BAHADUR SINGH SMARAK MAHAVIDHLAY AMANIGANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
349	FAIZABAD	762	M.J.S. SMARAK PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, NANDIGRAM, BHARATKUND, FAIZABAD	SELF FINANCE
350	FAIZABAD	734	MAA KRIPALA DEVI SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, SURWARA, CHAMANGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
351	FAIZABAD	213	MAA VAISHNO DEVI MAHILA MAHAVIDHYALAY SIYARAM NAGAR DEVRAKOT FAIZABAD	SELF FINANCE
352	FAIZABAD	440	MAA VAISHNO DEVI NAKCHED TIWARI GIRLS INSTITUTE OF EDUCATION AND MANAGEMENT, KOTIA, FAIZABAD	SELF FINANCE
353	FAIZABAD	542	MAA VAISHNO DEVI SHIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, SIYARAM NAGAR, PUREKIRAT, GODWA, FAIZABAD	SELF FINANCE
354	FAIZABAD	373	MADHAV SARVODAY DEGREE COLLEGE MOKALPUR RANI BAZAR FAIZABAD	SELF FINANCE
355	FAIZABAD	109	MAHARANA PRATAP MAHAVIDHYALAYA FAIZABAD	SELF FINANCE
356	FAIZABAD	392	MAHARANA PRATAP MAHAVIDHYALAYA RAMDASPUR MAJHAULI BIKAPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
357	FAIZABAD	247	MAHATAMA JAGJIVAN SAHAB MAHAVIDHYALYA RAMNAGAR AMANI GANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
358	FAIZABAD	86	MAHILA MAHAVIDHYALAYA GADDOPUR GOSAINGANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
359	FAIZABAD	385	MALTI SINGH MAHILA MAHAVIDHYALAYA DEORHI FAIZABAD	SELF FINANCE
360	FAIZABAD	679	MANIRAM VERMA EDUCATIONAL INSTITUTE, MADNA, UPARHAR, FAIZABAD	SELF FINANCE

361	FAIZABAD	862	MATA KAMAKHAYA BHAVANI DEVPATI KRIPASANKAR SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN HARSHVARDHAN NAGAR, GANESHPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
362	FAIZABAD	667	NARSINGH NARAYAN HARIPRASAD MAHAVIDYALAYA, MEENAPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
363	FAIZABAD	834	OM SATYANAM KOTWADHAM RAMNARESH RAMRATI SHIKSHAN SANSTHAN, INAYATNAGAR, MILKIPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
364	FAIZABAD	405	P.D. PANDEY RAJPATIDEGREE COLLEGE ANJANA FAIZABAD	SELF FINANCE
365	FAIZABAD	280	PARASHURAM VERMA SMARAK MAHILA MAHAVIDHYALAYA TARUN FAIZABAD	SELF FINANCE
366	FAIZABAD	701	PARASNATH MAHILA MAHAVIDYALAYA, KANAWA, BIKAPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
367	FAIZABAD	550	PARWATI GIRLS EDUCATIONAL INSTITUTE, SARAIYA, GOSAIGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
368	FAIZABAD	680	PHOOLPATTI COLLEGE OF WOMEN EDUCATION, HAJIPUR , SINGHUR,DARABGANJ, MUMTAZNAGAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
369	FAIZABAD	382	RAJ KARAN SINGH MAHILA MAHAVIDHYALAYA KUMHIYA FAIZABAD	SELF FINANCE
370	FAIZABAD	320	RAJ KISHOR VERMA MAHILA MAHAVIDHYALAYA SHIKSHAN SANSTHAN ANKARIPUR GOSAI GANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
371	FAIZABAD	306	RAJA AKHAND PRATAP MAHAVIDHYALAYA KHAPARADEEH FAIZABAD	SELF FINANCE
372	FAIZABAD	16	RAJA MOHAN GIRLS P.G. COLLEGE FIAZABAD	AIDED
373	FAIZABAD	682	RAJDUTT SHUKLA BABURAM HAUSHILA PRASAD MAHILA SHIKSHAN SANSTHAN, SHIVNAGAR, SARULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
374	FAIZABAD	630	RAJKUMARI MAHAVIDYALAYA, SARAI DHANETHI, PURE SHIV BUKSH PANDEY, ANJRAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
375	FAIZABAD	324	RAM KHELAWAN JAGANNATH MAHAVIDYALAYA, SARAIYA,CHHATIRWA,FAIZABAD	SELF FINANCE
376	FAIZABAD	818	RAM LAKHAN PATEL MAHAVIDYALAYA, BANDHUWAPUR, PILKHAWAN, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
377	FAIZABAD	144	RAM NEVAJ SINGH MAHAVIDHYALAYA BAWA KUMAR GANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
378	FAIZABAD	536	RAM NEVAJ SINGH SHIKSHAN PRAHIKSHAN MAHILA MAHAVIDYALAYA, BAVA, KUMARGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
379	FAIZABAD	191	RAM ROOP SMARAK MAHAVIDHYALAYA BHAGIPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
380	FAIZABAD	166	RAM SARDAR PANDEY SMARAK SHIVPURI MAHAVIDYALAYA, KHANDASA, FAIZABAD	SELF FINANCE

381	FAIZABAD	279	RAM SUCHIT SINGH SARASWATI MAHAVIDHYALAYA TARUN FAIZABAD	SELF FINANCE
382	FAIZABAD	23	RAMBALI NATIONAL, MAHAVIDHYALAYA GOSAINGANJ,FAIZABAD	SELF FINANCE
383	FAIZABAD	750	RAMDEV MAHAVIDYALAYA, HARRINGTONGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
384	FAIZABAD	396	RAMESHWAR PRASAD SATYA NARAYAN MAHAVIDHYALAYA SHAHGANJ FAIZABAD	SELF FINANCE
385	FAIZABAD	863	RAMPATI BALBHADRA PRASAD SHUKLA VIDYALAYA, MILKIPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
386	FAIZABAD	794	RAMRAJ SINGH JAISRAJ SINGH MAHAVIDYALAYA, PARAGARIBSHAH, TARUN, FAIZABAD	SELF FINANCE
387	FAIZABAD	538	RUDAULI EDUCATIONAL INSTITUTE, SARAIPEER, BHELSAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
388	FAIZABAD	21	RUDAULI MAHAVIDHYALAYA,RUDAULI FAIZABAD	SELF FINANCE
389	FAIZABAD	152	S.D.M.S. MAHAVIDHYALAYA RASULPUR LILHA FAIZABAD	SELF FINANCE
390	FAIZABAD	684	SAI KRIPA SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN, DUNDI, AMANIGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
391	FAIZABAD	802	SAIYADAAH SIDDIQUI GIRLS DEGREE COLLEGE, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
392	FAIZABAD	25	SANT BHEEKHADAS RAMJASH MAHAVIDHYALAYA MOHALI,FAIZABAD	SELF FINANCE
393	FAIZABAD	141	SANT PARAM HANS GURU PRASAD BALIKA MAHAVIDHYALAY MOHALI FAIZABAD	SELF FINANCE
394	FAIZABAD	179	SANT RAM PRASAD CHAUDHARY GRAM MAHAVIDHYALAYA KODAILA VARAO FAIZABAD	SELF FINANCE
395	FAIZABAD	299	SAVITRI MAHILA DIGREE COLLEGE TAKPURA DARSHAN NAGAR FAIZABAD	SELF FINANCE
396	FAIZABAD	707	SAVITRI SINGH ADYA PRASAD MAHAVIDYALAYA, SARAIYA, FAIZABAD	SELF FINANCE
397	FAIZABAD	354	SHANTI SMARAK SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA SHIKSHAN EVAM PRASIKSHAN SANSTHAN SAIMASI FAIZABAD\	SELF FINANCE
398	FAIZABAD	819	SHIV KUMARI MAHILA MAHAVIDYALAYA, LOHATI, SARAIYA, FAIZABAD	SELF FINANCE
399	FAIZABAD	537	SHIV OM NAKCHED TIWARI SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN, SANT NAGAR, MOHLI, FAIZABAD	SELF FINANCE
400	FAIZABAD	539	SHIV SAVITRI EDUCATIONAL INSTITUTE, HAZIPUR, BARSENDI, BARAGAON, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
401	FAIZABAD	633	SHIV SHANKAR SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, KARIMPUR, RUDAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
402	FAIZABAD	229	SHIV SHAVITRI MAHAVIDHYALAYA SARAI MUGHAL RUDHAULI FAIZABAD	SELF FINANCE

403	FAIZABAD	547	SHIVKALA BUDH SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN, KADIPUR, KAKOLI, RAMPUR BHAGAN, FAIZABAD	SELF FINANCE
404	FAIZABAD	408	SHRI DARBARI LAL VIMALA DEVI KRISHNA KUMAR MAHAVIDHYALAYA AJROULI KALUAMAU FAIZABAD	SELF FINANCE
405	FAIZABAD	613	SHRI HARINARAYAN SHIKSHAN SANSTHAN, DERAMUSI, FAIZABAD	SELF FINANCE
406	FAIZABAD	125	SHRI KRISHNA MAHAVIDHYALAYA MANGARI FAIZABAD	SELF FINANCE
407	FAIZABAD	197	SHRI PARAM HANS SIKSHAN PRASIKSHAN MAHA-VIDHYALAYA VIDHYAKUND AYODHYA FAIZABAD	SELF FINANCE
408	FAIZABAD	315	SHRI RAM CHANDRA SINGH MAHAVIDHYALAYA LOHATI SARAIYA RUDAULI FAIZABAD	SELF FINANCE
409	FAIZABAD	96	SHRI RAM SINGH GULERIA MAHAVIDHYALAYA YASHWANT NAGAR KURAWAN FAIZABAD	SELF FINANCE
410	FAIZABAD	307	SHRI RAMPHER SHIVPHER MAHAVIDHYALAYA NIMADI FAIZABAD	SELF FINANCE
411	FAIZABAD	127	SHRI VINAYAK MAHAVIDHYALAYA KHAJURHAT FAIZABAD	SELF FINANCE
412	FAIZABAD	353	SHYAM NARAIN URMILA GIRLS TRAINING COLLEGE SARAIMUGUL EHAR RUDAULI FAIZABAD	SELF FINANCE
413	FAIZABAD	835	SIRATUL MUSTAKIM DEGREE COLLEGE, HANEEF NAGAR, LOLEPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
414	FAIZABAD	864	SMT SIYARAJI NAKCHED TIWARI OMPRAKASH TIWARI VIDHI MAHAVIDYALAYA, SANTNAGAR MAHOLI, FAIZABAD	SELF FINANCE
415	FAIZABAD	757	SMT. DHANPATA MAURYA VIDHI MAHAVIDYALAY RASOOLPUR LILHA, FAIZABAD	SELF FINANCE
416	FAIZABAD	410	SMT. SUBHADRA TIWARI KIRTPUR PARA HATHIGO ARSATH FAIZABAD	SELF FINANCE
417	FAIZABAD	692	SMT. VIMLA SINGH MEMORIAL WOMEN COLLEGE OF EDUCATION & MANAGEMENT, RAMPUR SARDHA, FAIZABAD	SELF FINANCE
418	FAIZABAD	265	SMT.DHANPATA MAURYA MAHILA MADHAVIDHYALAY RASOOLPUR LILHA FAIZABAD	SELF FINANCE
419	FAIZABAD	123	SRHI RAM JANKI MAHAVIDHYALAYA RAM NAGAR AMAWA SUFI FAIZABAD	SELF FINANCE
420	FAIZABAD	650	SRI HARI NARAYAN SINGH SHIKSHAN SANSTHAN, DERAMOOSI, BARAGAON, FAIZABAD	SELF FINANCE
421	FAIZABAD	836	SRI KRISHNA RAM BAHADUR SHANTI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, LAXMANPUR GRANT, BIKAPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
422	FAIZABAD	712	SRI LALTA PRASAD TIWARI SMARAK MAHAVIDYALAYA, DILI, SARAIYA, FAIZABAD	SELF FINANCE
423	FAIZABAD	545	SRI PARAMHANS GIRLS DEGREE COLLEGE, VIDYAKUND, FAIZABAD	SELF FINANCE

424	FAIZABAD	458	SRI RAM JANKI SIKSHAN PARIKSHAN MAHILA MAHAVIDHYALAYA RAM NAGAR, AMAWASUFI, FAIZABAD	SELF FINANCE
425	FAIZABAD	796	SRI SHIVRAM RAMTIRTH SMARAK MAHAVIDYALAYA, INAYATNAGAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
426	FAIZABAD	573	SRIPATI SINGH MAHAVIDYALAYA, BHARATH NAGAR, PURA BAZAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
427	FAIZABAD	581	SURENDRA SINGH GHANSHYAM SINGH BALIKA MAHAVIDYALAYA, SANT NAGAR, NAUGAON, FAIZABAD	SELF FINANCE
428	FAIZABAD	820	SURYA BUKSH SINGH MAHAVIDYALAYA, REH, RUDAULI, FAIZABAD	SELF FINANCE
429	FAIZABAD	309	UDAY MAHAVIDHYALAYA RUSIYA MAPHI BEEKAPUR FAIZABAD	SELF FINANCE
430	FAIZABAD	730	URMILA GRAMIN SHIKSHAN SANSTHAN, KOTSARAI, SOHAWAL, FAIZABAD	SELF FINANCE
431	FAIZABAD	196	URMILA MAHAVIDHYALAYA OONCHGAON RAMPUR BHAGAN, FAIZABAD	SELF FINANCE
432	FAIZABAD	20	VIDYAMANDIR MAHAVIDHYALAYA,MILKIPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
433	FAIZABAD	300	VINAYAK GIRLS COLLEGE OF EDUCATIONAL & MANAGEMENT KHAJURHAT FAIZABAD	SELF FINANCE
434	FAIZABAD	783	AAKLA HASAN COLLEGE OF TEACHER TRAINING EDUCATION SARAIPEER, BHELSAR, FAIZABAD	SELF FINANCE
435	FAIZABAD	771	OM SATYANAM KOTWADHAM RAM NARESH RAM RATI SICHHAN SANSTHAN INAYATNAGAR, MILKIPUR, FAIZABAD	SELF FINANCE
436	FAIZABAD	770	SHRI RAM JANKI EDUCATION COLLEGE RAMNAGAR, AMAVASUFI, FAIZABAD	SELF FINANCE
437	FAIZABAD	787	SHRI RAMCHARAN SMARAK SHIKSHAN SANSTHAN, SHIVNAGAR, KUMARGANJ, FAIZABAD	SELF FINANCE
438	GONDA	781	ABHINAV COLLEGE OF TEACHING & TRAINING KOLHAMPUR, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
439	GONDA	134	ABUL KALAM AZAD DEGREE COLLEGE JAMUNIYABAGH VISHUNAGA GONDA	SELF FINANCE
440	GONDA	14	ACHARYA NARENDRA DEV KISAN P.G. COLLOGE BHABHNAN,GONDA	AIDED
441	GONDA	356	AL- HAI MAHAVIDHYALAYA UMMEDJOT KHORHANSA GONDA	SELF FINANCE
442	GONDA	637	B.P. MAHAVIDYALAYA, NARAYANPUR, MASKANWA, GONDA	SELF FINANCE
443	GONDA	198	BABA GAYADIN VAIDYA BABURAM MAHAVIDHYALAYA MAINPUR NAWABGANJ GONDA	SELF FINANCE
444	GONDA	873	BABA SHIV SARAN SINGH BAKE SINGH EDUCATIONAL INSTITUTE, PERI POKHAR, MANKAPUR, GONDA	SELF FINANCE

445	GONDA	795	BABU DURGA PRASAD MISHRA MAHAVIDYALAYA, BAHIRADIHA, CHHAPIA, GONDA	SELF FINANCE
446	GONDA	97	BAIKUNTH NATH MAHAVIDHYALAYA KARNAILGANJ GONDA	SELF FINANCE
447	GONDA	200	BHAGIRATHI SINGH SMARAK MAHAVIDHYALAYA WAZIRGANJ,GONDA	SELF FINANCE
448	GONDA	746	BHAGWAN BUKSH SINGH SHANTI SINGH MAHAVIDYALAYA, MADHVAPUR, TIKRI, RAGHURAJ NAGAR, GONDA	SELF FINANCE
449	GONDA	874	BRAJLAL PANDEY MAHAVIDYALAYA, BAIRIPUR, RAMNATH, MANKAPUR, GONDA	SELF FINANCE
450	GONDA	164	CHANDRA SHEKHAR SHYAM RAJI MAHAVIDHYALAYA DHANE PUR GONDA	SELF FINANCE
451	GONDA	601	CHHANGUR SINGH MAHAVIDYALAYA, UMRI BEGAMGANJ, PURE SURYAVANSH, GONDA	SELF FINANCE
452	GONDA	260	DASHRATH SINGH SMARAK MAHAVIDHYALAYA NIPANIA GAURA CHAUKI GONDA	SELF FINANCE
453	GONDA	626	DEVIDEEN SINGH MAHAVIDYALAYA, LOLPUR, SHIVDAYALGANJ, GONDA	SELF FINANCE
454	GONDA	288	DR. BHEEMRAO AMBEDKAR MAHAVIDHYALAY KAITHOLA GONDA	SELF FINANCE
455	GONDA	745	DR. GAURAV SINGH MEMORIAL GIRLS DEGREE COLLEGE, CHAURI, GONDA	SELF FINANCE
456	GONDA	670	DR. MAMTA COLLEGE OF LAW, KOLHAMPUR, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
457	GONDA	799	GONARD EDUCATIONAL INSTITUTE, BEERPUR, KATRA, GONDA	SELF FINANCE
458	GONDA	76	GURU VASISTHA MAHAVIDHYALAY MANKAPUR GONDA	SELF FINANCE
459	GONDA	259	HAKIKULLAH CHAUDHARI MAHAVIDHYALAYA GHARIGHAT GONDA	SELF FINANCE
460	GONDA	737	HAZI NEVAJ ALI MAHAVIDYALAYA, DAULATPUR GRANT, GONDA	SELF FINANCE
461	GONDA	199	JAI MAA BARAHI MAHAVIDHYALAYA UMARI BEGUMGANJ,GONDA	SELF FINANCE
462	GONDA	460	K R S COLLEGE OF HIGHER EDUCATION BALLIPUR, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
463	GONDA	511	K.R.S. INSTITUTE OF LAW INDRA NAGAR GONDA	SELF FINANCE
464	GONDA	201	KAMTA PRASAD MATHURA PRASAD JANTA MAHAVIDHYALAYA BHABHNAN GONDA	SELF FINANCE
465	GONDA	808	KEDARNATH CHAUDHARY SMARAK MAHA-VIDYALAYA, SONBARSA, GONDA	SELF FINANCE
466	GONDA	461	KISAN DEGREE COLLEGE, BANGAWAN, KATRA BAZAR, GONDA	SELF FINANCE

467	GONDA	112	KISAN MAHAVIDHYAY MAHUAPAKAR GAURA CHAUKI GONDA	SELF FINANCE
468	GONDA	11	L.B.S.P.G.COLLEGE GONDA	AIDED
469	GONDA	313	LAKHAN LAL SHARAN SINGH MAHAVIDHYALAYA RAGHUNATHPUR VISHNOHARPUR GONDA	SELF FINANCE
470	GONDA	744	LATE MUNEER AHMAD BALIKA MAHAVIDYALAYA, KHARGUPUR, GONDA	SELF FINANCE
471	GONDA	380	LORD GAUTAM BUDHA INSTITUTE KARANPUR GONDA	SELF FINANCE
472	GONDA	875	M.P. SINGH SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, PACPUTI, JAGTAPUR, MANKAPUR, GONDA	SELF FINANCE
473	GONDA	876	M.P. SINGH SMARAK VIDHI MAHAVIDYALAYA, PACPUTI, JAGTAPUR, MANKAPUR, GONDA	SELF FINANCE
474	GONDA	709	MAA GAYATRI RAMPRASAD PANDEY SMARAK MAHAVIDYALAYA, MUGRAUL BANKATI, SURYABALI SINGH, GONDA	SELF FINANCE
475	GONDA	113	MAA GYATRI RAMSUKH PANDEY POST GRADUATE COLLGE MASKNAWA GONDA	SELF FINANCE
476	GONDA	77	MAHAKAVI TULSIDAS MAHAVIDHYALAYA PARASPUR GONDA	SELF FINANCE
477	GONDA	816	MAHARAJA DEVI BUKSH SINGH SMARAK SANSTHAN, BANGHUSRA, DUMARIADEEH, GONDA	SELF FINANCE
478	GONDA	352	MAHILA SIKSHAN PRASHIKSHAN MAHAVIDHYALAYA TURKAULI NAWABGANJ,GONDA	SELF FINANCE
479	GONDA	395	MANYAWAR KANSHIRAM SNATKOTTAR MAHIV ASIDHA KHARGUPUR GONDA	SELF FINANCE
480	GONDA	454	MATA RAMDASI MAHILA MAHAVIDHYALAYA BAHADURA, TIKRI, GONDA	SELF FINANCE
481	GONDA	604	MEENA SHAH INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT,MEENA NAGAR KARBALA ROAD GONDA	SELF FINANCE
482	GONDA	760	NANDINI COLLEGE, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
483	GONDA	442	NANDINI EDUCATIONAL INSTITUTE, BALAPUR, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
484	GONDA	13	NANDINI NAGAR P.G. COLLEGE NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
485	GONDA	168	NANDINI NAGAR VIDHI MAHAVIDHYALAY NAWABGANJ GONDA	SELF FINANCE
486	GONDA	817	NAVEEN CHANDRA TIWARI SMARAK MAHAVIDYALAYA, PARASARAI, ITIATHOK, GONDA	SELF FINANCE
487	GONDA	788	P. P. SINGH SMARAK EDUCATION COLLEGE, CHAUKHAT BHITIYA, TURKADHEEH, TRABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
488	GONDA	389	PRANDEVI MAHADEV MAHAVIDHYALAYA PAYARKHAS GONDA	SELF FINANCE

489	GONDA	101	PT.DEENDAYAL UPADHYAYA GRAMODAY MAHAVIDHYALAYA BADALPUR D. KALA BELSAR GONDA	SELF FINANCE
490	GONDA	111	PT.JAGNARAIN SHUKL GRAMODAY MAHAVIDHYALAYA RANIPUR PAHADI TARABGANJ GONDA	SELF FINANCE
491	GONDA	204	RAGHO RAM DIWAKAR DUTT GYANODAY MAHAVIDHYALAY DIVKARNGAR GONDA	SELF FINANCE
492	GONDA	594	RAGHURAJ SHARAN SINGH MAHAVIDYALAYA, NAKHA BASANT, BALPUR, GONDA	SELF FINANCE
493	GONDA	619	RAJA DEVI BUKSH SINGH AVADH RAJ SINGH MAHAVIDYALAYA EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN, DUMARIADEEH, GONDA	SELF FINANCE
494	GONDA	99	RAJA RAGHURAJ SINGH MAHAVIDHYALAYA MANKAPUR GONDA	SELF FINANCE
495	GONDA	448	RAJESHWARI SINGH MAHAVIDHYALAYA BAHARIYA PURE MITAI, GONDA	SELF FINANCE
496	GONDA	133	RAVINDRA SINGH SMARAK MAHAVIDHYALAYA SAHIBAPUR WAJIR GANJ GONDA	SELF FINANCE
497	GONDA	433	S.C.P.M. COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW ROAD,HARIPUR, GONDA	SELF FINANCE
498	GONDA	12	SARASWATI DEVI NARI,GYANSTHALI MAHILA MAHAVIDHYALAYA GONDA	SELF FINANCE
499	GONDA	100	SARDAR MOHAR SINGH MEMORIAL MAHILA MAHAVIDHYALAYA MANKAPUR GONDA	SELF FINANCE
500	GONDA	211	SARYU DEGREE COLLEGE CARNAILGANJ, GONDA	SELF FINANCE
501	GONDA	844	SCPM AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL LUCKNOW ROAD HARIPUR GONDA	SELF FINANCE
502	GONDA	655	SHAMLA DEVI SMARAK MAHAVIDYALAY, PARAS PATTI, MANJHWAR, TARABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
503	GONDA	463	SHASHI BHUSAHAN SHARAN SINGH MAHAVIDHYALAYA, UJJAINIKALA GONDA	SELF FINANCE
504	GONDA	723	SHEELA DEVI SMARAK MAHAVIDYALAYA, JANKI NAGAR, JAIPRABHA GRAM, GONDA	SELF FINANCE
505	GONDA	462	SHEETAL GANJ PRATAP MAHA VIDHYALAYA, SHEETAL GANJ, GRANT, MASKANAWA, GONDA	SELF FINANCE
506	GONDA	330	SHRI CHHATRAPATI SAHU JEE MAHARAJ MAHAVIDYALAYA JHILAHI (MANKAPUR),GONDA	SELF FINANCE
507	GONDA	254	SHRI JAGDAMBA SHARAN SINGH EDUCATIONAL INSTITUTE GONDA	SELF FINANCE
508	GONDA	314	SHRI MAHADEV SHIKSHA SANSTHAN MAHAVIDHYALAYA RAM NAGAR TARHAR GONDA	SELF FINANCE
509	GONDA	180	SHRI RAGHUKUL MAHILA VIDHYAPHEET CIVIL LINES GONDA	SELF FINANCE
510	GONDA	114	SHRI RAM TIRTH MISRA SMARAK MAHAVIDHYALAYA ETIYA THOK GONDA	SELF FINANCE

511	GONDA	877	SIDHI VINAYAK MAHAVIDYALAYA, PIPRA BAZAR, GONDA	SELF FINANCE
512	GONDA	95	SMT. J.DEVI MAHILA MAHAVIDH. BHABHNAN GONDA	SELF FINANCE
513	GONDA	696	SRI AVADHRAJ SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, BISHUNPUR, BAIRIA, GONDA	SELF FINANCE
514	GONDA	263	SUBHASH CHANDRA SNATAK MAHAVIDHYALAYA VANKATWA BAZAR SABARPUR GONDA	SELF FINANCE
515	GONDA	756	SYED MOHAMMAD ISHTIYAK LAW DEGREE COLLEGE, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
516	GONDA	752	SYED MOHAMMAD ISTIYAK MAHAVIDYALAYA, NAWABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
517	GONDA	653	SYED MOHAMMAD ISTIYAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, GONDA	SELF FINANCE
518	GONDA	457	TUNGNATH MAURYA SMARAK MAHAVIDYALAYA, SARAY HARRA, TARABGANJ, GONDA	SELF FINANCE
519	GONDA	464	VIPIN BIHARI SHARAN SINGH MAHAVIDHYALAYA, TARBARGANJ, GONDA	SELF FINANCE
520	GONDA	600	VISHWAMBHAR MEMORIAL EDUCATION INSTITUTE, RAJPUR, B.B. SINGH, GONDA	SELF FINANCE
521	LUCKNOW	755	A.K.G. INSTITUTE OF NURSING, BHAWANIPUR, CHANDRIKA DEVI ROAD, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW	SELF FINANCE
522	LUCKNOW	432	BABA EDUCATIONAL SOCIETY INSTITUTE OF PARAMEDICAL COLLEGE OF NURSING, 56, MATIYARI, CHINHAT, DEVA ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
523	LUCKNOW	431	BORA INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES COLLEGE OF NURSING, SEVA NAGAR, SITAPUR ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
524	LUCKNOW	435	CAREER COLLEGE OF NURSING, SITAPUR-HARDOI BYPASS ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
525	LUCKNOW	421	CAREER INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES AND HOSPITAL, LUCKNOW	SELF FINANCE
526	LUCKNOW	427	CAREER INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL, SITAPUR-HARDOI BYPASS ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
527	LUCKNOW	430	F.I. COLLEGE OF NURSING, 37, CANTT, LUCKNOW	SELF FINANCE
528	LUCKNOW	845	G.C.R.G COLLEGE OF NURSING, CHANDRIKA DEVI ROAD, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW	SELF FINANCE
529	LUCKNOW	764	G.C.R.G. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, PARVATPUR, CHANDRIKA DEVI ROAD, BAKSHI KA TALAB, LUCKNOW	SELF FINANCE
530	LUCKNOW	843	NISHAT HOSPITAL AND INSTITUTE OF PARA MEDICAL SCIENCES AND COLLEGE OF NURSING, 407 CHANDULI UMARPUR,NEAR MOHMMADPUR POLICE CHOWKI LUCKNOW	SELF FINANCE
531	LUCKNOW	763	PRASAD INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SARAI SHAHZADI, BANTHARA, KANPUR ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
532	LUCKNOW	474	SAINT MARRIES SCHOOL OF NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE, GAURABAGH, GUDAMBA, KURSI ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
533	LUCKNOW	423	SARASWATI DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL, TIWARIGANJ, LUCKNOW	SELF FINANCE
534	LUCKNOW	477	SARDAR PATEL INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, CHAUDHARY VIHAR, RAIBAREILY ROAD, LUCKNOW	SELF FINANCE
535	LUCKNOW	422	SARDAR PATEL P.G. INSTITUTE OF DENTAL AND MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	SELF FINANCE
536	LUCKNOW	436	SRI K.L. SHASTRI SMARAK NURSING COLLEGE, SITAPUR-HARDOI BYPASS, MUTAKKIPUR, LUCKNOW	SELF FINANCE
537	LUCKNOW	833	SURUCHI INSTITUTE OF NURSING, LUCKNOW	SELF FINANCE
538	SULTANPUR	262	ACHARYA CHANAKYA MAHAVIDHYALAYA MAHMOODPUR SEMARI SULTANPUR	SELF FINANCE
539	SULTANPUR	700	ACHARYA NARAYANA COLLEGE, MEERPUR, PRATAPPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
540	SULTANPUR	51	ACHARYA VINOBA BHAVE SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA PREMNAGAR CHEEDA SULTANPUR	SELF FINANCE
541	SULTANPUR	216	AILENA MAHAVIDHYALAY BAHAR PUR LAHAUTA SEMARI, SULTANPUR	SELF FINANCE
542	SULTANPUR	187	B.D.D.B. MAHILA MAHAVIDHYALAY BHADIAYA SULTANPUR	SELF FINANCE
543	SULTANPUR	88	BABA BARIYARSHAH P.G. BHARKHARE SULTANPUR	SELF FINANCE
544	SULTANPUR	400	BABA BHOLE MAA PARVATI MAA SHOBHAWATI ADARSH MAHAVIDYALAYA, TENDUAKAJI, BHILAMPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
545	SULTANPUR	230	BABA JAYRAM DWIVEDI MAHAVIDHYALAYA SHRINAGAR NARHARPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
546	SULTANPUR	281	BADALI MAHAVIDHYALAY AMRETHU DANDIA KADIPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
547	SULTANPUR	824	BHAGYAWATI MAHILA MAHAVIDYALAY, MURARPUR, HANUMANGANJ, SULTANPUR	SELF FINANCE
548	SULTANPUR	797	BHUNWAR SINGH SMARAK MAHAVIDYALAYA, RAIBIGO, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
549	SULTANPUR	317	BRIJRAJ SAHODARA MAHAVIDHYALAYA PURE PAHAR SINGH VISHESHARGANJ SULTANPUR	SELF FINANCE
550	SULTANPUR	214	CHANDRABHAN DEVI SEWAK MAHAVIDHYALAYA PRATAPPUR KAMAICHA SULTANPUR	SELF FINANCE
551	SULTANPUR	789	CHAUDHARY BHUNDE MEMORIAL MAHAVIDYALAYA, SAFIPUR, LAMBHUA, SULTANPUR	SELF FINANCE

552	SULTANPUR	780	DANISH ALPSANKYAK SHIKSHAN & PRASIKSHAN SANSTHAN GAJEHDI, SOHGAULI, SULTANPUR	SELF FINANCE
553	SULTANPUR	388	DHARMA DEVI BADRI PRASAD SMARAK MAHAVIDHYALAYA KURWAR SULTANPUR	SELF FINANCE
554	SULTANPUR	705	DOODHNATH SMARAK MAHAVIDYALAYA, ALDEMAU, NOORPUR, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
555	SULTANPUR	412	DR. RAJENDRA PRASAD MAHAVIDYALAYA, DEVARPUR, PALIAGOLPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
556	SULTANPUR	635	DUSHYANT SINGH BHALE SULTAN MAHAVIDYALAYA, SAADIPUR, MUSAFIRKHANA, AMETHI	SELF FINANCE
557	SULTANPUR	41	GANPAT SAHAI P.G. COLLEGE SULTANPUR	AIDED
558	SULTANPUR	640	GAYA PRASAD PANDEY SMARAK MAHAIDYALAYA, VILL & POST-BHADAIYA, LAMBHUA, SULTANPUR	SELF FINANCE
559	SULTANPUR	90	HARIHAR PRASAD MAHAVIDHYALAYA BHADHARA KURWAR ROAD SULTANPUR	SELF FINANCE
560	SULTANPUR	173	HARSH MAHILA PG COLLEGE DEHLI BAZAR SULTANPUR	SELF FINANCE
561	SULTANPUR	748	HAUSILA PRASAD SINGH SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, SHARIFPUR, GOVINDPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
562	SULTANPUR	785	HUBRAJI DEVI GIRLS INSTITUTE, PANDELA, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
563	SULTANPUR	44	INDIRA GANDHI SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA GAURIGANJ SULTANPUR	AIDED
564	SULTANPUR	456	ISRAWATI DEVI MAHAVIDHYALAYA, KAMMARPUR, HARIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
565	SULTANPUR	724	JAGPATI SHITLA PRASHIKSHAN VIDHI MAHAVIDYALAYA, BARSAWAN, NARSADA, SULTANPUR	SELF FINANCE
566	SULTANPUR	163	JAY BAJRANG SHIV GHULAM MAHAVIDHYALAYA AMAREMAU KADIPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
567	SULTANPUR	749	JEET BAHADUR SINGH MAHAVIDYALAYA, GARAVPUR, LAMBHUA, SULTANPUR	SELF FINANCE
568	SULTANPUR	830	JWALA PRASAD SINGH MAHAVIDYALAYA, MAHADEV NAGAR, NANEMAU, SULTANPUR	SELF FINANCE
569	SULTANPUR	39	K.N.I. P.S.S. SULTANPUR	AIDED
570	SULTANPUR	136	K.N.I.T.M.T SULTANPUR	SELF FINANCE
571	SULTANPUR	49	KALAVATI GIRLS P.G. COLLEGE SHIVMURTI NAGAR SHAHPUR LAPTA SULTANPUR	SELF FINANCE
572	SULTANPUR	322	KAMAYANI MAHAVIDHYALAYA AJIYAUR DEI LOHIA NAGAR SULTANPUR	SELF FINANCE
573	SULTANPUR	224	KAMLA NEHRU INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY SULTANPUR	SELF FINANCE
574	SULTANPUR	512	KAMLA NEHRU VIDHI SANSTHAN , SULTANPUR	SELF FINANCE
575	SULTANPUR	725	KAMLA PRASAD SINGH MAHAVIDYALAYA, BARAULA, GAURA, SULTANPUR	SELF FINANCE

576	SULTANPUR	294	KAMLA PRASAD SINGH MAHILA MAHAVIDHYALYA MATHURA NAGAR RAMGARH SULTANPUR	SELF FINANCE
577	SULTANPUR	46	KAMLA PRASAD SINGH SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA MATHURANAGHAR RAMGARH SULTANPUR	SELF FINANCE
578	SULTANPUR	267	KAMLA PRASAD SINGH VIDHI MAHAVIDHYALAYAY RAMGARH SULTANPUR	SELF FINANCE
579	SULTANPUR	735	KASHI VISHWANATH MAHAVIDYALAYA, AVADHPURI, JAFARPUR, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
580	SULTANPUR	532	KEDARNATH SINGH MEMORIAL TRUST INSTITUTE OF TEACHERS TRAINING, KARAUDIA, SULTANPUR	SELF FINANCE
581	SULTANPUR	338	LAL VIJYANANAD MAHAVIDHYALAYA DHAMMAUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
582	SULTANPUR	411	LALJI SINGH MAHAVIDHYALAY KOTHARAKALA SULTANPUR	SELF FINANCE
583	SULTANPUR	829	LATE ABDUL RASHEED LATE MOHD. SAEED BALIKA MAHAVIDYALAYA, GOPALPUR KHURD, BETHRA, DOSTPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
584	SULTANPUR	582	LATE BHAGIRATHI YADAV MAHAVIDYALAYA, BARAMADPUR, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
585	SULTANPUR	882	LATE GAJRAJ SINGH MAHAVIDYALAYA MUSTAFABAD, SARIYA, KADIPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
586	SULTANPUR	370	LATE RAM RAJ VERMA MAHAVIDHYALAYA SARANGPUR KUREBHAR SULTANPUR	SELF FINANCE
587	SULTANPUR	162	LATE VEERENDRA PRATAP SINGH SMARAK JANTA MAHAVIDHYALAYAKUNDA BHAIRAVPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
588	SULTANPUR	719	LATE VIKRAMAJEET MAHAVIDYALAYA, SANSTHAN, UMARI, PAUDHANRAMPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
589	SULTANPUR	284	LAXMAN SINGH BELHARI MAHAVIDHYALAYA MANDAI NUMAI SULTANPUR	SELF FINANCE
590	SULTANPUR	822	LAXMI NARAYAN SHUKL MAHAVIDYALAYA, KHARA, CHANDAUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
591	SULTANPUR	363	MAA DURGA SARVODAY MAHAVIDHYALAYA ARVAL SULTANPUR	SELF FINANCE
592	SULTANPUR	553	MAA SARYU DEVI MAHAVIDYALAYA, PAHARPUR KALA, HARIPUR, KARAUDIKALA, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
593	SULTANPUR	592	MAA SHARDA MAHAVIDYALAYA, PAKARPUR, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
594	SULTANPUR	678	MAA VAISHNAV SHIKSHAK PRASHIKSHAN SANSTHAN, AJIYAURDEI, ALIGANJ, SULTANPUR	SELF FINANCE
595	SULTANPUR	48	MAHATMA GANDHI SMARAK MAHAVIDHYALAYA KUREBHAR SULTANPUR	SELF FINANCE
596	SULTANPUR	92	MANISHI MAHILA MAHAVIDHYALAYA GAURIGANJ SULTANPUR	SELF FINANCE

597	SULTANPUR	695	MOTHER TERESSA MAHILA MAHAVIDYALAYA, KATKAKHANPUR, DWARIKAGANJ, SULTANPUR	SELF FINANCE
598	SULTANPUR	883	MUID AHAMAD KANYA MAHAVIDYALAYA, DOSTPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
599	SULTANPUR	827	N.B.S. COLLEGE OF EDUCATION & MANAGEMENT, BHADA, SULTANPUR	SELF FINANCE
600	SULTANPUR	839	NARENDRA PRATAP SINGH COLLEGE OF LAW CHANDPUR SADOOPATTI DAWARIKAGANJ SULTANPUR	SELF FINANCE
601	SULTANPUR	470	NAVYUG MAHILA SHIKSHAN & PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, RATANPURBARI, SAHIJAN, SULTANPUR	SELF FINANCE
602	SULTANPUR	50	NAVYUG P.G. COLLEGE RATANPURWARI SULTANPUR	SELF FINANCE
603	SULTANPUR	362	PARAGDEI MAHILA MAHAVIDHYALYA HALIYAPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
604	SULTANPUR	717	PARASNATH MAHAVIDYALAYA, SHAFIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
605	SULTANPUR	826	PARVATI MAHILA MAHAVIDYALAYA, KALAN, SULTANPUR	SELF FINANCE
606	SULTANPUR	468	PT. RAM KEDAR RAM KISHORE TRIPATHI MAHAVIDYALAYA, RAWANIA PACHCHIM, SULTANPUR	SELF FINANCE
607	SULTANPUR	390	PT.GAJRAJ SHUKLA MAHAVIDHYALAYA CHANDELEPUR DHAMMAUR SULTANPUR	SELF FINANCE
608	SULTANPUR	884	PT.JUGGILAL ARUN KUMAR SHIKSHA SANSTHAN CHAUBE SECTRI JAISINGHPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
609	SULTANPUR	165	PT.OMKAR NATH MAHAVIDHYALAYA BAKHAT KA PURWA BASTIDEI GAURI GANJ SULTANPUR	SELF FINANCE
610	SULTANPUR	261	PT.RAM CHARITRA MISHRA MAHAVIDHYALAYA PADELA KADIPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
611	SULTANPUR	337	PT.SATYA NARAIN DWIVEDI SMARAK MAHAVIDHYALAYA BADHAULI,DOSTPUR,SULTANPUR	SELF FINANCE
612	SULTANPUR	264	PT.SHIV RATAN DUBEY BALIKA MADHVIDHYALAYA DUBEYPUR DURGA NAGAR KUREBHAR SULTANPUR	SELF FINANCE
613	SULTANPUR	128	PT.SHRIPATI MISRA MAHAVIDHYALAYA TAVAKKAL PUR NAGARA SURAPUR KADIPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
614	SULTANPUR	885	PUROSHOTAM SINGH MAHAVIDYALAYA, SINGHANI, JHASHOLI, SULTANPUR	SELF FINANCE
615	SULTANPUR	838	RAFAT ULLAH MAHAVIDYALAYA, AJHUI, SULTANPUR	SELF FINANCE
616	SULTANPUR	651	RAJ KISHORE YADAV BALIKA MAHAVIDYALAYA, MUDILADEEH, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
617	SULTANPUR	321	RAJARSHI RANANJAY SINGH ASAL DEV MAHAVIDHYALAYA CHATRAPATI SAHUJI MAHARAJ NAGAR SULTANOUR	SELF FINANCE

618	SULTANPUR	52	RAJIV GANDHI MAHAVIDHYALAYA JAGDISHPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
619	SULTANPUR	47	RAJKIYA P.G. COLLEGE MUSAFIRKHANA SULTANPUR	GOVERNMENT
620	SULTANPUR	120	RAM BARAN MAHAVIDHYALAYA VIBHARPUR JAISINGHPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
621	SULTANPUR	710	RAM BARAN SINGH MAHILA MAHAVIDYALAYA, PRATAPPUR, DOSTPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
622	SULTANPUR	316	RAM DIHAL SINGH MAHAVIDHYALAYA GARAYEIN BHARKHARI SULTANPUR	SELF FINANCE
623	SULTANPUR	186	RAM DULARI SHARDA PRASAD INDRABHADRA SINGH MAHILA MAHAVIDHYALAYA MAJHVARA SULTANPUR	SELF FINANCE
624	SULTANPUR	253	RAM HARAKH SINGH MEMORIAL DIGREE COLLEGE PODHANRAMPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
625	SULTANPUR	828	RAM KUMAR YADAV MAHAVIDYALAYA, KHAIRHA, MOTIGARPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
626	SULTANPUR	160	RAM RAJI MAHAVIDHIYALAYA VAIDAHA SULTANPUR	SELF FINANCE
627	SULTANPUR	611	RAMBARAN VERMA COLLEGE OF EDUCATION , BIKVAJEETPUR, HANUMANGANJ, SULTANPUR	SELF FINANCE
628	SULTANPUR	886	RAMNAYAN VERMA COLLEGE OF LAW MANGRAWA, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
629	SULTANPUR	881	RAMPATI DEVI KANYA MAHAVIDYALAYA, SARAIYA, PUROSHOTAMPUR JAISINGHPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
630	SULTANPUR	683	RAMRATI VERMA NANHKU VERMA MAHAVIDYALAYA, CHANDPUR, SAIDOPATTI, DWARIKAGANJ, SULTANPUR	SELF FINANCE
631	SULTANPUR	40	RANA PRATAP P.G COLLEGE SULTANPUR	AIDED
632	SULTANPUR	80	RANI GANESH KUNWARI MAHAVIDHYALAYA. JAMO SULTANPUR	SELF FINANCE
633	SULTANPUR	652	RANI LAXMIBAI SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, KUREBHAR, SULTANPUR	SELF FINANCE
634	SULTANPUR	697	RISHI RAJ SINGH MAHAVIDHYALAYA, BAMHARAULI, KATKA KHANPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
635	SULTANPUR	121	RIWARD MAHAVIDYALAYA, HANUMANGANJ, SULTANPUR	SELF FINANCE
636	SULTANPUR	106	ROHIT MEMORIAL P.G. COLLEGE MAHADEV NAGAR CHHAPAR SULTANPUR	SELF FINANCE
637	SULTANPUR	590	S.S.V. MAHAVIDYALAYA, HALAPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
638	SULTANPUR	45	SANJAY GANDHI P.G. COLLEGE CHAUKIA SULTANPUR	AIDED
639	SULTANPUR	552	SANKAT MOCHAN SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN MAHILA MAHAVIDYALAYA, ATRA, DOSTPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE

640	SULTANPUR	42	SANT TULSIDAS P.G. COLLEGE KADIPUR SULTANPUR	AIDED
641	SULTANPUR	597	SARASWATI MAHILA MAHAVIDYALAYA, KATSARI, SULTANPUR	SELF FINANCE
642	SULTANPUR	825	SARDAR VALLABH BHAI PATEL MAHAVIDYALAYA, CHORMA, SULTANPUR	SELF FINANCE
643	SULTANPUR	691	SARYU DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, PAHARPUR KALA, HARIPUR, KARAUNDI KALA, SULTANPUR	SELF FINANCE
644	SULTANPUR	698	SATYA NARAYAN SINGH MAHAVIDYALAYA, ANAPUR NARAYANGANJ, LAMBHUA, SULTANPUR	SELF FINANCE
645	SULTANPUR	648	SHAKUNTALA DEVI MAHILA SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN SANSTHAN, POONIBHEEM PATTI, CHANDA, SULTANPUR	SELF FINANCE
646	SULTANPUR	472	SHIV MAHESH SHAIKSHIK SANSTHAN GAURI GANJ SULTANPUR	SELF FINANCE
647	SULTANPUR	291	SHIV MOHAN SHAIKSHIK SANSTHAN GAURI GANJ SULTANPUR	SELF FINANCE
648	SULTANPUR	656	SHIV MOORAT SINGH MAHAVIDYALAYA, TRISUNDI, AMETHI	SELF FINANCE
649	SULTANPUR	91	SHIV NATH VERMA SMARAK SNATKOTTAR MAHAVIDHYALAYA DEV NAGAR KHANPUR PILAI SULTANPUR	SELF FINANCE
650	SULTANPUR	107	SHRI BALDEV SINGH BHALE SULTAN MAHAVIDHYALAYA HALIAPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
651	SULTANPUR	223	SHRI HANUMAT PRASIKSHAN MAHAVIDHYALAYA RAIPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
652	SULTANPUR	375	SHRI KANAHIA LAL MANIK CHAND MAHILA MAHAVIDHYALAYA BHAWANIPUR SURAPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
653	SULTANPUR	248	SHRI NISHAD RAJ AKHANDA NAND MAHAVIDHYALAYA KITIYAWA SHAHGARH SULTANPUR	SELF FINANCE
654	SULTANPUR	880	SHRI SAINATH SHIKSHAN PRASHIKSHAN SANSTHAN, ISHIPUR, MAHARANI PASCHIM, SULTANPUR	SELF FINANCE
655	SULTANPUR	140	SHRI VISHWANATH P.G. COLLEGE KALAN SULTANPUR	SELF FINANCE
656	SULTANPUR	614	SHRIMATI DASHRATH DEVI SHIKSHAN PRASHIKHAN SANSTHAN, ADARSH NAGAR, SHUKULBAJAR, AMETHI	SELF FINANCE
657	SULTANPUR	226	SHRIRAJPATI SINGH SMARAK SIKSHAN PRASIKSHAN MAHAVIDHYALAYA DEEH DAGGUPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
658	SULTANPUR	215	SHYAM BAKSH SINGH MAHAVIDHYALAYA HALIYAPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
659	SULTANPUR	130	SITA DEVI GIRLS MAHAVIDHYALAYA BAROSA SULTANPUR	SELF FINANCE

660	SULTANPUR	174	SMT. DASHRATH DEVI MAHAVIDHYALAYA ADARSH NAGAR SHUKLA BAZAR SULTANPUR	SELF FINANCE
661	SULTANPUR	823	SMT. SHYAMA DEVI HARSH MAHILA MAHAVIDYALAYA, BHAWANIGARH, SULTANPUR	SELF FINANCE
662	SULTANPUR	776	SMT. SYAMADEVI HARSH MAHAVIDYALAYA BHAVANIGARH SULTANPUR	SELF FINANCE
663	SULTANPUR	364	SMT.MAHADEVI MAHAVIDHYALAYA DOMAPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
664	SULTANPUR	699	SRI BALAJI DEGREE COLLEGE, BANSGAON, BARAUSAM JAISINGHPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
665	SULTANPUR	688	SRI RAM CHANDRA NARAIN SHIKSHAN EVAM PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, MADHAVPUR BAURA, JAGDISHPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
666	SULTANPUR	551	SRI RAM MILAN MISHRA BALIKA MAHAVIDYALAYA, MOTIGARPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
667	SULTANPUR	657	SRI SAI SHIVRAM GIRLS EDUCATIONAL INSTITUTE, SARAIBHAGMANI, GAURIGANJ, AMETHI	SELF FINANCE
668	SULTANPUR	645	SRIPAL SINGH SMARAK MAHILA MAHAVIDYALAYA, GARAVPUR, LAMBHUA, SULTANPUR	SELF FINANCE
669	SULTANPUR	879	SUBEDAR SINGH MAHAVIDYALAYA SAMHTA KHURD, LAMBHUA, SULTANPUR	SELF FINANCE
670	SULTANPUR	319	SWAMI VIVEKANAND S.S. MAHAVIDHYALAYA GOPALPUR MADHIYA SULTANPUR	SELF FINANCE
671	SULTANPUR	628	THAKUR SATYA NARAYAN CHANDRA PRATAP SINGH MAHAVIDYALAYA, BARIYONA, SHANKARGARH, SULTANPUR	SELF FINANCE
672	SULTANPUR	74	TRIBHUWAN SINGH HARIHAR SINGH P.G. COLLEGE PALIA GOLPUR SULTANPUR	SELF FINANCE
673	SULTANPUR	393	VIDYAWATI BALIKA MAHAVIDHYALAYA BEHARABHARI PATELNAGAR AKHAND NAGAR SULTANPUR	SELF FINANCE
674	SULTANPUR	878	VIMLA DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, KATGHARKHAS, KADIPUR, SULTANPUR	SELF FINANCE
675	SULTANPUR	298	VINOD KUMAR MAHILA MAHAVIDHYALAYA MAHMOODPUR SEMARI SULTANPUR	SELF FINANCE